



JAYWANTI HAKSAR GOVT. PG COLLEGE, BETUL

Office: Civil Lines, Betul (M.P.) 460001
E-mail: hegjhpgcbet@mp.gov.in Website: www.jhgovtbetul.com



3RD CYCLE ASSESSMENT AND ACCREDITATION BY NAAC

Criterion – 2

Teaching- Learning and Evaluation

2.4: Teacher Profile and Quality

2.4.1: Percentage of full-time teachers against sanctioned posts during the last five years



जयवन्ती हॉक्सर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बैतूल (मप्र)

Jaywanti Haksar Government Post Graduate College, Betul (MP)

Office: Civil Lines, Betul- 460001 Tel: 07141- 234244
E-mail : hejihpgcbet@mp.gov.in Website: www.jhgovtbetul.com



Ref. No. 701/2023

Betul, Date 07/07/2023

DECLARATION

The information, reports, true copies of the supporting documents, numerical data etc. furnished in this file are verified by IQAC and found correct.

Hence this certificate.

Dr Meenakshi Choubey
Coordinator, IQAC

COORDINATOR
INTERNAL QUALITY ASSURANCE CELL
JH GOVT. PG COLLEGE, BETUL, (M.P.)

Dr Rakesh Tiwari
Principal

PRINCIPAL
J.H. GOVT. PG. COLLEGE
BETUL (M.P.)

Index

No.	Name	Page Number
1	Index	3-5
2	Dr. khushal Devghare	6
3	Dr. Sonali Saini Sahu	7
4	Dr. Ritu Sahu	8
5	Dr.Chandrashekhar Meshram	9
6	Dr. Manoj Ugade	10
7	Dr. Archana Mehta	11
8	Dr. Archana Mishra	12
9	Dr. Alka Pandey	13
10	Mrs.Sunita Gadekar	14
11	Mrs. Archana Sonare	15-16
12	Dr. Kamlesh Ahirwar	17
13	Dr. Sukhdev Dongre	18-19
14	Dr. Bhagwan Das Nagle	20
15	Mr. Sanjay Kumar Vishwakarma	21
16	Dr. Pratibha Chourey	22
17	Dr. Manohar Rao Gawande	23
18	Miss.Kiran Khatarkar	24
19	Dr. Salil Dubey	25
20	Dr. Subhash Khatarkar	26
21	Mr. Shiv Prakash Pawar	27
22	Mr. Nidhish Mishra	28
23	Dr. Sudama Kokate	29
24	Mrs.Babita Chouhan.	30
25	Mr. Om Prakash Khatri	31-32
26	Dr. Abha Verma	33
27	Dr. Gopal prasad Sahu	34
28	Mr. Mahendra Sallam	35-36
29	Dr. Eknath Nirapure	37
30	Mr. Manoj Kumar Ghorase	38
31	Mr. Yugal Kishor sarle	39
32	Dr. Shiksha Gadekar	40
33	Mrs. Deepika Sahu	41

34	Mr. Mahendra Nawange	42
35	Miss. Priti Bala Pal	43
36	Dr. Niharika Bhawsar	44
37	Mrs.Preeti Nawange	45
38	Mr. Rajkumar choukikar	46
39	Dr. Anita Soni	47
40	Dr. Meena Downiwal	48-49
41	Dr. Pranay Tiwari	50-51
42	Dr. Sharda Kaushik	52
43	Dr. Meenakshi Choubey	53-55
44	Dr. Priyanka Likhitkar	56
45	Dr. Madhuri Dhote	57
46	Mrs.Sheetal Khare Telange	58
47	Dr Nisha Soni	59
48	Dr. Pragati Dongre	60
49	Mr. Neeraj Dhakad	61
50	Mr. Rupesh Soni	62
51	Dr. Vijeta Chobey	63
52	Dr. Jyoti Sharma	64
53	Mr. Mukund Chandel	65
54	Mrs. Veena Dehariya	66
55	Mr. Dharmendra Kumar	67-68
56	Mrs. Manjula Grewal	69
57	Mr. Manesh Mankar	70
58	Dr. Ramkumar Gautam	71
59	Dr. Rakesh kumar Tiwari	72
60	Dr. Balamdas Khatarkar	73
61	Dr. Ranjeeta Barkhaniya	74
62	Mr. Raja atulkar	75
63	Dr. Saroj Jawalkar	76
64	Mr. Deepak Mankar	77
65	Mr. Santosh Pawar	78
66	Mrs.Yogeshwari Pawar	79
67	Mr. Prahlad Kamdi	80
68	Mr. Mukesh Pandole	81
69	Mr. Ashok Dabhade	82
70	Mr. G.R.Rane	83
71	Mr. Hemant Deshpande	84
72	Mr. Mahadeo rao Wagadre	85

73	Dr. Rajesh Sheshkar	86
74	Mr. Rishikant Panthi	87
75	Dr. Mousmi Rai	88
76	Miss.Krishna Gosar	89
77	Dr. Shivdyal Sahu	90
78	Mr. Pankaj Baraskar	91
79	Mr. Lalit Dhandole	92
80	Mrs. Kanchana Gujre	93
81	Dr. Nisha malvi	94
82	Mr. Rajendra Prashad Waghmare	95
83	Mr. Nilesh Patil	96
84	Mrs. Kirti Varathe	97
85	Mr. Gopal Patil	98
86	Mr. Hitesh Jain	99
87	Mr. Shivkumar Choudhary	100
88	Mr. Santosh Kumar Patil	101
89	Miss. Divya Dangi	102
90	Mrs. Swati Lokhande	103
91	Dr.Rashmi Agrawal	104
92	Mr. Rahul Singh Thakur	105
93	Dr Mahesh Mankar	106

Appointment Letter

Dr. Khushal Devghare

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग,
मंत्रालय
वल्लम -मदन, 462004
आदेश

क्रमांक-एफ-1-24/2003/1/असुतीस मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित निम्नलिखित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को 2 वर्ष के भीतर नेट या स्लैट या पी. एच. डी. की अर्हता अर्जित करने की शर्त पर दो वर्ष की परिवर्षा अवधि पर सहायक प्राध्यापक पणित के पद पर वेतनमान रूपये 8000-275-19500 में उनके नाम के समुख दर्शाए गए महाविद्यालय में कार्यभार प्रेषण करने के दिनांक से नियुक्त करते हुए पदस्थ किया जाता है-

मोपाल, दिनांक :-26 नवम्बर, 2004

क्र	चयन सूची क्रमांक	नाम	वर्ग	पदस्थापना स्थान
1	2	3	4	
1.	10	कुमारी नीलम वासनिक	अ.जा.	शासकीय महाविद्यालय, सीहोर
2.	86	श्री जगदीश चन्द्र आर्य	अ.जा.	शासकीय पी जी महाविद्यालय, नीमच
3.	121	श्री बाबूलाल कुम्हार	अ.जा.	शासकीय महाविद्यालय, हटा
4.	56	कुमारी कविता रोहित	अ.जा.	शासकीय महाविद्यालय, प्रथरिया
5.	160	श्रीमती सुनीता गुर्जर	अ.जा.	शा. बालक महाविद्यालय, गंजबासीदा
6.	88	श्रीमती प्रीति मालवीय	अ.जा.	शासकीय महाविद्यालय, मण्डलेस्वर
7.	30	श्रीमती हेमा यादव	अ.जा.	शासकीय पी जी महाविद्यालय, मंदसौर
8.	02	श्री विनोद कुमार प्रजापति	अ.जा.	शासकीय पी जी महाविद्यालय, सीधी
9.	89	कुमारी ज्योति पंथी	अ.जा.	शासकीय महाविद्यालय, बेगमगंज
10.	79	श्री हरदयाल अहिरवार	अ.जा.	शासकीय महाविद्यालय, पिछोर
11.	53	कुमारी संगीता कुल्हारे	अ.जा.	शासकीय पी जी महाविद्यालय, हरदा
12.	84	श्री राम कुमार	अ.जा.	शा. एम जे एस महाविद्यालय, मिण्ड
13.	24	श्री कमल कुमार कोरी	अ.जा.	शासकीय महाविद्यालय, बरेली
14.	59	कुमारी भूमिका धुव	अ.जा.	शासकीय महाविद्यालय, गंजबासीदा
15.	58	श्री रमेश प्रसाद अहरवाल	अ.जा.	शासकीय पी जी महाविद्यालय, दमोड
16.	102	श्री राकेश कुमार परमार	अ.जा.	शासकीय महाविद्यालय, बड़नपुर
17.	35	कुमारी हेमलता बघेल	अ.जा.	शासकीय महाविद्यालय, त्रैपानसार
18.	6	कुमारी आरती बीरसी	अ.जा.	शासकीय महाविद्यालय, मनावर
19.	100	कुमारी ज्योति आठिया	अ.जा.	शासकीय महाविद्यालय, तरसिंहगढ़
20.	77	कुमारी मीनाक्षी रावल	अ.जा.	शासकीय कन्या महाविद्यालय, खरगीन
21.	28	श्री खुशाल देवघरे	अ.जा.	शासकीय महाविद्यालय, सनावद
22.	99	श्री राजकुमार भिमटे	अ.जा.	शासकीय महाविद्यालय, जातप
23.	68	श्री सुनील कुमार प्रसाद	अ.जा.	शासकीय महाविद्यालय, शाजपुर
24.	144	श्री प्राकेश कुमार शायक	अ.जा.	शासकीय महाविद्यालय, श्यामपुरकला
25.	154	श्री रमेश मिंडे	अ.जा.	शासकीय महाविद्यालय, खलीराजपुर
26.	40	श्री देवेश कुमार सागर (विकलांग)	अ.जा.	शासकीय कन्या महाविद्यालय, नोसक
27.	87	श्री बीरसिंह मेडा	अ.जा.	शासकीय पी जी महाविद्यालय, झाकुआ
28.	14	श्री भारत सिंह जमरे	अ.जा.	शासकीय पी जी महाविद्यालय, डिण्डीरी
29.	42	कुमारी संतोषी अलाचा	अ.जा.	शासकीय महाविद्यालय, रोहवा
30.	81/129	कुमारी नीलम परसे	अ.जा.	शासकीय महाविद्यालय, सिहोरा
31.	78	कुमारी ललिता धुव	अ.जा.	शासकीय महाविद्यालय, मुलताई
32.	39	कुमारी संगीता अस्के	अ.जा.	शासकीय पी जी महाविद्यालय, शाजपुर
33.	109	कुमारी शशि सोलंकी	अ.जा.	शासकीय पी जी महाविद्यालय, खरगीन
34.	3	कुमारी सीमा मसकले	अ.जा.	शासकीय महाविद्यालय, मुआ बिठिया

Handwritten signature

Dr. R. D. Daheriya
Principal
C.O.B.S. - 11/11/04

--- 2

Dr.Sonali Saini



कार्यालय प्राचार्य, ज.हा.शासकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय बैतूल, (म.प्र.) 460001
नेक द्वारा प्रदत्त ग्रेड B+

e-mail : hegjhpgcbet@mp.gov.in

क्रं. /स्थापना /2019

बैतूल,दिनांक

कार्यालयीन आदेश

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा, मंत्रालय भोपाल का आदेश क्र.एफ 1-79/2019/38/1 भोपाल, दिनांक 13.12.2019 द्वारा आदेश के सरल क्रं. 88 लो.से.आ.की चयन सूची क्रं/चयन वर्ष 99/2019 डॉ.सोनाली सैनी साहू द्वारा आज दिनांक 16.12.2019 को पूर्वान्ह में सहायक प्राध्यापक गणित के पद पर इस महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर लिया है ।

प्राचार्य

ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल

पृ.क्रं. 2162 /स्थापना /2019
प्रतिलिपि :-

बैतूल, दिनांक 16.12.2019


- 1 विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा म.प्र.भोपाल ।
- 2 अवर सचिव, म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल ।
- 3 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
- 4 आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र.शासन सतपुड़ा भवन भोपाल ।
- 5 क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, भोपाल-नर्मदापुरम संभाग, एम.एल.वी.कन्या महाविद्यालय परिसर भोपाल ।
- 6 जिला चिकित्सा अधिकारी बैतूल की ओर सूचनार्थ ।
- 7 जिला कोषालय अधिकारी बैतूल ।
- 8 विभागाध्यक्ष, गणित विभाग, ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल ।
- 9 लेखापाल, ज.हा.शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैतूल ।
- 10 संबंधित अधिकारी डॉ.सोनाली सैनी साहू, सहायक प्राध्यापक गणित, जयवंती हॉक्सर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- 11 कार्यालय प्रति ।

16/12/19
ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल

कार्यालय प्राचार्य, ज.हा.शासकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय बैतूल, (म.प्र.) 460001

नेक द्वारा प्रदत्त ग्रेड B+

e-mail : hegjhpgcbet@mp.gov.in



क्रं. /स्थापना /2019

बैतूल,दिनांक

कार्यालयीन आदेश

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा, मंत्रालय भोपाल का आदेश क्र. एफ 1-79/2019/38/1 भोपाल, दिनांक 13.12.2019 द्वारा आदेश के सरल क्रं. 92 लो.से.आ.की चयन सूची क्रं/चयन वर्ष 103/2019 डॉ. रीतू साहू द्वारा आज दिनांक 16.12.2019 को पूर्वान्ह में सहायक प्राध्यापक गणित के पद पर इस महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर लिया है ।

प्राचार्य

ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल

पृ.क्रं. 2174/स्थापना /2019
प्रतिलिपि :-

बैतूल, दिनांक 16.12.2019

- 1 विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्चशिक्षा म.प्र.भोपाल ।
- 2 अवर सचिव, म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल ।
- 3 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
- 4 आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र.शासन सतपुड़ा भवन भोपाल ।
- 5 क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, भोपाल-नर्मदापुरम संभाग, एम.एल.बी.कन्या महाविद्यालय परिसर भोपाल ।
- 6 जिला चिकित्सा अधिकारी बैतूल की ओर सूचनार्थ ।
- 7 जिला कोषालय अधिकारी बैतूल ।
- 8 विभागाध्यक्ष, गणित विभाग, ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल ।
- 9 लेखापाल, ज.हा.शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैतूल ।
- 10 संबंधित अधिकारी डॉ. रीतू साहू, सहायक प्राध्यापक गणित, जयवंती हॉक्सर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- 11 कार्यालय प्रति ।

ओ.पी. 24.12.19
प्राचार्य
ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल
ज.हा. शास. म.प्र.

Dr.Chandra Shekhar
Meshram



कार्यालय प्राचार्य, ज.हा.शासकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय बैतूल, (म.प्र.) 460001
नेक द्वारा प्रदत्त ग्रेड B+

e-mail : hegjhpgcbet@mp.gov.in

क्र. /स्थापना /2019

बैतूल,दिनांक

कार्यालयीन आदेश

मध्यप्रदेश शासन,उच्च शिक्षा,मंत्रालय भोपाल का आदेश क्र.एफ 1-79/2019/38/1 भोपाल,दिनांक 13.12.2019 द्वारा आदेश के सरल क्र. 89 लो.से.आ.की चयन सूची क्र/चयन वर्ष 100/2019 डॉ.चन्द्रशेखर मेश्राम द्वारा आज दिनांक 16.12.2019 को पूर्वान्ह में सहायक प्राध्यापक गणित के पद पर इस महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर लिया है ।

११

प्राचार्य

ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल

पृ.क्र. 2195 /स्थापना /2019
प्रतिलिपि :-

बैतूल,दिनांक 16/12/2019

- 1 विशेष महामन्त्र, माननीय मंत्रीजी, उच्चशिक्षा म.प्र.भोपाल ।
- 2 अवर सचिव,म.प्र.शासन,उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल ।
- 3 महालेखाकार,मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
- 4 आयुक्त,उच्च शिक्षा विभाग,म.प्र.शासन सतपुड़ा भवन भोपाल ।
- 5 क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,उच्च शिक्षा,भोपाल-नर्मदापुरम संभाग,एम.एल.बी.कल्या महाविद्यालय परिसर भोपाल ।
- 6 जिला चिकित्सा अधिकारी बैतूल की ओर सूचनार्थ ।
- 7 जिला कोषालय अधिकारी बैतूल ।
- 8 विभागाध्यक्ष,गणित विभाग,ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल ।
- 9 लेखापाल,ज.हा.शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैतूल ।
- 10 संबंधित अधिकारी डॉ.चन्द्रशेखर मेश्राम सहायक प्राध्यापक गणित,जयवंती हॉक्सर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- 11 कार्यालय प्रति ।

११

प्राचार्य

ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल

Dr. Manoj Ugade



कार्यालय प्राचार्य, ज.हा.शासकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय बैतूल, (म.प्र.) 460001
ब्लॉक 2 का प्रवेश द्वार B+

e-mail : hegjhpgcbet@mp.gov.in

क्र. 16/2019

बैतूल, दिनांक

कार्यालयीन आदेश

मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग नवालग भोपाल का आदेश क्र.एच 1-79/2019/38/1
भाषातः दिनांक 13.12.2019 द्वारा आदेश क्र. सरल क्र. 11 ती.से.आ.की.चयन सूची 3/चयन वर्ष
87/2019 डॉ. मनोज उद्यते द्वारा आज दिनांक 16.12.2019 को पूर्वाह्न में सहायक प्राध्यापक पदों के
पद पर इस महाविद्यालय में कार्यभार संपन्न कर लिया है।

प्रधान

ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल

सू.क्र. 16/2019
प्रतिलिपि -

बैतूल, दिनांक 16/12/19

1. विशेष सहायक, मानवीय संज्ञा, उच्च शिक्षा म.प्र.भोपाल।
2. अवर सचिव, ज.हा.शासकीय उच्च शिक्षा विभाग नवालग भोपाल।
3. महालेखाकत, मध्य प्रदेश न्यायलय।
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र.शासन स्वरूप भवन भोपाल।
5. क्षेत्रीय अधिकृत संचालक, उच्च शिक्षा, भोपाल-नर्मदापुरम संभाग, एम.एल.डी.कम्पा
महाविद्यालय परिसर भोपाल।
6. जिला विद्वान अधिकारी बैतूल की ओर सूचनाएं।
7. जिला कोषालय अधिकारी बैतूल।
8. विभागाध्यक्ष, अनिल विद्यालय, ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल।
9. प्रोफेसर, ज.हा.शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैतूल।
10. संबंधित अधिकारी डॉ. मनोज उद्यते, सहायक प्राध्यापक पदों के लिए, जयवती
द्वारा शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैतूल
की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संकेत।
11. कार्यालय प्रति।

Dr. Manoj Ugade
प्राध्यापक
ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग

आदेश

मौखान, दिनांक 10 MAR 1987, 1987.

क्रमांक एक 1/ 29 /87/ए-1/38 - मध्य प्रदेश तदर्थी नियुक्तियों का नियमितीकरण
नियम, 1986 तथा सामान्य प्रशासन विभाग के शासन क्रमांक एक-ए-6-30-86-एन 111
द्वारा 3090 राजपत्र [अताधारण] में प्रकाशित अधितुघना दिनांक 5/6/86 में प्रदत्त
अधिकारों का उपयोग करते हुए तदर्थ स्व से कार्यरत निम्नलिखित त्हायक प्राध्यापक
को स्थानाबन्धन स्व से आगामी आदेश तक मनस्योति विद्यालय विषय के त्हायक
प्राध्यापक पद पर मध्य प्रदेश शैक्षिक सेवा [महाविद्यालयीन शाखा] में 50 700-40-
1100-50-1300-अतेतमेन्ट-50-1600 के बेतनमान में उनके नाम के सम्य अंकित महाविद्यालय
में बरिबीक्षा पर नियुक्त किया जाता है ।

प्रत्याशी सर्व पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	महाविद्यालय जहाँ पदांकित किया जाता है
ता0 103. श्रीमती इरुना मेहता पति श्री राम080 मेहता महाशिके प्राध्यापक के पद पर प्रथम तदर्थ नियुक्ति का दिनांक 21.8.84 [शास्त्रीय महाविद्यालय, बैतुल]	24-12-1958	शास्त्रीय महाविद्यालय, बैतुल 1) वास्तविक तदर्थी नियुक्ति के लिए मुद्राणा किया गया है। - 597 रि। 2) प्राथमिक स्तानतक परीक्षा - 01.04.84-677/100-1 3) प्राथमिक स्तानतक परीक्षा - 01.04.84-754/1200-1
"गौरी अमी. प्रतिष्ठितों करना है कि अमी प्रतिष्ठितों सही हैं।"	की स्वर्ण प्रतिष्ठितों सही हैं।"	में प्रमाहित

- 2- उषर्युक्त नियुक्ति उनके चरित्र तत्यापन प्रतिबेदन के समाधान कारक पार जाने की प्रत्याशा में की जाती है । यदि उनका चरित्र तत्यापन प्रतिबेदन, समाधान कारक पार नया गया तो उनकी नियुक्ति बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।
- 3- उषर्युक्त नियमों के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्ति इत आदेश की तारीख से ही नियमित नियुक्ति का पात्र होगा और उसे उन व्यक्तियों के नीचे रखा जाएगा जो इन नियमों के अधीन नियुक्त किये जाने के पूर्व तुतंगत भरती नियमों के अनुसार नियुक्त किए गए हैं ।

PRINCIPAL
Government College
Betal.

Dr.Archna Dubey



कार्यालय प्राचार्य, ज.हा.शासकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय बैतूल, (म.प्र.) 460001

नेक द्वारा प्रदत्त ग्रेड B+

e-mail : hegjhpgcbet@mp.gov.in

क्रं. /स्थापना /2019

बैतूल,दिनांक

कार्यालयीन आदेश

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा, मंत्रालय भोपाल का आदेश क्र. एफ 1-87/2019/38/1 भोपाल, दिनांक 13.12.2019 द्वारा आदेश के सरल क्रं. 31 लो.से.आ.की चयन सूची क्रं/चयन वर्ष 37/2019 डॉ. अर्चना दुबे द्वारा आज दिनांक 16.12.2019 को पूर्वान्ह में सहायक प्राध्यापक वनस्पति शास्त्र के पद पर इस महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर लिया है ।

प्राचार्य
ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल

पृ.क्रं. 2168 /स्थापना /2019
प्रतिलिपि :-

बैतूल, दिनांक ...16.12.19.

- 1 विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्चशिक्षा म.प्र.भोपाल ।
2. अवर सचिव, म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल ।
- 3 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
- 4 आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र.शासन सतपुड़ा भवन भोपाल ।
- 5 क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, भोपाल-नर्मदापुरम संभाग, एम.एल.वी.कन्या महाविद्यालय परिसर भोपाल ।
- 6 जिला चिकित्सा अधिकारी बैतूल की ओर सूचनार्थ ।
- 7 जिला कोषालय अधिकारी बैतूल ।
- 8 विभागाध्यक्ष, वनस्पतिशास्त्र विभाग, ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल ।
- 9 लेखापाल, ज.हा.शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैतूल ।
- 10 संबंधित अधिकारी डॉ. अर्चना दुबे, सहायक प्राध्यापक वनस्पतिशास्त्र, जयवंती हॉक्सर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- 11 कार्यालय प्रति ।

16/12/19
प्राचार्य
ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल

// 9 //

: परिशिष्ट :

क्रमांक	नाम	पता	पदस्थानी का स्थान
---------	-----	-----	-------------------

विभाग :- पूर्व भारत

1-	डा० अरविन्द चौरसिया	बेहक बाई बियनी	भारतीय महाविद्यालय बरपाट
----	---------------------	----------------	-----------------------------

विभाग :- जनसंपत्ति भारत

1-	श्रीमती इल्हा पति	पो.-भीरा, जिला-बैतूल	भारतीय महाविद्यालय बैतूल
----	-------------------	----------------------	--------------------------

विभाग :- रक्षापन भारत

1-	श्रीमती प्रतिभा लक्ष्मी,	पारा- श्री लक्ष्मी लक्ष्मी, मिडिल अड, एमि केटी मुंजरी जिला-मिनापुर	भारतीय महाविद्यालय रायपुर कर, रायपुर
----	--------------------------	--	---

विभाग :- हिन्दी

1-	डा० सैद्या शर्मा,	पारा - श्री चन्द विहीर शर्मा, पो.-नालवारी जिला- बालाघाट	भारतीय महाविद्यालय मीना मालाघाट
----	-------------------	---	------------------------------------

महोदय प्रोफेसर के सम्मान के नाम से
 लक्ष्मी अर्चना

2-11-60
 | एम० एम० श्रीवास्तव |

उप सचिव

महोदय प्रोफेसर भारतन, उच्च शिक्षा विभाग



कार्यालय प्राचार्य, ज.हा.शासकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय बैतूल, (म.प्र.) 460001
नेक द्वारा प्रदत्त ग्रेड B+

e-mail : hegjhpgcbet@mp.gov.in

क्र. /स्थापना /2019

बैतूल,दिनांक

कार्यालयीन आदेश

मध्यप्रदेश शासन,उच्च शिक्षा,मंत्रालय भोपाल का आदेश क्र.एफ 1-87/2019/38/1 भोपाल,दिनांक 13.12.2019 द्वारा आदेश के सरल क्र. 69 लो.से.आ.की चयन सूची क्रं/चयन वर्ष 87/2019 सुनीता गढ़ेकर द्वारा आज दिनांक 17.12.2019 को पूर्वान्ह में सहायक प्राध्यापक वनस्पतिशास्त्र के पद पर इस महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर लिया है ।



प्राचार्य

ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल

पु.क्र. 2205 /स्थापना /2019
प्रतिलिपि :-

बैतूल,दिनांक 17/12/19

- 1 विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्चशिक्षा म.प्र.भोपाल ।
2. अवर सचिव,म.प्र.शासन,उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल ।
- 3 महालेखाकार,मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
- 4 आयुक्त,उच्च शिक्षा विभाग,म.प्र.शासन सतपुड़ा भवन भोपाल ।
- 5 क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,उच्च शिक्षा,भोपाल-नर्मदापुरम संभाग,एम.एल.बी.कन्या महाविद्यालय परिसर भोपाल ।
- 6 जिला चिकित्सा अधिकारी बैतूल की ओर सूचनार्थ ।
- 7 जिला कोषालय अधिकारी बैतूल ।
- 8 विभागाध्यक्ष,वनस्पतिशास्त्र विभाग,ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल ।
- 9 लेखापाल,ज.हा.शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैतूल ।
- 10 संबंधित अधिकारी सुनीता गढ़ेकर सहायक प्राध्यापक वनस्पतिशास्त्र,जयवंती हॉक्सर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- 11 कार्यालय प्रदि ।



प्राचार्य
ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल
ज. हा. शास. महाविद्यालय बैतूल

प्रत्यक्ष नियुक्ती आदेश

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 8/11/1985.

क्रमांक 3679/3259/38-1/87. संलग्न परिशिष्ट में उल्लिखित विद्यालयों के प्रत्यक्ष नियुक्तियों की मध्य प्रदेश शैक्षणिक सेवा आयोग से स्थायक प्राध्यापक के पद पर आपाती तौर पर स्थापना के लिए आगामी आदेश तक रुपये 2200-75-2800-100-4000 के वृद्धीसहित वेतनमान में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनों के निम्न जर्नी के आसीन नियुक्ति कया जाता है, तथा उनका पदावधि उनके नाम के तथ्य उल्लिखित महाविद्यालय में किया जाता है।

2- यह नियुक्ति किसी भी तौर पर एक माह का प्रयोग अवधि उनके पद में एक माह का वेतन दिया जा कर समाप्त की जा सकती है।

3- आपाती तौर पर नियुक्ति स्थायक प्राध्यापक को नियमित नियुक्ति के लिए प्रथम अवसर आते ही मध्य प्रदेश सेवा आयोग से चयनित होना आवश्यक होगा। लोक सेवा आयोग की इस चयन सूची में जिन आपाती तौर पर नियुक्ति स्थायक प्राध्यापक का नाम नहीं पाया जाएगा उनकी नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।

4- नियुक्ति प्रत्याशी को अपनी पदस्थापना के महाविद्यालय में तत्काल कार्यभार ग्रहण करना है।

5- नियुक्ति प्रत्याशी द्वारा कोई जानकारी असत्य पाई जाने पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी।

6- नियुक्ति प्रत्याशी को जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाणपत्र कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा।

7- पूर्व में नियोजित प्रत्याशियों द्वारा अपने नियुक्ता यदि कहीं सेवा में है, तो द्वारा दिया गया अनापत्ति प्रमाण-पत्र देना होगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


§ आर.के. मातुर § 8-11-85
अवर सचिव

म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग

...2..

प्रथम नियुक्ती आदेश -

1	2	3	4
11.	श्री अरुण श्रीवास्तव	592 फिरोजी बस राजमगर, उरई 13.9.1	शासकीय इन्फा महाविद्यालय, बालाघाट
12.	श्री रेखा अर्पा	2/365 विष्णुवाय विष्णुपुरी, उरई 13.9.1	शासकीय महाविद्यालय, बाघरौट 1 उरई 1
13.	श्री कार्तिक मीथ 1 सिकरगंज	मकान नं. 344, स्ट्रीट नं. 16 तदर, कसगुर	शासकीय महाविद्यालय, गडला
14.	श्रीमती संविदा विजारी	512 अस्तुरवा नगर राजमग	शासकीय इन्फा महाविद्यालय, नीमग
15.	श्री अश्वनरेत्र सुभंजो	ए. 60 कपला नगर, कोटरा सुल्तानाघाट, भीषात	शासकीय महाविद्यालय, सिजनी गालम 1 हर्षीगंज
16.	श्री सुरेश सिंघ	भैरव पैसालय भवन, राजमगर बाई हर्षीगंज	शासकीय महाविद्यालय, नेमानगर 1 कसगुर
17.	श्री लक्ष्मी पराशर	एन. आई. जी. 1, अरुणपुर एच. पी. कोलोनी, उरई	शासकीय महाविद्यालय, दलपारा 1 कसगुर
18.	श्री संगीता सुक्ला	चीमे कालोनी महाविद्यालय अनन के पास राफपुर	शासकीय महाविद्यालय, दालौट 1 दुर्ग
19.	श्री राजकुमार घंठे 1 एन. सी. 1	ब्रैटगोर डाटल कपरा नं. 58/1 यू. टी. इडि. शायर	शासकीय महाविद्यालय, जुनारदेव 1 सिन्टवाडा 1
20.	श्री पूरुषोत्तम प्रजापति 1 एन. सी. 1	नर्मदे हायर सेकेंडरी स्कूल फेरीवारी गडडोल 1 मोगडा 1	शासकीय महाविद्यालय, हर्षीगंज 1 राजनगंज
21.	श्रीमती शीला सिंह 1 एन. सी. 1	एन. आई. जी. 94/3 सी. गक्तिनगर हर्षीगंज, भीषात	शासकीय महाविद्यालय सिजनी
22.	श्री अर्चना ए रामदेव 1 एन. सी. 1	डिपार्टमेंट ऑफ चांगोला साइंट. एम. फिल. स्टेंड राफपुर मुनिवर्तिटी, राफपुर	शासकीय महाविद्यालय राजनांगंज
23.	श्री रीटा सक्ला 1 एन. सी. 1	चंद्रोत पुल्ल डंगल स्कूल, विजानपुर	शासकीय महाविद्यालय गिरी विजानपुर
24.	श्री गोवर्धन सिंह ठाकुर 1 एन. सी. 1	ग्राम व डाकघाना पुरी घराभा तह. काठेर 1 कसगुर	शासकीय महाविद्यालय इन्फा उरई वीकी 1 दुर्ग


 आर स. घा, 8.11.89.
 महाप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

Dr.Kamlesh Ahirwar

प्रति,

श्रीमान् प्राचार्य महोदय,
शास. महाविद्यालय बरेली,
जिला- रायसेन (म.प्र.)

विषय: कार्यभार ग्रहण करने बाबत।

संदर्भ: म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग आदेश क्र. एफ-1-29/2003/1/अवतीस,
भोपाल दिनांक 27 जून, 2005

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि संदर्भित आदेश के पालन में मेरे पदस्थापना
सहायक प्राध्यापक (प्राणीशास्त्र) के पद पर शासकीय महाविद्यालय बरेली में हुई है।

अतः मैं उक्त आदेश के पालन में आज दिनांक 04.07.2005 को पूर्वान्त
अपने कर्तव्य पर उपस्थित हो गयी हूँ।

सादर!

Received on 11:45AM
4/8/05
04/07/05 दिनांक: 04.07.2005
PRINCIPAL
Govt. P.G. College, Bareilly
Distt. Bareilly

प्रार्थिनी,

Kamlesh Ahirwar
4.07.05

(कु० कमलेश अहिरवार)
पुत्री स्व.श्री लक्ष्मणदास अहिरवार
जी-86/6, तुलसी नगर,
सेकेण्ड स्टाप, भोपाल (म.प्र.)

संलग्न:

1. संदर्भित आदेश की छायाप्रति।
2. जिला चिकित्सालय मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मूलतः।
3. शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति।

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
// आदेश //

भोपाल, दिनांक 29-6-87.

क्रमांक एफ 1/207/86/स-1/38, —मोप्रो तदर्थ नियुक्तियों का नियमितकरण नियम 1986 तथा सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रो एफ.स-6-30-86-समो॥1॥ द्वारा मोप्रो राजपत्र अधिसूचना दिनांक 5-6-86 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए तदर्थ ल्य से कार्यरत तहो प्राध्यापकों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित पदों की पूर्ति नियम 9॥2॥ के अंतर्गत निम्नलिखित को स्थापना ल्य से आगामी आदेश तक संलग्न परिशिष्टमें अंकित विषय के सहायक प्राध्यापक पद पर मोप्रो शैक्षणिक सेवा महाविद्यालयीन शाखा में रु० 700-40-1100-50-1300 असेसमेंन्ट-50-1600 यू.जी.सी. वेतनमान के वेतनमान में उनके नाम के समक्ष अंकित महाविद्यालय में परीक्षा पर नियुक्त किया जाता है। नियुक्त उस्मीदवार का विवरण संलग्न परिशिष्ट में दर्शाया गया है।

2/- उपर्युक्त नियुक्ति उनके चरित्र सत्यपन प्रतिवेदन के समाधानकारक पाये जाने की प्रत्याशा में दी जाती है। यदि उनका चरित्र सत्यपन प्रतिवेदन समाधानकारक नहीं पाया गया तो उनकी नियुक्ति बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।

3/- उपरोक्त नियुक्त किए गए उस्मीदवारों की वरिष्ठता स्थायी होने पर में कार्यरत तदर्थ सहायक प्राध्यापकों के नियमितकरण में पात्र व्यक्तियों के नीचे मान्य की जावेगी।

4/- यह नियुक्ति किसी भी ओर से एक माह का नोटिस अथवा उसकी खज में एक माह का वेतन दिया जाकर समाप्त की जा सकेगी।

5/- पद का नाम तथा वेतनमान शासन द्वारा किसी भी समय पुनरीक्षित किया जा सकता है।

6/- उपरोक्त नियुक्त व्यक्ति को इस आदेश के जारी होने के दिनांक से 8 वर्षों के अंदर स्नातकोत्तर उपाधि मास्टर्स डिग्री के बाद की मान्यता

क्रमशः 2/ - - -

प्राणीशास्त्र क्रमशः

1.	2.	3.	4.	5.
8.	श्री सुखदेव डोंगरे एम.एससी. पुत्र श्री शिवजी डोंगरे ग्राम बडोरा जिला- बैतूल एम.प्र.०	2.7.60	शास. महावि. मनावर 540	675
9.	श्री पंज. बराम चन्देलकर एम.एससी. डा. श्री इन्दरणी चन्देलकर ग्राम-देवगांव, पो. खापा खेडा तह. पुलताई, जिला- बैतूल एम.प्र.०	23.6.61	शास. स्नातकोत्तर महावि. मुन्ना 526	675
10.	श्री अमरलक्ष्मण सिंह गजेन्द्र एम.एससी. ग्राम-डेकारी, पो. गिरौद जिला- रायपुर एम.प्र.०	7.10.58	शास. महावि. किरन्दुल 453	670
11.	श्री. मती किरणलता दामले एम.एससी. दारा डा. एसके. दामले डी-15 कौशा नगर राजभांकाव	31.7.62	शास. स्नातकोत्तर महावि. विलासपुर 230	559
			450	1000

नियुक्त प्राध्यापकों को इतने वर्ष कितनी भी अवकाश प्राप्त हो
होगे तथा स्थान परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

2/ नियुक्त प्राध्यापकों द्वारा अपनी पदस्थापना के महाविद्यालय में यदि
दिनांक 15-7-87 तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो उनको
नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जावेगी तथा उनके स्थान पर दूसरे
प्राध्यापकों को नियुक्त किया जा सकेगा।

प्री. एस. टी. मरहास

उप. सचिव

एम. प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग.

रामचंद्रानी/30687/x

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग,
भारत

14.6.87

क्रमांक एफ-1/225/86/ए-1/30 मसौदा तहसील निगुवित्तियों का निर्धारण नियम 1986 तथा सामान्य प्रशासन विभाग के हापन क्रमांक एफ-6-30-86-एम-1 द्वारा मध्य प्रदेश राजपत्र असाधारण में प्रकाशित अध्यापना दिनांक 5-6-86 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए तदर्थ स्वसे कार्यरत सहायक प्राध्यापकों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति हेतु नियम 9(2) के अन्तर्गत निम्नलिखित को स्थानापन्न स्थित आगामी आदेशों तक विद्यार्थी प्राणीशास्त्र के सहायक प्राध्यापक पद पर मध्य प्रदेश शैक्षणिक सेवा महाविद्यालयीन प्राध्यापकों के अन्तर्गत 100-50-1300 असेसमेंट 50-1600 के वेतनमान में उनके नाम के तदर्थ अंकित महाविद्यालयों में परीक्षा पर नियुक्त किया जाता है :-

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. श्री भगवान दास नागले एससी 20-3-63 | शासकीय महाविद्यालय, हटा लोड |
| अससओ श्री फुटन नागले,
शासओ उओ माओ विद्यालय, बरा,
तहओ मण्डा जिला- सागर. | स्नातक स्नातको 529 727
1700 1200 |
| 2. श्री कुजेन्द्र रावत एससी 13-5-63 | शासकीय महाविद्यालय, सेनाथा. |
| 135, पैसानपुरा, मडूमओओ | 619 604
1350 1000 |
| 3. श्रीमती प्रेमलता सोन एससी 12-6-63 | शासओस्नातओल्लर महाविद्यालय, शहडोल. |
| पत्नी श्री मोजेन्द्र सिंह सोन
मेला दुल्लपुर ठाठोपुर, मुरार ग्वालियर. | 256 598
450 1000 |
| 4. श्री रवीन्द्र कुमार घोषा एससी 20, ललपाने मार्ग, शाहजहाँनाबाद, जौषातरेमओओ | शासओमहाविद्यालय, पेण्ड्रा बिलासपुर |
| | 248 588
450 1000 |
| 5. कुमारी हर्षलिता सोनटक्के एससी 28-7-64 | शासओमहाविद्यालय, चण्डी बिलासपुर |
| द्वारा श्री टोओडीओसोन्टक्के,
72, कडियाना, जवलपुर मओओ | 440 587
900 1000 |
| 6. श्री रमेश चन्द्र घाबरणे एससी 8-12-60 | शासओ महाविद्यालय, बालोदरेकु |
| द्वारा श्री मोहननाल घाबरणे,
टो 4, रेलवे स्टेशन, बैरागढ,
मोषातरेमओओ. | 211 573
450 1000 |

निरन्तर... 2 ...

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

Mr. Sanjay Kumar
Vishwakarma



कार्यालय प्राचार्य, ज.हा.शासकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय बैतूल, (म.प्र.) 460001
नेक द्वारा प्रदत्त ग्रेड B+


e-mail : hegjhpgcbet@mp.gov.in

क्रं. /स्थापना /2019

बैतूल,दिनांक

कार्यालयीन आदेश

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा, मंत्रालय भोपाल का आदेश क्र. एफ 1-78/2019/38/1 भोपाल, दिनांक 13.12.2019 द्वारा आदेश के सरल क्रं. 108 लो.से.आ.की चयन सूची क्रं/चयन वर्ष 116/2019 श्री संजय कुमार विश्वकर्मा द्वारा आज दिनांक 14.12.2019 को पूर्वान्ह में सहायक प्राध्यापक प्राणीशास्त्र के पद पर इस महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर लिया है ।



प्राचार्य

ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल

पृ.क्रं. 215 /स्थापना /2019
प्रतिलिपि :-

बैतूल, दिनांक 14.12.19

- 1 विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्चशिक्षा म.प्र.भोपाल ।
- 2 अवर सचिव, म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल ।
- 3 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
- 4 आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र.शासन सतपुड़ा भवन भोपाल ।
- 5 क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, भोपाल-नर्मदापुरम संभाग, एम.एल.बी.कन्या महाविद्यालय परिसर भोपाल ।
- 6 जिला चिकित्सा अधिकारी बैतूल की ओर सूचनार्थ ।
- 7 जिला कोषालय अधिकारी बैतूल ।
- 8 विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र विभाग, ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल ।
- 9 लेखापाल, ज.हा.शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैतूल ।
- 10 संबंधित अधिकारी श्री संजय कुमार विश्वकर्मा, सहायक प्राध्यापक प्राणीशास्त्र जयवंती हॉक्सर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- 11 कार्यालय प्रति ।


प्राचार्य 14.12.19

ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल

प्राचार्य
ज. हा. शास. महा. बैतूल

Dr.Pratibha Choure



कार्यालय प्राचार्य, ज.हा.शासकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय बैतूल, (म.प्र.) 460001

नेक द्वारा प्रदत्त ग्रेड B+

e-mail : hegjhpgcbet@mp.gov.in

क्रं /स्थापना /2019

बैतूल,दिनांक

कार्यालयीन आदेश

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा, मंत्रालय भोपाल का आदेश क्रं.एफ 1-78/2019/38/1 भोपाल, दिनांक 13.12.2019 द्वारा आदेश के सरल क्रं. 94 लो.से.आ.की चयन सूची क्रं./चयन वर्ष 102/2019 डॉ. प्रतिभा चौरे द्वारा आज दिनांक 14.12.2019 को पूर्वान्ह में सहायक प्राध्यापक प्राणीशास्त्र के पद पर इस महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर लिया है ।

5/1

प्राचार्य

ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल

पृ.क्रं. 212 /स्थापना /2019
प्रतिलिपि :-

बैतूल, दिनांक 14.12.2019

- 1 विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्चशिक्षा म.प्र.भोपाल ।
2. अवर सचिव, म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल ।
- 3 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
- 4 आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र.शासन सतपुड़ा भवन भोपाल ।
- 5 क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, भोपाल-नर्मदापुरम संभाग, एम.एल.बी.कन्या महाविद्यालय परिसर भोपाल ।
- 6 जिला चिकित्सा अधिकारी बैतूल की ओर सूचनार्थ ।
- 7 जिला कोषालय अधिकारी बैतूल ।
- 8 विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र विभाग, ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल ।
- 9 लेखापाल, ज.हा.शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैतूल ।
- 10 संबंधित अधिकारी डॉ.प्रतिभा चौरे, सहायक प्राध्यापक प्राणीशास्त्र जयवंती हॉक्सर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- 11 कार्यालय प्रति ।

14/12/19

प्राचार्य

ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल
ज.हा.शास. मंदा. बैतूल

Dr.Manohar Rao
Gawnde



य प्राचार्य, ज.हा.शासकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय बैतूल, (म.प्र.) 460001

नेक द्वारा प्रदत्त ग्रेड B+


e-mail : hegjhpgcbet@mp.gov.in

क्रं. /स्थापना /2019

बैतूल,दिनांक

कार्यालयीन आदेश

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा, मंत्रालय भोपाल का आदेश क्र. एफ 1-78/2019/38/ भोपाल, दिनांक 13.12.2019 द्वारा आदेश के सरल क्रं. 73 लो.से.आ.की चयन सूची क्रं/चयन व 80/2019 डॉ. मनोहर राव गावण्डे द्वारा आज दिनांक 14.12.2019 को पूर्वान्ह में सहायक प्राध्यापक प्राणीशास्त्र के पद पर इस महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर लिया है।



प्राचार्य

ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल

पृ.क्र. 2119 /स्थापना /2019
प्रतिलिपि :-

बैतूल, दिनांक 14.12.2019

- 1 विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा म.प्र.भोपाल ।
- 2 अवर सचिव, म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल ।
- 3 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
- 4 आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र.शासन सतपुड़ा भवन भोपाल ।
- 5 क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, भोपाल-नर्मदापुरम संभाग, एम.एल.बी.कन्या महाविद्यालय परिसर भोपाल ।
- 6 जिला चिकित्सा अधिकारी बैतूल की ओर सूचनार्थ ।
- 7 जिला कोषालय अधिकारी बैतूल ।
- 8 विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र विभाग, ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल ।
- 9 लेखापाल, ज.हा.शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैतूल ।
- 10 संबंधित अधिकारी डॉ. मनोहर राव गावण्डे, सहायक प्राध्यापक प्राणीशास्त्र जयवंती हॉक्सर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- 11 कार्यालय प्रति ।


प्राचार्य 14.12.19

ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल

प्राचार्य
ज.हा. शास. महा. बैतूल


Miss. Kiran Khatarkar

कार्यालय सचिव, जनभागीदारी समिति
जयवंती हॉक्सर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैतूल (म.प्र.)
क्रमांक 215 /2021 बैतूल, दिनांक 11.09.2021
प्रति,
नाम सुश्री किरण खातरकर
पिता का नाम श्री नंदकिशोर खातरकर
पता एम.जी.एम.कालोनी पो.पायाखेड़ा जिला बैतूल ।
विषय :- अतिथि विद्वान आमंत्रण 2021-22 के संबंध में आमंत्रण पत्र विषयक ।
संदर्भ :- आपका आवेदन क्रं. 106769 दिनांक 11.09.2021

--0--

विषयान्तर्गत एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आपको जयवंती हॉक्सर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्राणीशास्त्र विषय हेतु अतिथि विद्वान आमंत्रण के रूप में आमंत्रित करने हेतु सहमति हुई है । आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपको शैक्षणिक सत्र 2021-22 में अतिथि विद्वान हेतु यह आमंत्रण निम्न शर्तों के अध्याधीन होगा :-

1. यह आपको प्रतिदिवस न्यूनतम 5 घंटे तथा प्रति सप्ताह न्यूनतम 40 घंटे उपस्थित रहना अनिवार्य होगा जिसके अनुसार प्रतिदिवस औसत 7 घंटे का कार्यकाल अपेक्षित है । अतिथि विद्वानों द्वारा प्रति सप्ताह न्यूनतम 16 घंटे का प्रत्यक्ष शिक्षण किया जाना अनिवार्य होगा, इसके अतिरिक्त ट्यूटोरियल, रेमेडियल क्लासेस आदि में भी शिक्षण का कार्य करेंगे । महाविद्यालय की आवश्यकतानुसार प्राचार्य द्वारा कार्यभार में वृद्धि भी की जा सकती है ।
2. अतिथि विद्वान का मानदेय शासन की नीति/निर्देश दिनांक 17.12.2019 की कंडिका 5.1 अनुसार होगा ।
3. यह आमंत्रण वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2021-22 अर्थात् 30 जून 2022 के लिए सीमित होगा ।
4. यह आमंत्रण किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के सचिव, जनभागीदारी समिति द्वारा समाप्त किया जा सकेगा ।
5. महाविद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा ।
6. आपको महाविद्यालय में अपने मूल प्रमाण पत्र एवं पुलिस या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण न होने संबंधी प्रमाण/अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में कार्यरत न होने के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
7. आवेदक को आवंटित महाविद्यालय में दिनांक महाविद्यालय में उपस्थिति देनी होगी ।
8. आवंटित महाविद्यालय में उपस्थित होने पर मूल प्रमाण पत्रों का पुनः सत्यापन करना होगा ।
9. आपको शासन के आदेश क्रमांक एफ 1-42/2017/38-1 भोपाल दिनांक 17.12.2019 में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन अतिथि विद्वान हेतु आमंत्रित किया जा रहा है ।
10. यह आमंत्रण माननीय उच्च न्यायालय में अतिथि विद्वान आमंत्रण प्रक्रिया से संबंधित याचिकाओं में पारित होने वाले माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयों के अध्याधीन रहेगा ।


सचिव

जनभागीदारी समिति
ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल
बैतूल दिनांक

पृ.क्रं. /2021
प्रतिलिपि :-

1. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा भोपाल-नर्मदापुरम संभाग की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
2. कार्यालय प्रति ।

सचिव
जनभागीदारी समिति
ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग

हाला

भोपाल, दिनांक 10 MAR 1987, 1987.

क्रमांक एफ 1/27/87/ए-1/38 - मध्य प्रदेश तदर्थ नियुक्तियों का निवृत्तिकरण
निष्पत्ति, 1986 तथा सामान्य प्रशासन विभाग के शासन क्रमांक एफ-ए-4-30-86-एन[1]
द्वारा 3098 राजपत्र [अज्ञात] में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 5/6/86 में प्रदत्त
अधिकारों का उपयोग करते हुए तदर्थ स्व से कार्यरत निम्नलिखित स्टाफ प्राध्यापक
को स्थानांतरण स्व से जानामी आदेश तक ~~अधीनस्थ~~ विषय के स्टाफ
प्राध्यापक बंद कर मध्य प्रदेश शैक्षणिक सेवा [महाविद्यालयीन शाखा] में एच 700-40-
1100-50-1300-अतेन्सेन्ट-50-1600 के वेतनमान में उनके नाम के समक्ष अंकित महाविद्यालय
में परिचीक्षा कर नियुक्त किया जाता है ।

प्रत्याशी एवं पिता/वृत्ति का नाम	जन्मतिथि	महाविद्यालय जहाँ पदार्कित किया जाता है
<p>नाम</p> <p>31. श्री कृतिश कुमार</p> <p>आचार्य श्री रामोत्तम दुबे</p> <p>सहायक प्राध्यापक पद पर</p> <p>प्रथम तदर्थ नियुक्ति का</p> <p>दिनांक :- 3, 9, 82</p> <p>महाविद्यालय, बैतूल</p>	<p>1-1-1959</p> <p>1) वास्तविक कार्यक्षेत्र अधिकांशतः मुंगतरा किया गया है. 1276 कि</p> <p>2) प्रारंभिक स्नातक बी.एस-सी. 440/900-II</p> <p>3) प्रारंभिक स्नातकोत्तर उम. एस-सी. 655/1000-I</p>	<p>महाविद्यालय, बैतूल</p> <p>महाविद्यालय, बैतूल</p>

2- उपर्युक्त नियुक्ति उनके चरित्र तत्यापन प्रतिवेदन के समाधान करके पार जाने की प्रत्याशा में की जाती है । यदि उनका चरित्र तत्यापन प्रतिवेदन, समाधान न हो पाया गया तो उनकी नियुक्ति बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी ।

3- उपर्युक्त नियमों के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्ति इस आदेश की तारीख से ही नियमित नियुक्ति का फात्र होगा और उसे उन व्यक्तियों के नीचे रखा जाएगा जो इन नियमों के अधीन नियुक्त किये जाने के पूर्व तत्संगत भरती नियमों के अनुसार नियुक्त किए गए हैं ।

PRINCIPAL
M. Government College
Batal.

आदेश

भोपाल, दिनांक - 01 फरवरी 2005


क्रमांक एफ-1-28/2003/अड़तीस: मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित निम्नलिखित अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को 2 वर्ष के भीतर नेट या स्लेट या पी.एच.डी. की अर्हता अर्जित करने की शर्त पर दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर सहायक प्राध्यापक भौतिक शास्त्र के पद पर वेतनमान रूपये 8000-275-13500 में उनके नाम के सम्मुख दर्शाए गए महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करते हुए पदस्थ किया जाता है :-

क्र.	चयन सूची	नाम	वर्ग	पदस्थापना स्थान
1	2	3	4	5
1.	13	श्री महेन्द्र मेहरा	अ.जा.	शा. महा. हरदा
2.	94	श्री मुकेश कुमार जोटे	अ.जा.	शा. महा. मुलताई
3.	63	श्री सालिगराम वर्मा	अ.ज.जा.	शा. महा. बड़वाह
4.	28	श्री सुनील कुमार उजले	अ.जा.	शा. कन्या. महा. खरगोन
5.	01	श्री अशोक कुमार बरैया	अ.जा.	शा. महा. आरोन
6.	37	श्रीमती चन्द्रप्रभा वर्मा	अ.जा.	शा. महा. मंडला
7.	129	श्री दिलीपसिंह सौलंकी	अ.जा.जा.	शा. महा. नेपालनगर
8.	47	शालिनी पाटिल	अ.जा.	शा. महा. भुआविछिया
	80	श्री सुभाष खातरकर	अ.जा.	शा. महा. बरेली
10.	119	श्री धमेन्द्र भालसे	अ.जा.	शा. महा. कन्या खरगोन
11.	05	श्री आनंद स्वरूप लहरिया	अ.जा.	शा. महा. अशोकनगर
12.	96	श्री धमेन्द्रसिंह फिरोजिया	अ.जा.	शा. महा. रामपुरा
13.	30	श्री महेन्द्रकुमार भारद्वाज	अ.जा.	शा. महा. खातेगांव
14.	187	कु. अंबु नागर	अ.जा.	शा. कन्या महा. शिवपुरी
15.	124	कु. स्वाती खोन्नागडे	अ.जा.	शा. कन्या महा. बालाघाट
16.	09	श्री अमित कुमार बैलिया	अ.जा.	शा. महा. बैगमगंज
17.	164	श्री देवेन्द्र कुमार बरवडे	अ.जा.	शा. महा. छनेरा
18.	103	श्री अजय कुमार बघेल	अ.जा.	शा. महा. हटा
19.	15	श्रीमती दिव्या डेहरिया	अ.जा.	शा. महा. खुई
20.	60	श्री मनोज कुमार नागर	अ.जा.	शा. महा. मंडेनश्वर
21.	19	श्री अशोक कुमार अहिरवार	अ.जा.	शा. महा. बरेली

..2..

Feb. 05

Mr. Shivprakash Pawar



य प्राचार्य, ज.हा.शासकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय बैतूल, (म.प्र.) 460001

नेक द्वारा प्रदत्त ग्रेड B+

e-mail : hegjhpgcbet@mp.gov.in

क्रं. 2122

/स्थापना /2019

बैतूल,दिनांक 14.12.2019

कार्यालयीन आदेश

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा, मंत्रालय भोपाल का आदेश क्रं. एफ 1-89/2019/38/1 भोपाल, दिनांक 13.12.2019 द्वारा आदेश के सरल क्रं. 93 लो.से.आ.की चयन सूची क्रं./चयन वर्ष 101/2019 श्री शिव प्रकाश पंवार द्वारा आज दिनांक 14.12.2019 को पूर्वान्ह में सहायक प्राध्यापक भौतिकशास्त्र के पद पर इस महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर लिया है।


प्राचार्य


ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल

पृ.क्रं. 2123 /स्थापना /2019

बैतूल, दिनांक 14.12.2019

प्रतिलिपि :-

- 1 विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्चशिक्षा म.प्र.भोपाल।
2. अवर सचिव, म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल।
- 3 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
- 4 आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र.शासन सतपुड़ा भवन भोपाल।
- 5 क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, भोपाल-नर्मदापुरम संभाग, एम.एल.बी.कन्या महाविद्यालय परिसर भोपाल।
- 6 जिला चिकित्सा अधिकारी बैतूल।
- 7 जिला कोषालय अधिकारी बैतूल।
- 8 विभागाध्यक्ष, भौतिकशास्त्र विभाग, ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल।
- 9 लेखापाल, ज.हा.शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैतूल।
- 10 संबंधित अधिकारी श्री शिव प्रकाश पंवार, सहायक प्राध्यापक भौतिकशास्त्र, जयवंती हॉवसर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 11 कार्यालय प्रति।


प्राचार्य

ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल

Mr. Nidhish Kumar
Mishra

कार्यालय सचिव, जनभागीदारी समिति
हॉक्सर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैतूल (म.प्र.)
बैतूल, दिनांक 02.07.2021

क्रमांक 301 /2021
प्रति,

नाम श्री निधीश कुमार मिश्रा
पिता का नाम श्री विनोद कुमार मिश्रा
पता मोती वार्ड कोठी बाजार अवस्थी गोदाम के सामने बैतूल ।
विषय :- अतिथि विद्वान आमंत्रण 2021-22 के संबंध में आमंत्रण पत्र विषयक ।
संदर्भ :- आपका आवेदन क्रं. 537776 दिनांक 01.07.2021

--0--

विषयान्तर्गत एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आपको जयवंती हॉक्सर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में भौतिकशास्त्र विषय हेतु अतिथि विद्वान आमंत्रण के रूप में आमंत्रित करने हेतु सहमति हुई है । आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपको शैक्षणिक सत्र 2021-22 में अतिथि विद्वान हेतु यह आमंत्रण निम्न शर्तों के अध्याधीन होगा :-

1. यह आपको प्रतिदिवस न्यूनतम 5 घंटे तथा प्रति सप्ताह न्यूनतम 40 घंटे उपस्थित रहना अनिवार्य होगा जिसके अनुसार प्रतिदिवस औसत 7 घंटे का कार्यकाल अपेक्षित है । अतिथि विद्वानों द्वारा प्रति सप्ताह न्यूनतम 16 घंटे का प्रत्यक्ष शिक्षण किया जाना अनिवार्य होगा, इसके अतिरिक्त ट्यूटोरियल, रेमेडियल क्लासेस आदि में भी शिक्षण का कार्य करेंगे । महाविद्यालय की आवश्यकतानुसार प्राचार्य द्वारा कार्यभार में वृद्धि भी की जा सकती है ।
2. अतिथि विद्वान का मानदेय शासन की नीति/निर्देश दिनांक 17.12.2019 की कंडिका 5.1 अनुसार होगा ।
3. यह आमंत्रण वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2021-22 अर्थात् 30 जून 2022 के लिए सीमित होगा ।
4. यह आमंत्रण किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के सचिव, जनभागीदारी समिति द्वारा समाप्त किया जा सकेगा ।
5. महाविद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा ।
6. आपको महाविद्यालय में अपने मूल प्रमाण पत्र एवं पुलिस या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण न होने संबंधी प्रमाण/अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में कार्यरत न होने के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
7. आवेदक को आवंटित महाविद्यालय में दिनांक महाविद्यालय में उपस्थिति देनी होगी ।
8. आवंटित महाविद्यालय में उपस्थित होने पर मूल प्रमाण पत्रों का पुनः स्त्यापन करना होगा ।
9. आपको शासन के आदेश क्रमांक एफ 1-42/2017/38-1 भोपाल दिनांक 17.12.2019 में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन अतिथि विद्वान हेतु आमंत्रित किया जा रहा है ।
10. यह आमंत्रण माननीय उच्च न्यायालय में अतिथि विद्वान आमंत्रण प्रक्रिया से संबंधित याचिकाओं में पारित होने वाले माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयों के अध्याधीन रहेगा ।

सचिव

जनभागीदारी समिति / सचिव
ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल
बैतूल दिनांक 02.07.2021

पृ.क्रं. /2021
प्रतिलिपि :-

1. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा भोपाल-नर्मदापुरम संभाग की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
2. कार्यालय प्रति ।

सचिव
जनभागीदारी समिति
ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल

Dr.Sudama Kokate

कार्यालय सचिव, जनभागीदारी समिति

जयवंती हॉक्सर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैतूल (म.प्र.)

क्रमांक 732 /2021
प्रति,

बैतूल, दिनांक 17.11.2021

नाम डॉ.सुदामा कोकाटे

पिता का नाम श्री खुश्याल कोकाटे

पता द्वारका नगर बडोरा बैतूल ।

विषय :- अतिथि विद्वान आमंत्रण 2021-22 के संबंध में आमंत्रण पत्र विषयक ।

संदर्भ :- आपका आवेदन क्रं. 2020148 दिनांक 17.11.2021

--0--

विषयान्तर्गत एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आपको जयवंती हॉक्सर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में भौतिकशास्त्र विषय हेतु अतिथि विद्वान आमंत्रण के रूप में आमंत्रित करने हेतु सहमति हुई है । आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपको शैक्षणिक सत्र 2021-22 में अतिथि विद्वान हेतु यह आमंत्रण निम्न शर्तों के अध्याधीन होगा :-

1. यह आपको प्रतिदिवस न्यूनतम 5 घंटे तथा प्रति सप्ताह न्यूनतम 40 घंटे उपस्थित रहना अनिवार्य होगा जिसके अनुसार प्रतिदिवस औसत 7 घंटे का कार्यकाल अपेक्षित है । अतिथि विद्वानों द्वारा प्रति सप्ताह न्यूनतम 16 घंटे का प्रत्यक्ष शिक्षण किया जाना अनिवार्य होगा, इसके अतिरिक्त ट्यूटोरियल, रेमेडियल क्लासेस आदि में भी शिक्षण का कार्य करेंगे । महाविद्यालय की आवश्यकतानुसार प्राचार्य द्वारा कार्यभार में वृद्धि भी की जा सकती है ।
2. अतिथि विद्वान का मानदेय शासन की नीति/निर्देश दिनांक 17.12.2019 की कंडिका 5.1 अनुसार होगा ।
3. यह आमंत्रण वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2021-22 अर्थात् 30 जून 2022 के लिए सीमित होगा ।
4. यह आमंत्रण किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के सचिव, जनभागीदारी समिति द्वारा समाप्त किया जा सकेगा ।
5. महाविद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा ।
6. आपको महाविद्यालय में अपने मूल प्रमाण पत्र एवं पुलिस या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण न होने संबंधी प्रमाण/अन्य शासकीय /अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में कार्यरत न होने के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
7. आवेदक को आवंटित महाविद्यालय में दिनांक महाविद्यालय में उपस्थिति देनी होगी ।
8. आवंटित महाविद्यालय में उपस्थित होने पर मूल प्रमाण पत्रों का पुनः सत्यापन करना होगा ।
9. आपको शासन के आदेश क्रमांक एफ 1-42/2017/38-1 भोपाल दिनांक 17.12.2019 में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन अतिथि विद्वान हेतु आमंत्रित किया जा रहा है ।
10. यह आमंत्रण माननीय उच्च न्यायालय में अतिथि विद्वान आमंत्रण प्रक्रिया से संबंधित याचिकाओं में पारित होने वाले माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयों के अध्याधीन रहेगा ।

पृ.क्रं. /2021


प्रतिलिपि :-

1. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा भोपाल-नर्मदापुरम संभाग की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
2. कार्यालय प्रति ।

सचिव
जनभागीदारी समिति
ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल
बैतूल दिनांक 17.11.2021

सचिव
जनभागीदारी समिति
ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल

Mrs. Babita Chouhan



जय प्राचार्य, ज.हा.शासकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय बैतूल, (म.प्र.) 460001

नेक द्वारा प्रदत्त ग्रेड B+
दूरभाष क्र. 07141-234244 (कार्यालय), 07141-231666 (फैक्स)
e-mail : hegjhpgcbet@mp.gov.in

क्रमांक 5022/2020/स्व.अ.वि.
प्रति,

बैतूल दिनांक 08/07/2020

श्री. बबिता चौहान
पिता महाबाग सिंह
चन्द्रशेखर बाई मंडल देवल

विषय:- अतिथि विद्वानों को सत्र 2020-21 के लिए आमंत्रण आवेदन बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख आपको इस महाविद्यालय की जनभागीदारी के अंतर्गत स्ववित्तपोषी व्यवस्था के आधार पर अतिथि विद्वान जनभागीदारी पर व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित किया जाता है। इस हेतु आपको जनभागीदारी समिति द्वारा अनुशंसित मानदेय प्रदान किया जावेगा।

आपका आमंत्रण निम्न शर्तों के अध्याधीन होगा

1. आपको प्रत्येक कार्य दिवस में 04 कालखंड लेने होंगे।
2. यह आमंत्रण शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए ही सीमित होगा। आपकी व्याख्यान देने की पात्रता किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के सचिव जनभागीदारी समिति द्वारा समाप्त की जावेगी।
3. अतिथि विद्वान किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे और वे लोक सेवक की विधि विधिक परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जायेंगे।
4. यह केवल आमंत्रण पत्र है नियुक्ति पत्र नहीं। किसी भी न्यायालयीन प्रक्रिया हेतु इसे प्रयोग नहीं किया जावेगा।
5. आपको महाविद्यालय में अपने मूल प्रमाण पत्रों एवं पुलिस या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण न होने संबंधी प्रमाण। अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/शासकीय सेवा में कार्यरत न होने के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. अतिथि विद्वान शैक्षणिक सत्र 2020-21 में सत्र के बीच में व्याख्यान की असमर्थता व्यक्त करते हैं तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को एक माह पूर्व सूचना देनी होगी अन्यथा 01 माह का मानदेय जमा करना होगा।
7. शैक्षणिक सत्र 2020-21 हेतु आपको पुनः आमंत्रित किया जा रहा है शासन से भविष्य में प्राप्त होने वाले आदेशों/निर्देशों का पालन किया जायेगा।

टीप :- आमंत्रण पत्र जारी होने की तिथि से सात दिवस की अवधि में उपस्थित न होने की दशा में आमंत्रण स्वतः निरस्त माना जावेगा।

विभागाध्यक्ष स्ववित्तपोषी
ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल
(B.C.A./B.Sc. Compl. Sc.)
Baitul, Dist. Betul, M.P.

08/07/2020
प्राचार्य, सचिव
ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल

(3)

मध्यप्रदेश शासन,
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, पल्लभ भवन भोपाल

//आदेश//

भोपाल, दिनांक | जुलाई, 94

क्रमांक एफ-1/140/93/ए-1/38 रतापनशास्त्र-मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से वयनित निम्नलिखित उम्मीदवारों को तहाएक प्राध्यापक रतापनशास्त्र के पद पर वेतनमान रू० 2200-75-2800-100-4000 में उनके नाम के समक्ष अंकित तहा विद्यालय में अस्थायी रूप से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है:-

क्र० नाम एवं वर्तमान पता महाविद्यालय जहाँ पदस्थ किया जाता है।
अवकाशित, रक्षण है।

31. डॉ० सहदेव शांभूराहा०सिरोज०विदिशा० ।
द्वारा श्रीमती सत्यवती देवी,
पी-4 केनाव कॉलोनी कौत्सीरोड राय-
नगर जिला-मैत्री ताल०उ.प्र.० ।
32. श्री प्रनोद कुमार पंडित शांभूराहा०नावर०धार० ।
द्वारा-डॉ० सी. रत. पंडित,
चौधुराम अस्पताल अनुंधारन,
पेंद्र सा विद्यालय इंदौर ।
33. कु० लमना ठाकुर शांभूराहा०डभरा०पिलासपुर० ।
द्वारा-श्रीमती रेखा ठाकुर
पीला-सहल के पास पो०शाक्ति जिला-
पिलासपुर ।
34. श्री अजय कुमार सिंह शांभूराहा०धमतरी०रायपुर० ।
द्वारा-पी०वी०पी०वी०सतनपुर०
जिला-मैसुरा०विहार०
35. कु० संध्या पिपलापुरे शांभूराहा०दगोड ।
द्वारा-सच. आई. जी. 010 पदनाकरनगर,
करोमिका०सागर० ।
37. श्री रत्नाकर मुदली शांभूराहा०भानुतापुर०बस्तर० ।
द्वारा-गोपीनाथपुर. पो०पुंगलपुर
कैरों, जिला-पालेसर०उडौसा०
39. श्री जितेन्द्र आस्थवानी शांभूराहा०पुरैना ।
द्वारा-ए-160 कला नगर आगरा
उ.प्र.० ।

आदेश
क्रमांक. 286
दिनांक 11.7.94
आदेश विभागाध्यक्ष
उच्च शिक्षा विभाग

..... 2

पत्र - "क"

राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सिन्धुवाड़ा (म.प्र.)

का विद्यालय का नाम

सहायक प्रोफेसर का नाम

कु. आभा शक्तेना - महा. प्राध्या.

विषय

रसायन शास्त्र

वेतन आहरण प्रमाण पत्र

नियुक्ति आदेशों का क्रमांक व दिनांक	महाविद्यालय का आदेश	वेतन आहरण की अवधि	कुल अवधि	
संचालनालय का आदेश		दिनांक से	दिनों में	
		दिनांक तक		
	प्रा.अ. क्र. 601 दि. 5.3.84	12.3.84	30.4.84	50
	प्रा.अ. क्र. 1203 दि. 11.5.84	8.5.84	3.11.84	184
	प्रा.अ. क्र. 1554 दि. 16.11.84	7.11.84	30.4.85	175
	प्रा.अ. क्र. 8021 दि. 30.4.85	3.5.85	3.11.85	185
	प्रा.अ. क्र. 3593 दि. 7.11.85	7.11.85	30.3.86	144

738

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती /कु. आभा शक्तेना को दिनांक 30.3.86 तक का वेतन
 दिया गया है और वे इस महाविद्यालय में अभी भी कार्यरत हैं/रहीं हैं तो वर्तमान में कहां कार्यरत है ?

1/8/87

प्राचार्य प्राचार्य

राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
 सिन्धुवाड़ा (म.प्र.)

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक-13/2/2009

क्रमांकएफ-1/88/2008/1/अडतीस-राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित निम्नलिखित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 2 वर्ष की प्रैक्टिस अवधि पर सहायक प्राध्यापक, रसायन शास्त्र के पद पर वेतनमान रूपये 8000-275-13500 में उनके नाम के समक्ष दर्शाये गये महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करते हुए पदस्थ किया जाता है :-

क्रमांक	नाम	वर्ग	पदस्थापना का स्थान
1	2	3	4
1.	श्री लक्ष्मीनारायण मालवीय	अन्य पिछड़ा वर्ग	शासकीय पी0जी0 महावि0 पिपरिया
2.	डॉ0 गोपाल प्रसाद साहू	अन्य पिछड़ा वर्ग	शासकीय पी0जी0 महाविद्यालय बैतूल
3. ✓	श्री एकनाथ निरापुरे	अ0जा0	शासकीय पी0जी0 महावि0 बैतूल

2. नियुक्त उम्मीदवार को जिला चिकित्सालय मेडीकल बोर्ड का स्वस्थ्य प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा ।

3. इन नियुक्तियों में मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबन्धों का और अधिनियम के उपबन्धों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये अनुदेशों का अनुपालन किया है तथा उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबन्धों का पूर्ण संज्ञान है ।

निरन्तर.....

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
बल्लभ भवन-462004.

आदेश
====

भोपाल, दिनांक 12 सितंबर, 2005

क्रमांक एफ. 1/30/2003/1/अड़तीस : मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित निम्नलिखित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को 2 वर्ष के भीतर नेट या स्लैट या पी. ह्व. डी. की उपाधि अर्जित करने की शर्त पर दो वर्ष की परिबीक्षा अवधि पर सहायक प्राध्यापक, रसायन शास्त्र के पद पर वेतनमान रुपये 8000-275-13500 में उनके नाम के सम्मुख दशमि गये महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करते हुये पदस्थ किया जाता है :-

क्रमांक	नाम	वर्ग	पदस्थापना स्थान
1.	2.	3.	4.
1.	श्री हीरालाल प्रजापति	अ. जा.	शा. महाविद्यालय, त्योंधर & रीवा
2.	कु. लक्ष्मी बरेलिया	--	शा. आदर्श विज्ञान महा. ग्वालियर
3.	श्रीमती शीला मैथ्यूटोप्पो	अ. ज. जा.	शा. विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर
4.	श्रीमती आराधना कनेरिया	अ. जा.	शा. एम. के. एस्. महाविद्यालय, भिंड
5.	श्रीमती प्रतिका भारती	--	शा. बालक महा. रायसेन
6.	श्री संतोष अभीरे	--	शा. महाविद्यालय, महाराजपुर.
7.	श्रीमती रीता बमनेला	--	शा. पी. जी. महा. दमोह
8.	श्री दीना प्रसाद प्रजापति	--	शा. महाविद्यालय, अनुपपुर
9.	श्री अनोज कुमार चट्टार	--	शा. महाविद्यालय, बारासिबनी
10.	श्री दिनेश बौरासी	--	शा. महाविद्यालय, मनासा
11.	श्री देवेन्द्र कुमार कोठ्टा	अ. ज. जा.	शा. महाविद्यालय, जुन्नारदेव
12.	श्री राकेश लाल टैगर	अ. जा.	शा. पी. जी. महा. श्योपुरकला
13.	श्री शिवप्रसाद उच्चरिया	--	शा. महाविद्यालय, डबरा
14.	श्रीमती ममता झाक्य	--	शा. के. पी. एस्. महा. देवास
15.	श्री आत्माराम मालवीय	--	शा. महाविद्यालय, पथरिया
16.	श्री पुरुषोत्तमदास शाक्य	--	शा. महाविद्यालय, पिछोर
17.	श्री कोकसिंह दादोरिया	--	शा. पी. जी. महाविद्यालय, दतिया.
18.	श्री अशोक बरुआ	--	शा. होल्कर विज्ञान महा. इंदौर
19.	श्री कालुराम कानुडे	--	शा. पी. जी. महाविद्यालय, रत्नाम
20.	श्री मुकेश कुमार आमो	अ. ज. जा.	शा. महाविद्यालय, डिंडोरी

:: (3) ::

	2	3	4.
	श्रीमती ममता प्रजापति	अ. जा.	शा. महाविद्यालय, गहडोल
	श्री पुष्पेन्द्र परसेडिया	-"-	शा. पी.जी. महा. शिवपुरी
	श्री संतोष कुमार दाखले	-"-	शा. पी.जी. महा. खरगोन
	श्री नंद किशोर भगत	-"-	शा. महाविद्यालय, ब्यौहारी
60.	कु. हिना हरित	-"-	शा. कन्या महा. नीमच
61.	श्री दिलेश कुमार इंदौरकर	-"-	शा. महाविद्यालय, लखनादोन
62.	कु. समता रानी	-"-	शा. कन्या महा. शिवपुरी
63.	डॉ. लक्ष्मी तंतुवाय	-"-	शा. महाविद्यालय, दमोह
64.	श्री गणेशसिंह बास्केल	अ. ज. जा.	शा. पी.जी. महा. मंडसौर
65.	श्री दीपक कुमार डाबर	-"-	शा. महाविद्यालय, "गरौठ"
66.	श्री मोहन सिंह मंडलोई	-"-	शा. पी.जी. महा. बड़वानी
67.	कु. रचना डैनियल	-"-	शा. पी.जी. महा. कटनी
68.	श्री महेन्द्र सल्लाम	-"-	शा. महाविद्यालय, मुलताई
69.	श्री गोरेलाल बड़ोले	-"-	शा. महाविद्यालय, वाचरौद
70.	श्री चंद्रसिंह कनेश	-"-	शा. महाविद्यालय, अली राजपुर
71.	कु. रीना पुर्वे,	-"-	शा. पी.जी. महा. सीहौर .
72.	कु. कविता ठाकुर	-"-	शा. पी.जी. महा. धार
73.	श्री प्रकाश मोरे	-"-	शा. महाविद्यालय, महिदपुर
74.	श्री रासिक बिहारी	-"-	शा. महाविद्यालय, अमरपाटन
75.	कु. लवीना पाल चौहान	-"-	शा. महाविद्यालय, सैलाना
76.	श्री दिनेश सोलंकी	-"-	शा. पी.जी. महा. आगरमालवा
77.	कु. राजरी रायकवार	-"-	शा. महाविद्यालय, बुरई-सागर
78.	कु. ज्योति मेहता	-"-	शा. पी.जी. महा. झाबुजा
79.	श्री सुभाषराम डाबर	-"-	शा. पी.जी. महा. खरगोन
80.	श्री सम्पत प्रसाद रावत	-"-	शा. पी.जी. महा. मैहर-सतना
81.	कु. सुनेना चौहान	-"-	शा. कन्या महाविद्यालय, खरगोन
82.	श्री राजबहादुरसिंह रेपुरिया, किल्लांग	अ. जा.	शा. एम. जे. एस. महाविद्यालय, भिंड
83.	श्रीमती कल्पना रायकवार	अ. ज. जा.	शा. पी.जी. महाविद्यालय, गुना
84.	श्री अशोक कुमार ब्येल,	-"-	शा. महाविद्यालय, मनावर-धार
85.	श्री उमराबसिंह ब्येल	-"-	शा. महाविद्यालय, रामपुरा
86.	श्री मुकेश कुमार बड़ोले	-"-	शा. एम. जी. एम. महा. इटारसी
87.	श्री जियालाल सोलंकी	-"-	शा. पी.जी. महा. नरसिंहगढ़
88.	श्री बिल्लोरसिंह सेनानी	-"-	शा. महा. सनाबद-खरगोन
89.	श्री ताराचंद नरगावे	-"-	शा. महाविद्यालय, मंडलेश्वर
90.	कु. सुभासिंह मांझी	-"-	शा. पी.जी. महा. सीहौर

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक-13/2/2009

क्रमांकएफ-1/88/2008/1/अडतीस-राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित निम्नलिखित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 2 वर्ष की प्रैक्टिस अवधि पर सहायक प्राध्यापक, रसायन शास्त्र के पद पर वेतनमान रूपये 8000-275-13500 में उनके नाम के समक्ष दर्शाये गये महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करते हुए पदस्थ किया जाता है :-

क्रमांक	नाम	वर्ग	पदस्थापना का स्थान
1	2	3	4
1.	श्री लक्ष्मीनारायण मालवीय	अन्य पिछड़ा वर्ग	शासकीय पी0जी0 महावि0 पिपरिया
2.	डॉ0 गोपाल प्रसाद साहू	अन्य पिछड़ा वर्ग	शासकीय पी0जी0 महाविद्यालय बैतूल
3. ✓	श्री एकनाथ निरापुरे	अ0जा0	शासकीय पी0जी0 महावि0 बैतूल

2. नियुक्त उम्मीदवार को जिला चिकित्सालय मेडीकल बोर्ड का स्वस्थ प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा ।

3. इन नियुक्तियों में मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबन्धों का और अधिनियम के उपबन्धों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये अनुदेशों का अनुपालन किया है तथा उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबन्धों का पूर्ण संज्ञान है ।

निरन्तर.....

Mr. Manoj Kumar
Ghose



प्रो. प्राचार्य, ज.हा.शासकीय स्नातकोत्तर

महाविद्यालय बैतूल, (म.प्र.) 460001

नेक द्वारा प्रदत्त ग्रेड B+

e-mail : hegjhpgcbet@mp.gov.in

क्रं. /स्थापना /2019

बैतूल,दिनांक

कार्यालयीन आदेश

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा, मंत्रालय भोपाल का आदेश क्र. एफ 1-85/2019/38/1 भोपाल, दिनांक 16.12.2019 द्वारा आदेश के सरल क्रं. 128 लो.से.आ.की चयन सूची क्रं./चयन वर्ष 152/2019 श्री मनोज कुमार घोरसे द्वारा आज दिनांक 17.12.2019 को पूर्वान्ह में सहायक प्राध्यापक रसायनशास्त्र के पद पर इस महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर लिया है ।




प्राचार्य

ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल

पृ.क्रं. 2209/स्थापना /2019
प्रतिलिपि :-

बैतूल, दिनांक 17/12/19

- 1 विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा म.प्र.भोपाल ।
2. अवर सचिव, म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल ।
- 3 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
- 4 आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र.शासन सतपुड़ा भवन भोपाल ।
- 5 क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, भोपाल-नर्मदापुरम संभाग, एम.एल.बी.कन्या महाविद्यालय परिसर भोपाल ।
- 6 जिला चिकित्सा अधिकारी बैतूल की ओर सूचनार्थ ।
- 7 जिला कोषालय अधिकारी बैतूल ।
- 8 विभागाध्यक्ष, रसायनशास्त्र विभाग, ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल ।
- 9 लेखापाल, ज.हा.शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैतूल ।
- 10 संबंधित अधिकारी श्री मनोज कुमार घोरसे सहायक प्राध्यापक रसायनशास्त्र, जयवंती हॉक्सर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- 11 कार्यालय प्रति ।



प्राचार्य

ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल

Dr.Yugal Kishor Sarle



प्रो. प्राचार्य, ज.हा.शासकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय बैतूल, (म.प्र.) 460001
नेक द्वारा प्रदत्त ग्रेड B+

e-mail : hegjhpgcbet@mp.gov.in

क्रं. /स्थापना /2019

बैतूल,दिनांक

कार्यालयीन आदेश

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा, मंत्रालय भोपाल का आदेश क्रं. एफ 1-85/2019/38/1 भोपाल, दिनांक 16.12.2019 द्वारा आदेश के सरल क्रं. 122 लो.से.आ.की चयन सूची क्रं./चयन वर्ष 146/2019 श्री युगल किशोर सरले द्वारा आज दिनांक 17.12.2019 को पूर्वान्ह में सहायक प्राध्यापक रसायनशास्त्र के पद पर इस महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर लिया है ।


प्राचार्य

ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल

पृ.क्रं. 2211/स्थापना /2019

बैतूल, दिनांक 17/12/19

प्रतिलिपि :-

- 1 विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्चशिक्षा म.प्र.भोपाल ।
- 2 अवर सचिव, म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल ।
- 3 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
- 4 आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र.शासन सतपुड़ा भवन भोपाल ।
- 5 क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, भोपाल-नर्मदापुरम संभाग, एम.एल.वी.कन्या महाविद्यालय परिसर भोपाल ।
- 6 जिला चिकित्सा अधिकारी बैतूल की ओर सूचनार्थ ।
- 7 जिला कोषालय अधिकारी बैतूल ।
- 8 विभागाध्यक्ष, रसायनशास्त्र विभाग, ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल ।
- 9 लेखापाल, ज.हा.शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैतूल ।
- 10 संबंधित अधिकारी श्री युगल किशोर सरले सहायक प्राध्यापक रसायनशास्त्र, जयवंती हॉक्सर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैतूल, जयवंती हॉक्सर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- 11 कार्यालय प्रति ।


प्राचार्य
ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल

कार्यालय सचिव, जनभागीदारी समिति

जयवंती हॉक्सर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैतूल (म.प्र.)

बैतूल, दिनांक 11.09.2021

क्रमांक 745 /2021
प्रति,

नाम डॉ.श्रीमती शिक्षा गडेकर

पिता का नाम श्री लखनलाल गडेकर

पता पो.परसोड़ा तह.आमला जिला बैतूल ।

विषय :- अतिथि विद्वान आमंत्रण 2021-22 के संबंध में आमंत्रण पत्र विषयक ।

संदर्भ :- आपका आवेदन क्रं. 106482 दिनांक 11.09.2021

--0--

विषयान्तर्गत एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आपको जयवंती हॉक्सर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में रसायनशास्त्र विषय हेतु अतिथि विद्वान आमंत्रण के रूप में आमंत्रित करने हेतु सहमति हुई है । आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपको शैक्षणिक सत्र 2021-22 में अतिथि विद्वान हेतु यह आमंत्रण निम्न शर्तों के अध्याधीन होगा :-

1. यह आपको प्रतिदिवस न्यूनतम 5 घंटे तथा प्रति सप्ताह न्यूनतम 40 घंटे उपस्थित रहना अनिवार्य होगा जिसके अनुसार प्रतिदिवस औसर 7 घंटे का कार्यकाल अपेक्षित है । अतिथि विद्वानों द्वारा प्रति सप्ताह न्यूनतम 16 घंटे का प्रत्यक्ष शिक्षण किया जाना अनिवार्य होगा, इसके अतिरिक्त ट्यूटोरियल, रेमेडियल क्लासेस आदि में भी शिक्षण का कार्य करेंगे । महाविद्यालय की आवश्यकतानुसार प्राचार्य द्वारा कार्यभार में वृद्धि भी की जा सकती है ।
2. अतिथि विद्वान का मानदेय शासन की नीति/निर्देश दिनांक 17.12.2019 की कंडिका 5.1 अनुसार होगा ।
3. यह आमंत्रण वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2021-22 अर्थात् 30 जून 2022 के लिए सीमित होगा ।
4. यह आमंत्रण किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के सचिव, जनभागीदारी समिति द्वारा समाप्त किया जा सकेगा ।
5. महाविद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा ।
6. आपको महाविद्यालय में अपने मूल प्रमाण पत्र एवं पुलिस या न्यायालय - आपराधिक प्रकरण न होने संबंधी प्रमाण/अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में कार्यरत न होने संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
7. आवेदक को आवंटित महाविद्यालय में दिनांक महाविद्यालय में उपस्थित रहना होगी ।
8. आवंटित महाविद्यालय में उपस्थित होने पर मूल प्रमाण पत्रों का पुनः सत्यता प्रमाणित होगा ।
9. आपको शासन के आदेश क्रमांक एफ 1-42/2017/38-1 भोपाल दिनांक 17.12.2019 में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन अतिथि विद्वान हेतु आमंत्रित किया जा रहा है ।
10. यह आमंत्रण माननीय उच्च न्यायालय में अतिथि विद्वान आमंत्रण प्रक्रिया से संबंधित याचिकाओं में पारित होने वाले माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयों के अध्याधीन रहेगा ।


सचिव

जनभागीदारी समिति

ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल

बैतूल दिनांक

पृ.क्रं. /2021

प्रतिलिपि :-

1. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा भोपाल-नर्मदापुरम संभाग की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
2. कार्यालय प्रति ।

सचिव

जनभागीदारी समिति

ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल

Mrs. Deepika Sahu



दूरभाष नं. 07141-234244 (कार्यालय)
07141-234266 (हैजिस)
e-mail : hegjhpebet@mp.gov.in

कार्यालय प्राचार्य/सचिव, ज.हा.शासकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय बैतूल, (म.प्र.) 460001

क्रमांक 3015 / 2020 / स्व.अ.वि. /
प्रति,

बैतूल, दिनांक 8/7/2020

श्रीमति दीपिका साहू
वाई. नं. 16, पटेल वाई
राम मंदीर के पास, सहर, बैतूल

विषय :- अतिथि विद्वानों को सत्र 2020-2021 के लिये आमंत्रण।

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपको इस महाविद्यालय की जनभागीदारी के अंतर्गत स्ववित्तपोषी व्यवस्था के आधार पर अतिथि विद्वान विषय माइक्रोबायोलॉजी जनभागीदारी पर व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित किया जाता है। इस हेतु आपको जनभागीदारी समिति द्वारा अनुशंसित मानदेय प्रदान किया जावेगा।

आपका आमंत्रण निम्न शर्तों के अध्याधीन होगा

- (1) आपको प्रत्येक कार्य दिवस में 04 कालखण्ड लेने होंगे।
- (2) यह आमंत्रण शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिये ही सीमित होगा। आपकी व्याख्यान देने की पात्रता किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के सचिव जनभागीदारी समिति द्वारा समाप्त की जावेगी।
- (3) अतिथि विद्वान किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे और वे लोक सेवक की विधि विधिक परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जायेंगे।
- (4) यह केवल आमंत्रण पत्र है नियुक्ति पत्र नहीं। किसी भी न्यायालयीन प्रक्रिया हेतु इस प्रयोग नहीं किया जावेगा।
- (5) आपको महाविद्यालय में अपने मूल प्रमाण-पत्रों एवं पुलिस या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण न होने सम्बन्धी प्रमाण। अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/शासकीय सेवा में कार्यरत न होने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (6) अतिथि विद्वान शैक्षणिक सत्र 2020-21 में सत्र के बीच में व्याख्यान की असमर्थता व्यक्त करते है तो अचोडस्ताक्षरकर्ता को एक माह पूर्व सूचना देनी होगी अन्यथा 01 माह का मानदेय जमा करना होगा।
- (7) महाविद्यालय में उपस्थित होने पर मूल प्रमाण पत्र द्वारा सत्यापन करना होगा।
- (8) आपको कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा म.प्र. सतपुड़ा भवन भोपाल के आदेश क्रमांक 1274/548/आउशि/शा/2019/भोपाल दिनांक 01.07.2019 में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन व्याख्यान के लिये आमंत्रण किया है।
- (9) शैक्षणिक सत्र 2020-21 हेतु आपको पुनः आमंत्रित किया जा रहा है शासन से भविष्य में प्राप्त होने वाले आदेशों/निर्देशों का पालन किया जायेगा।

टीप- आमंत्रण पत्र जारी होने की तिथि से सात दिवस की अवधि में उपस्थित न होने की दश में आमंत्रण पत्र स्वतः निरस्त माना जावेगा।

विभागाध्यक्ष, स्ववित्तपोषी माइक्रोबायोलॉजी
ज.हा.शास.स्ना.महाविद्यालय, बैतूल
(Microbiology)
Self Finance Course
H Govt. College Betul (M.P.)

(डॉ. विजिता चौबे)
प्राचार्य/सचिव
ज.हा.शास.स्ना.महाविद्यालय, बैतूल

Mr. Mahendra Nawange



दूरभाष क्र. 07141-234244 (कार्यालय)
07141-234566 (फैक्स)
e-mail : hegihpcbet@mp.gov.in

कार्यालय प्राचार्य/सचिव, ज.हा.शासकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय बैतूल, (म.प्र.) 460001

क्रमांक 3014/2020/स्व.अ.वि./
प्रति,

बैतूल, दिनांक 8-7-2020

श्री Mahendra Nawange
H.No - 646 Telephone Colony
Vikas Nagar Kalapathra Betul
8871105741

विषय :- अतिथि विद्वानों को सत्र 2020-2021 के लिये आमंत्रण।

—00—

उपरोक्त विषययान्तर्गत आपको इस महाविद्यालय की जनभागीदारी के अंतर्गत स्ववित्तपोषी व्यवस्था के आधार पर अतिथि विद्वान विषय MICROBIOLOGY जनभागीदारी पर व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित किया जाता है। इस हेतु आपको जनभागीदारी समिति द्वारा अनुशंसित मानदेय प्रदान किया जावेगा।

आपका आमंत्रण निम्न शर्तों के अध्याधीन होगा

- (1) आपको प्रत्येक कार्य दिवस में 04 कालखण्ड लेने होंगे।
- (2) यह आमंत्रण शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिये ही सीमित होगा। आपकी व्याख्यान देने की पात्रता किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के सचिव जनभागीदारी समिति द्वारा समाप्त की जावेगी।
- (3) अतिथि विद्वान किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे और वे लोक सेवक की विधि विधिक परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जायेंगे।
- (4) यह केवल आमंत्रण पत्र है नियुक्ति पत्र नहीं। किसी भी न्यायालयीन प्रक्रिया हेतु इसे प्रयोग नहीं किया जावेगा।
- (5) आपको महाविद्यालय में अपने मूल प्रमाण-पत्रों एवं पुलिस या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण न होने सम्बन्धी प्रमाण। अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/शासकीय सेवा में कार्यरत न होने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (6) अतिथि विद्वान शैक्षणिक सत्र 2020-21 में सत्र के बीच में व्याख्यान की असमर्थता व्यक्त करते हैं तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को एक माह पूर्व सूचना देनी होगी अन्यथा 01 माह का मानदेय जमा करना होगा।
- (7) महाविद्यालय में उपस्थित होने पर मूल प्रमाण पत्र द्वारा सत्यापन करना होगा।
- (8) आपको कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा म.प्र. सतपुड़ा भवन भोपाल के आदेश क्रमांक 1274/548/आउशि/शा/2019/भोपाल दिनांक 01.07.2019 में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन व्याख्यान के लिये आमंत्रण किया है।
- (9) शैक्षणिक सत्र 2020-21 हेतु आपको पुनः आमंत्रित किया जा रहा है शासन से भविष्य में प्राप्त होने वाले आदेशों/निर्देशों का पालन किया जायेगा।

टीप- आमंत्रण पत्र जारी होने की तिथि से सात दिवस की अवधि में उपस्थित न होने की दशा में आमंत्रण पत्र स्वतः निरस्त माना जावेगा।

विभागाध्यक्ष स्ववित्तपोषी MICROBIOLOGY
ज.हा.शास.स्ना.महाविद्यालय, बैतूल
Self Finance Course
M Govt. College Betul, M.P.

(डॉ. विजिता चौबे)
प्राचार्य/सचिव
ज.हा.शास.स्ना.महाविद्यालय, बैतूल



कार्यालय प्राचार्य, ज.हा.शासकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय बैतूल, (म.प्र.) 460001

क्रमांक / 013 / 2021 / स्व.अ.वि./

बैतूल, दिनांक 25-10-2021

प्रति,

डा. प्रीति बाला पाल
मोती वाड गोठी कालोनी बैतूल
मो.नं. 9981494214

विषय :- अतिथि विद्वानो को सत्र 2021-22 के लिये आमंत्रण।

उपरोक्त विषयांतर्गत आपको इस महाविद्यालय की जनभागीदारी के अंतर्गत अतिथि विद्वान माइक्रोबायोल के पद पर व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित किया जाता है। इस हेतु आपको जनभागीदारी समिति द्वारा अनुसंसित मान प्रदान किया जावेगा।

आपका आमंत्रण निम्न शर्तों के अध्याधीन होगा

1. आपको प्रत्येक कार्य दिवस में 04 कालखण्ड लेने होंगे।
2. यह आमंत्रण शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिये ही सीमित होगा।
3. आपकी व्याख्यान देने की पात्रता किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के सचिव जनभागीदारी समिति द्वारा समाप्त की जावेगी।
4. अतिथि विद्वान किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे और वे लोक सेवक की विधिक परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जायेंगे।
5. यह केवल आमंत्रण पत्र है नियुक्ति पत्र नहीं। किसी भी न्यायालयीन प्रक्रिया हेतु इसे प्रयोग नहीं किया जावेगा।
6. आपको महाविद्यालय में अपने मूल प्रमाण-पत्रों एवं पुलिस या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण न होने सम्बन्धी प्रमाण अन्य शासकीय / अर्द्धशासकीय / शासकीय सेवा में कार्यरत न होने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. अतिथि विद्वान शैक्षणिक सत्र 2021-22 में सत्र के बीच में व्याख्यान की असमर्थता व्यक्त करते हैं तो अधोहस्ताक्षरक को एक माह पूर्व सूचना देनी होगी अन्यथा 01 माह का मानदेय जमा करना होगा।
8. महाविद्यालय में उपस्थित होने पर मूल प्रमाण पत्रों द्वारा सत्यापन करना होगा।
9. आपको कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा म.प्र. सतपुडा भवन भोपाल के आदेश क्र: 1274/548/आउशि / शा -2 / 2019 भोपाल, दिनांक 01/07/2019 में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन व्याख्यान के लिए आमंत्रण किया जा रह है।

टीप:- आमंत्रण पत्र जारी होने की तिथि से सात दिवस की अवधि में उपस्थित न होने की दशा में आमंत्रण पत्र स्वतः निरस्त माना जावेगा।

विभागाध्यक्ष

ज.हा.शास.स्ना.महाविद्यालय बैतूल

प्राचार्य
ज.हा.शास.स्ना.महाविद्यालय बैतूल
ज. हा. शा. स्ना. महा.
बैतूल

Dr.Niharika Bhawsar

e-mail : javint.college@yahoo.com



कार्यालय सचिव/प्राचार्य, जनभागीदारी समिति
ज.हा.शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैतूल, (म.प्र.)

क्रमांक .11.83.../अतिथि विद्वान/2014-15
प्रति,

बैतूल, दिनांक 08.01.2015

श्रीमती निहारिका भावसार
पिता श्री गौरव भावसार
पता - तरुण भावसार मालवीय वार्ड खंजनपूर बैतूल
जिला - बैतूल (म.प्र.) 460001

रजिस्टर्ड पोस्ट (एडी)


विषय :- शैक्षणिक सत्र 2014-15 में शासकीय महाविद्यालय में बायोटेक्नालॉजी (स्ववित्त) विषय
में रिक्त शिक्षकीय पद पर अतिथि विद्वान व्यवस्था - निमंत्रण ।
संदर्भ :- महाविद्यालय का विज्ञापन क्रं. 584/ज.भा.स. बैतूल दिनांक 09.09.2014

...


विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र से प्राप्त निर्देशानुसार तैयार की गई बायोटेक्नालॉजी (स्ववित्त) विषय की मेरिट पेनल में आपका क्रमांक03.... है। आपको निर्देशित किया जाता है कि आप दिनांक 15.01.2015 को कार्यालयीन समय में अधोहस्ताक्षरकर्ता से अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों सहित संपर्क करें। समयावधि में उपस्थित न होने पर यह मान लिया जाएगा कि आपके द्वारा यह निमंत्रण स्वीकार नहीं किया गया, उस स्थिति में मेरिट पेनल के अगले उम्मीदवार को निमंत्रण पत्र जारी कर दिया जावेगा।

अतिथि विद्वान किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे और वे लोक सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत नहीं माने जावेंगे। अतिथि अध्यापन व्यवस्था हेतु आपको जनभागीदारी समिति द्वारा निर्धारित मासिक मानदेय की पात्रता होगी।

टीप - चयनित अतिथि विद्वान को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उसके विरुद्ध न्यायालय/पुलिस में कोई आपराधिक मामला नहीं है। साथ ही वह किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है। अतिथि विद्वान दो महाविद्यालय में अध्यापन कार्य नहीं कर सकेगा।


विभागाध्यक्ष
स्ववित्तपोषी बायोटेक्नालॉजी


8/1/15


सचिव/प्राचार्य
जनभागीदारी समिति
ज.हा.शा.स्ना.महाविद्यालय बैतूल

Mrs. Preeti Nawange



दूरभाष क्र. 07141-234244 (कार्यालय)
07141-234566 (फैक्स)
e-mail : hegjhpcbet@mp.gov.in

कार्यालय प्राचार्य/सचिव, ज.हा.शासकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय बैतूल, (म.प्र.) 460001

क्रमांक 3017 / 2020 / स्व.अ.वि. /
प्रति

बैतूल, दिनांक 31/7/2020

श्रीमति प्रीति नावंगे
ए.ए.टी. कॉलेज, बैतूल
ज.हा. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बैतूल

विषय :- अतिथि विद्वानों को सत्र 2020-2021 के लिये आमंत्रण।

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपको इस महाविद्यालय की जनभागीदारी के अंतर्गत स्ववित्तपोषी व्यवस्था के आधार पर अतिथि विद्वान विषय Biotechnology जनभागीदारी पर व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित किया जाता है। इस हेतु आपको जनभागीदारी समिति द्वारा अनुशासित मानदेय प्रदान किया जावेगा।

आपका आमंत्रण निम्न शर्तों के अध्याधीन होगा

- (1) आपको प्रत्येक कार्य दिवस में 04 कालखण्ड लेने होंगे।
- (2) यह आमंत्रण शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिये ही सीमित होगा। आपकी व्याख्यान देने की पात्रता किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के सचिव जनभागीदारी समिति द्वारा समाप्त की जावेगी।
- (3) अतिथि विद्वान किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे और वे लोक सेवक की विधि विधिक परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जायेंगे।
- (4) यह केवल आमंत्रण पत्र है नियुक्ति पत्र नहीं। किसी भी न्यायालयीन प्रक्रिया हेतु इसे प्रयोग नहीं किया जावेगा।
- (5) आपको महाविद्यालय में अपने मूल प्रमाण-पत्रों एवं पुलिस या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण न होने सम्बन्धी प्रमाण। अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/शासकीय सेवा में कार्यरत न होने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (6) अतिथि विद्वान शैक्षणिक सत्र 2020-21 में सत्र के बीच में व्याख्यान की असमर्थता व्यक्त करते हैं तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को एक माह पूर्व सूचना देनी होगी अन्यथा 01 माह का मानदेय जमा करना होगा।
- (7) महाविद्यालय में उपस्थित होने पर मूल प्रमाण पत्र द्वारा सत्यापन करना होगा।
- (8) आपको कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा म.प्र. सतपुड़ा भवन भोपाल के आदेश क्रमांक 1274/548/आउशि/शा/2019/भोपाल दिनांक 01.07.2019 में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन व्याख्यान के लिये आमंत्रण किया है।
- (9) शैक्षणिक सत्र 2020-21 हेतु आपको पुनः आमंत्रित किया जा रहा है शासन से भविष्य में प्राप्त होने वाले आदेशों/निर्देशों का पालन किया जायेगा।

टीप- आमंत्रण पत्र जारी होने की तिथि से सात दिवस की अवधि में उपस्थित न होने की दशा में आमंत्रण पत्र स्वतः निरस्त माना जावेगा।

विद्यालय के स्ववित्तपोषी Biotechnology
ज.हा.शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बैतूल
J.H. Govt. P.G. College Baitul

(डॉ. विजेता चौबे)
प्राचार्य/सचिव
ज.हा.शास.स्ना.महाविद्यालय, बैतूल

Mr. Rajkumar Choukikar



दूरभाष क्र. 07141-234244 (कार्यालय)
07141-234566 (फैक्स)
e-mail : hegihpcbet@mp.gov.in

कार्यालय प्राचार्य/सचिव, ज.हा.शासकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय बैतूल, (म.प्र.) 460001

क्रमांक 3026/2020/स्व.अ.वि./
प्रति,

बैतूल, दिनांक 08/07/2020

श्री. राजकुमार चौकिकर
S/O गिरधारी चौकिकर
धैरवादीनगर गौठाना बैतूल

विषय :- अतिथि विद्वानों को सत्र 2020-2021 के लिये आमंत्रण।

—00—

उपरोक्त विषययान्तर्गत आपको इस महाविद्यालय की जनभागीदारी के अंतर्गत स्ववित्तपोषी व्यवस्था के आधार पर अतिथि विद्वान विषय बायोटेक्नोलॉजी जनभागीदारी पर व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित किया जाता है। इस हेतु आपको जनभागीदारी समिति द्वारा अनुशंसित मानदेय प्रदान किया जावेगा।

आपका आमंत्रण निम्न शर्तों के अध्याधीन होगा

- (1) आपको प्रत्येक कार्य दिवस में 04 कालखण्ड लेने होंगे।
- (2) यह आमंत्रण शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिये ही सीमित होगा। आपकी व्याख्यान देने की पात्रता किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के सचिव जनभागीदारी समिति द्वारा समाप्त की जावेगी।
- (3) अतिथि विद्वान किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे और वे लोक सेवक की विधि विधिक परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जायेंगे।
- (4) यह केवल आमंत्रण पत्र है नियुक्ति पत्र नहीं। किसी भी न्यायालयीन प्रक्रिया हेतु इसे प्रयोग नहीं किया जावेगा।
- (5) आपको महाविद्यालय में अपने मूल प्रमाण-पत्रों एवं पुलिस या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण न होने सम्बन्धी प्रमाण। अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/शासकीय सेवा में कार्यरत न होने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (6) अतिथि विद्वान शैक्षणिक सत्र 2020-21 में सत्र के बीच में व्याख्यान की असमर्थता व्यक्त करते हैं तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को एक माह पूर्व सूचना देनी होगी अन्यथा 01 माह का मानदेय जमा करना होगा। महाविद्यालय में उपस्थित होने पर मूल प्रमाण पत्र द्वारा सत्यापन करना होगा।
- (7) आपको कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा म.प्र. सतपुड़ा भवन भोपाल के आदेश क्रमांक 1274/548/आउशि/शा/2019/भोपाल दिनांक 01.07.2019 में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन व्याख्यान के लिये आमंत्रण किया है।
- (8) शैक्षणिक सत्र 2020-21 हेतु आपको पुनः आमंत्रित किया जा रहा है शासन से भविष्य में प्राप्त होने वाले आदेशों/निर्देशों का पालन किया जायेगा।

टीप- आमंत्रण पत्र जारी होने की तिथि से सात दिवस की अवधि में उपस्थित न होने की दशा में आमंत्रण पत्र स्वतः निरस्त माना जावेगा।

विभाग बायोटेक्नोलॉजी
ज.हा.शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैतूल
J.H. Govt P.G. College Betul

08/07/2020
(डॉ. विजेत चौबे)
प्राचार्य/सचिव
ज.हा.शास.स्ना.महाविद्यालय, बैतूल

Principal
J.H. Govt P.G. College
Betul (M.P.)

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग

आदेश

भोपाल, दिनांक 15 जून, 1987.

क्रमांक एफ 1/ 34 /87/ए-1/38 - मध्य प्रदेश तदर्थी नियुक्तियों का नियमितीकरण
निसम्, 1986 तथा सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-ए-6-30-86-एम॥1॥
द्वारा म0प्र0 राजपत्र अज्ञातधारण॥ में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 5/6/86 में प्रदत्त
अधिकारों का उपयोग करते हुए तदर्थ स्व से कार्यरत निम्नलिखित तहायक प्राध्यापक
को स्थानाबन्धन स्व से आगामी आदेश तक हिन्दी विषय के तहायक
प्राध्यापक पद पर मध्य प्रदेश शैक्षिक सेवा ॥ महाविद्यालयीन शाखा ॥ में ए0 700-40-
1100-50-1300-असेल्मेन्ट-50-1600 के वेतनमान में उनके नाम के तमक्ष अंकित महाविद्यालय
में बरिबीक्षा पर नियुक्त किया जाता है ।

प्रत्याशी एवं पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	महाविद्यालय जहाँ पदांकित किया जाता है
सतो 218. कु0 अनिता सोनी अतो श्री स्त0पति0सोनी.	29.10.1961	शासकीय महाविद्यालय, देवरी.
शासकीय महाविद्यालय, देवरी		देवरी

- 2- उपर्युक्त नियुक्ति उनके चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधान कारक पास जाने की प्रत्याशा में की जाती है । यदि उनका चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन, समाधानकारक नहीं पाया गया तो उनकी नियुक्ति बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी ।
- 3- उपर्युक्त नियमों के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्ति इत आदेश की तारीख से ही नियमित नियुक्ति का पात्र होगा और उसे उन व्यक्तियों के नीचे रखा जाएगा जो इन नियमों के अधीन नियुक्त किये जाने के पूर्व तुल्य भरती नियमों के अनुसार नियुक्त किए गए हैं ।

Medical Board.

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल
=====

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 28/11/1994.

- 131/93/11/38- हिन्दी संघ लोक सेवा आयोग से चयनित
कर्मचारी को सहायक प्राध्यापक-हिन्दी के पद पर वेतनमान रुपये
2200-75-2800-100-4000 से उनके नाम पर अर्थात् महाविद्यालय में अर्थात्
स्व से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है :-
क्रमांक नाम एवं वर्तमान पता सहायक का नाम जहाँ पदस्थ किया जाता है.
- | 1. | 2. | 3. |
|------|---|---|
| 145. | श्री भूषेन्द्र कुमार सिंह
137/7, गौरव विवेकनगर, प्रतापगढ़
उत्तर प्रदेश -230001. | शासक सहायक बदनावर §धार§ |
| 146. | श्रीमती गीना कुमारी,
ई-1282, राजाजी पुरम
लखनऊ -226017. | शासक सहायक, बुरबाई §बिदिगा§ |
| 147. | श्री कालीगंगा स्नेही § अनु. जा. §
§ आपाजी भोपा §
शासक सहायक आलमपुर §भिण्ड§
477449. | शासक सहायक आलमपुर §भिण्ड§ |
| 148. | कुमारी आशा श्रीवास्तव,
पुत्री श्री पी. एन. श्रीवास्तव,
6/10, हनुमानगली कचहरी रोड
भानपुरा 498775. | शासक सहायक जावरा §रतलाम §
§ प्राध्यापक पद के लिए § |
| 149. | श्री दुर्गा प्रताप सिंह,
221-ई ब्रम्हपुत्र होस्टल, जवाहरलाल
नेहरू होस्टल नई दिल्ली-110067. | शासक सहायक गुजालपुर §शाजापुर§ |
| 150. | श्री निहार रंजन तिन्हा
द्वारा- सुश्री घनी कुमारी,
ज्ञान सुदिर पटना कालेज पटना
3 800005. | शासक सहायक महासुन्द रायपुर |

151. श्री अरविश कुमार,
द्वारा श्री 0 वरदानन्द श्रीवास्तव,
श्री-70 आवास विकास कालोनी,
सुरज कुड, पोस्ट-गोरखनाथ, जिला-
गोरखपुर {उ०प्र०} 273015. शास० सहा० विज्ञान तुंगी {लिनफ्लुर}
152. श्री श्री सुश्री, {आघाती} त. प्र. { शास० जी, एच, डी, एल, सहा० भीमान
ए-57 कस्तूरबा नगर, भीमान
462024
153. कुमारी श्रीमा शिरोदिना,
आकाशा रा. आर्क. जी. -6
स्वयं चित्तीय प्रियदर्शनी, नगर
इंदारली, जिला-होशंगाबाद-
461111. शास०जन जी, एल, सहा० इंदारली
{होशंगाबाद}
154. श्री नित्य कुमार गोस्वामी,
{आघाती त०प्र०}
शास० लक्ष्मी सहा० पैतृक-460001. शास० सहा० पैतृक
155. कुमारी विनीता पटेलिमा,
पो. -करुणोल, ग्राम -लोहारी,
नरसिंहपुर-487001. शास० सहा० {जबानोडा} {विधिमा}
{प्रथमपद पद के लिखे}
156. डा० लालमणि तिवारी,
द्वारा-कै० चौरलिधा, तैमरिधा
चौक सतना शास० सहा० {विज्ञान} {उतरपुर}
157. श्री अरविश कुमार जैन,
होटल मनोज के पीछे,
सिमिल वार्ड-नं. -6
दगोड-470661. शास० स्नातकोत्तर सहा० स्वीड
{प्रथमपद पद के लिखे}
158. श्री श्री लक्ष्मी तिवारी,
शा. पो. -अर्द्ध, गणेश पुर
फि ल्हीपुर, जनपद फैजाबाद, {उ०प्र०}
224164. शास०सहा० कुसमी {तरसुजा}
159. श्री विष्णु कुमार अग्रवाल,
पुत्र श्री भीष्मपन्द्र अग्रवाल,
ग्राम, डाक-भीमोडा, जिला-
थरुवा {उ०प्र०} 291406. शास० सहा० पैतृकी {मिथुल}
162. श्री रोहितान तुंगर शर्मा,
1857, गोपाल गऊशाला, मनुवा
दाजार नई दिल्ली-110006. शास० सहा० तिलवानी {रायतिन}
161. श्री ती पुष्पा सावित्री,
शास० सहा० श्रीहारी, {शुद्धीन}

- | | | |
|------|--|---|
| 1. | 2. | 3. |
| 175. | श्री बृज मोहन द्विवेदी,
द्वारा- श्री सुखनन्दन तिवारी,
सहायक पंजियक सहकारी समितियां
छतरपुर-471001. | शासक कन्या महाक रत्नाम
प्रधापक पद के पिरुद |
| 176. | श्री प्रणय कुमार तिवारी
द्वारा- प्रेक्षुयार तिवारी,
रिटावर्ड डिप्टीकलेक्टर, -44
महावीर नगर, शास्त्री वार्ड,
रिहरी लिंक रोड पैतूल-
460001. | शासक स्नातकोत्तर महाक राजगढ |
| 177. | श्री बन्दु कुमार जैन,
हरिना-मोती लाइन,
राजनादगांव-491441. | शासक महाक गिलाईगढ रायपुर |
| 178. | श्री राजेश्वर प्रसाद तिवारी,
आदर्श, उ. मा. विद्यालय, डोणडी,
जिला-दुर्ग-491230. | शासक महाक आलनपुर भिण्ड |
| 179. | श्री गणेशनाल जैन,
पोटर स्टैंड, ओकारेश्वर,
जिला-खंडवा-490554. | शासक महाक सरायपाली रायपुर |
| 180. | डाक कुमारी पद्मा शर्मा,
द्वारा-श्री कालूराम शर्मा,
संदलीर मिल के पीठे, ईसागढ रोड
अशोक नगर, जिला-गुना-
473331. | शासक स्नातकोत्तर महाक शिवपुरी |

2. मकूण शैक्षणिक सेवा प्रधा विद्यालयीन शाखा भरती नियम 1990 के नियम 22 के अनुसार यह नियुक्तियां पदभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की काला के लिये परिवीक्षा पर रहेगी ।

3/ नियुक्त प्रत्याशी को जिला चिित्सालय के मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ प्रसा पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा ।

4/ नियुक्तियों में अनुसूचित जाति/जनजाति/जिल्लांग के प्रत्याशियों के आरक्ष संंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है । उक्त श्रेणी के प्रत्याशियों को उपरि के समय तकस अधिकारी का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

5/ उन अधिकारियों के सेवा संंधी सुददे शासकीय सेवकों को वर्तमान से लागू सामान्य नियमों मध्यप्रदेश लिडिल सेवा सेवा की सामान्य शर्तों नियम 196 एवं मकूण शैक्षणिक सेवा प्रधा विद्यालयीन शाखा भरती नियम 1990 के अध्या रहेगी ।

कार्यालय सचिव, जनभागीदारी समिति

क्रमांक 548 /2022
प्रति,

जयवंती हॉक्सर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैतूल (म.प्र.)

बैतूल, दिनांक 01.07.2022

नाम डॉ.शारदा कौशिक

पिता का नाम श्री रामराव कौशिक

पता कपासियाय पो.चिखलीकला तह.मुलताई जिला बैतूल ।


विषय :- अतिथि विद्वान आमंत्रण 2022-23 के संबंध में आमंत्रण पत्र विषयक ।

संदर्भ :- आपका आवेदन क्रं. 508360 दिनांक 01.07.2022

--0--

विषयान्तर्गत एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आपको जयवंती हॉक्सर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में ~~होना~~ विषय हेतु अतिथि विद्वान आमंत्रण के रूप में आमंत्रित करने हेतु सहमति हुई है । आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपको शैक्षणिक सत्र 2022-23 में अतिथि विद्वान हेतु यह आमंत्रण निम्न शर्तों के अध्याधीन होगा :-

1. यह आपको प्रतिदिवस न्यूनतम 5 घंटे तथा प्रति सप्ताह न्यूनतम 40 घंटे उपस्थित रहना अनिवार्य होगा जिसके अनुसार प्रतिदिवस औसत 7 घंटे का कार्यकाल अपेक्षित है । अतिथि विद्वानों द्वारा प्रति सप्ताह न्यूनतम 16 घंटे का प्रत्यक्ष शिक्षण किया जाना अनिवार्य होगा, इसके अतिरिक्त ट्यूटोरियल, रेमेडियल क्लासेस आदि में भी शिक्षण का कार्य करेंगे । महाविद्यालय की आवश्यकतानुसार प्राचार्य द्वारा कार्यभार में वृद्धि भी की जा सकती है ।
2. अतिथि विद्वान का मानदेय शासन की नीति/निर्देश दिनांक 17.12.2019 की कंडिका 5.1 अनुसार होगा ।
3. यह आमंत्रण वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2022-23 अर्थात् 30 जून 2023 के लिए सीमित होगा ।
4. यह आमंत्रण किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के सचिव, जनभागीदारी समिति द्वारा समाप्त किया जा सकेगा ।
5. महाविद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा ।
6. आपको महाविद्यालय में अपने मूल प्रमाण पत्र एवं पुलिस या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण न होने संबंधी प्रमाण/अन्य शासकीय /अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में कार्यरत न होने के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
7. आवेदक को आवंटित महाविद्यालय में दिनांक महाविद्यालय में उपस्थिति देनी होगी ।
8. आवंटित महाविद्यालय में उपस्थित होने पर मूल प्रमाण पत्रों का पुनः सत्यापन करना होगा ।
9. आपको शासन के आदेश क्रमांक एफ 1-42/2017/38-1 भोपाल दिनांक 17.12.2019 में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन अतिथि विद्वान हेतु आमंत्रित किया जा रहा है ।
10. यह आमंत्रण माननीय उच्च न्यायालय में अतिथि विद्वान आमंत्रण प्रक्रिया से संबंधित याचिकाओं में पारित होने वाले माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयों के अध्याधीन रहेगा ।



पृ.क्रं. /2022
प्रतिलिपि :-

1. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा भोपाल-नर्मदापुरम संभाग की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
2. कार्यालय प्रति ।


सचिव

जनभागीदारी समिति
ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल
बैतूल दिनांक

सचिव

जनभागीदारी समिति
ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल

- 13. कुंभलिदा सुमान
द्वारा टेनोर ए कंपनी सुभाष बाजार
आगरा ।
गा०के०आर०बी० अन्दाधर ।
शुद्धाचार के पद के विरुद्ध ।
- 14. श्रीमती श्रीमती त्रिखा
श्रीमती श्रीमती चौधरी
द्वारा-श्रीमती आरदा रमा
34 वां वृत्त ल. नि. वि.
द्वारा श्री जलप्रयोग ।
गा०कन्या महा०कीधी
- 15. प्रकाश चंद्र चौधरी
गा०महा० अन्दाधर महा०ओ० अग्नी
अन्दाधर जिला राजपुर ।
आपाती महा०ओ० ।
गा०महा०अन्दाधर रायपुर ।
- 16. सु० बीजू लक्ष्मी
394 सुरेश नगर धाडीपुर
ग्वालियर ।
गा०स्नातकोत्तर महा०मिर्पुरी ।
- 17. सु० प्रीति सिन्हा
द्वारा ए/15 गेड्डा गार्ड नार्थ
इंदौर ।
गा०स्नातकोत्तर महा० धार ।
- 19. श्री राजीव नरवारा
द्वारा सविता नरवारा
शांतिनगर विभाग एम०ए०सी०टी
भोपाल ।
गा०महा०अन्दाधर रायपुर ।
- 20. श्री जयेंद्र जी पाण्डेय
ग्राम-बी० डिहरी, धाया-
पीला जिला जलप्रयोग विहार ।
गा०महा० प्रतापपुर नरगुजा ।
- 21. श्रीमती अनामिका
आपाती महा०ओ० ।
गा०महा० पीरता पुरी ।
गा०महा०पीरता पुरी ।
- 22. सुशी गोविता डा
द्वारा प्रोफेसर कल्याणर डा
विश्वविद्यालय प्रख्यात कला-
कोत्तर अग्नी विभाग भागलपुर
विश्वविद्यालय भागलपुर ।
गा०महा० हरदिया रायपुर ।
- 23. आनंद केंद्र बहादुर
द्वारा प्रो०धरराज बहादुर
अध्यक्ष, हिन्दी विभाग स्नातकोत्तर
देवधर महा देवधर विहार ।
गा०महा०पीरतापुर नरगुजा ।

.....

// 11 //

निरीक्षण का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

उप सचिव,
मध्यप्रदेश, उच्च शिक्षा विभाग

पृष्ठ सं-1/137/93/स-1/38 श्री जी. भोपाल, दिनांक 18 मार्च, 94
प्रतिनिधि-

1. सचिव, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर मध्य प्रदेश ।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश भोपाल ।
3. सह निरीक्षक, मध्य प्रदेश स्टाफ लिबर ।
4. संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त तंपालक, उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश ।
5. संबंधित प्राचार्य, माओनहा मध्य प्रदेश ।
6. संबंधित गण ।

उप सचिव,
मध्यप्रदेश, उच्च शिक्षा विभाग

नामवर्गी /.....



कार्यालय प्राचार्य, ज.हा.शासकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय बैतूल, (म.प्र.) 460001
नेक द्वारा प्रदत्त ग्रेड B+

e-mail : hegjhpgcbet@mp.gov.in

क्रं. /स्थापना /2019

बैतूल,दिनांक

कार्यालयीन आदेश

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा, मंत्रालय भोपाल का आदेश क्रं. एफ 1-80/2019/38/1 भोपाल, दिनांक 13.12.2019 द्वारा आदेश के सरल क्रं. 64 लो.से.आ.की चयन सूची क्रं/चयन वर्ष 79/2019 श्रीमती प्रियंका लिखितकर द्वारा आज दिनांक 16.12.2019 को पूर्वान्ह में सहायक प्राध्यापक अग्रेजी के पद पर इस महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर लिया है ।


प्राचार्य

ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल

पृ.क्रं. 2160 /स्थापना /2019
प्रतिलिपि :-

बैतूल, दिनांक 16.12.2019

- 1 विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्चशिक्षा म.प्र.भोपाल ।
2. अवर सचिव, म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल ।
- 3 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
- 4 आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र.शासन सतपुड़ा भवन भोपाल ।
- 5 क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, भोपाल-नर्मदापुरम संभाग, एम.एल.बी.कन्या महाविद्यालय परिसर भोपाल ।
- 6 जिला चिकित्सा अधिकारी बैतूल की ओर सूचनार्थ ।
- 7 जिला कोषालय अधिकारी बैतूल ।
- 8 विभागाध्यक्ष, अग्रेजी विभाग, ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल ।
- 9 लेखापाल, ज.हा.शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैतूल ।
- 10 संबंधित अधिकारी श्रीमती प्रियंका लिखितकर, सहायक प्राध्यापक अग्रेजी, जयवंती हॉक्सर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- 11 कार्यालय प्रति ।


प्राचार्य

ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल

Mr. Madhuri Dhote

प्राचार्य, ज.हा.शासकीय स्नातकोत्तर
विद्यालय बैतूल, (म.प्र.) 460001

लेक द्वारा प्रेषित लेक 11*

e-mail : beg@hpgcbet@mp.gov.in



अ. /संख्या/2019

बैतूल,दिनांक

कार्यालयीन आदेश

मध्यप्रदेश शासन,उच्च शिक्षा,मंडलपर भोपाल का आदेश सं.एच. 1-80/2019/38/1 भोपाल,दिनांक 13.12.2019 द्वारा आदेश के संख्य. अं. 81 ली.से.आ.जी.धवन लुवी अ/धवन सं. 76/2019 मधुुरी घोट्टे द्वारा आज दिनांक 16.12.2019 को पूर्णतः नै सहायक प्राध्यापक अडेजी के पर पर इस महाविद्यालय नै कार्यभार ग्रहण कर लिया है ।

प्राचार्य

ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल

बैतूल,दिनांक

16/12/19

सं.अ. 2170 /संख्या/2019

प्रतिवेदिपि :-

- 1 विशेष सहायक, शासकीय मंडरीजी, उच्चशिक्षा म.प्र.भोपाल ।
- 2 अवर उपदिपि,म.प्र.शासन,उच्च शिक्षा विभाग मंडलपर भोपाल ।
- 3 महालेखाकार,मध्यप्रदेश शासिकार ।
- 4 अनुसूअ,उच्च शिक्षा विभाग,म.प्र.शासन रातपुरा भवन भोपाल ।
- 5 क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,उच्च शिक्षा,भोपाल-मंडीरपुरम संभाल,एन.एन.डी.कमला महाविद्यालय परिसर भोपाल ।
- 6 जिला चिकित्साल अडिकारी बैतूल की ओर सूचनार्थ ।
- 7 जिला कोषालय अडिकारी बैतूल ।
- 8 विभागाध्यक्ष,अडेजी विभाग,ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल ।
- 9 लेखापाल,ज.हा.शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैतूल ।
- 10 संबंधित अडिकारी मधुुरी घोट्टे, सहायक प्राध्यापक अडेजी,उच्चशिक्षा मंडलपर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवारी हेतु देविता ।
- 11 कार्यालय प्रति ।

ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल

Mr. Shital Khare



कार्यालय प्राचार्य, ज.हा.शासकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय बैतूल, (म.प्र.) 460001

नेक द्वारा प्रदत्त ग्रेड B+

e-mail : hegjhpgcbet@mp.gov.in

क्र. /स्थापना /2019

बैतूल,दिनांक

कार्यालयीन आदेश

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा, मंत्रालय भोपाल का आदेश क्र. एफ 1-80/2019/38/1 भोपाल, दिनांक 13.12.2019 द्वारा आदेश के सरल क्र. 47 लो.से.आ.की घयन सूची क्र./घयन वर्ष 62/2019 शीतल खरे द्वारा आज दिनांक 14.12.2019 को पूर्वान्ह में सहायक प्राध्यापक अग्नेजी के पद पर इस महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर लिया है ।

511
प्राचार्य

ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल

पृ.क्र. 2117 /स्थापना /2019
प्रतिलिपि :-

बैतूल, दिनांक 14.12.2019

- 1 विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्चशिक्षा म.प्र.भोपाल ।
2. अवर सचिव, म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल ।
- 3 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
- 4 आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र.शासन सतपुड़ा भवन भोपाल ।
- 5 क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, भोपाल-नर्मदापुरम संभाग, एम.एल.बी.कन्या महाविद्यालय परिसर भोपाल ।
- 6 जिला विकिर्त्सा अधिकारी बैतूल की ओर सूचनार्थ ।
- 7 जिला कोषालय अधिकारी बैतूल ।
- 8 विभागाध्यक्ष, अग्नेजी विभाग, ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल ।
- 9 लेखापाल, ज.हा.शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैतूल ।
- 10 संबंधित अधिकारी शीतल खरे, सहायक प्राध्यापक अग्नेजी, जयवंती हॉव्सर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- 11 कार्यालय प्रति ।

14/12/19
प्राचार्य
ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल

क्रमांक
प्रति,

412/2021

कार्यालय सचिव, जनभागीदारी समिति

जयवंती हॉक्सर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैतूल (म.प्र.)

बैतूल, दिनांक 16.11.2021

नाम डॉ. निशा सोनी

पिता का नाम श्री सुमित सोनी

पता गांधीवार्ड दुर्गा मंदिर के पास कोठीबाजार बैतूल ।

विषय :-

अतिथि विद्वान आमंत्रण 2021-22 के संबंध में आमंत्रण पत्र विषयक ।


संदर्भ :-

आपका आवेदन क्रं. 104164 दिनांक 16.11.2021

--0--

विषयान्तर्गत एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आपको जयवंती हॉक्सर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में अग्रेजी विषय हेतु अतिथि विद्वान आमंत्रण के रूप में आमंत्रित करने हेतु सहमति हुई है । आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपको शैक्षणिक सत्र 2021-22 में अतिथि विद्वान हेतु यह आमंत्रण निम्न शर्तों के अध्याधीन होगा :-

1. यह आपको प्रतिदिवस न्यूनतम 5 घंटे तथा प्रति सप्ताह न्यूनतम 40 घंटे उपस्थित रहना अनिवार्य होगा जिसके अनुसार प्रतिदिवस औसत 7 घंटे का कार्यकाल अपेक्षित है । अतिथि विद्वानों द्वारा प्रति सप्ताह न्यूनतम 16 घंटे का प्रत्यक्ष शिक्षण किया जाना अनिवार्य होगा, इसके अतिरिक्त ट्यूटोरियल, रेमेडियल क्लासेस आदि में भी शिक्षण का कार्य करेंगे । महाविद्यालय की आवश्यकतानुसार प्राचार्य द्वारा कार्यभार में वृद्धि भी की जा सकती है ।
2. अतिथि विद्वान का मानदेय शासन की नीति/निर्देश दिनांक 17.12.2019 की कंडिका 5.1 अनुसार होगा ।
3. यह आमंत्रण वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2021-22 अर्थात् 30 जून 2022 के लिए सीमित होगा ।
4. यह आमंत्रण किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के सचिव, जनभागीदारी समिति द्वारा समाप्त किया जा सकेगा ।
5. महाविद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा ।
6. आपको महाविद्यालय में अपने मूल प्रमाण पत्र एवं पुलिस या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण न होने संबंधी प्रमाण/अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में कार्यरत न होने के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
7. आवेदक को आवंटित महाविद्यालय में दिनांक महाविद्यालय में उपस्थिति देनी होगी ।
8. आवंटित महाविद्यालय में उपस्थित होने पर मूल प्रमाण पत्रों का पुनः सत्यापन करना होगा ।
9. आपको शासन के आदेश क्रमांक एफ 1-42/2017/38-1 भोपाल दिनांक 17.12.2019 में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन अतिथि विद्वान हेतु आमंत्रित किया जा रहा है ।
10. यह आमंत्रण माननीय उच्च न्यायालय में अतिथि विद्वान आमंत्रण प्रक्रिया से संबंधित याचिकाओं में पारित होने वाले माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयों के अध्याधीन रहेगा ।


सचिव

प्राचार्य / सचिव
जनभागीदारी समिति
ज.हा.शासकीय महाविद्यालय, बैतूल
ज. हा. शासकीय महाविद्यालय, बैतूल
बैतूल दिनांक

पृ.क्रं.

/2021

प्रतिलिपि :-

1. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा भोपाल-नर्मदापुरम संभाग की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
2. कार्यालय प्रति ।

सचिव
जनभागीदारी समिति
ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल

Dr.Pragati Dongre

शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैतूल (म. प्र.)
E-mail betuljh@rediffmail.com
दिनांक

आदेश

अवर सचिव म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग "मंत्रालय" भोपाल के आदेश क्रमांक एफ -1 (44)/2003/1/अडतीस भोपाल दिनांक 14 जून 2004 द्वारा म.प्र. लोक सेवा आयोग से चयनित आदेश के सरल क्रमांक 14 पर अंकित श्रीमती प्रगति डोंगरे (अनुसूचित जाति) उम्मीदवार को दो वर्ष की परीक्षा पर सहायक प्राध्यापक संस्कृत के पद पर वेतनमान रु 8000-275-13500/ में अस्थाई रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से इस महाविद्यालय में नियुक्त किया गया है ।

आदेश के परिपालन में श्रीमती प्रगति डोंगरे ने आज दिनांक 24/6/2004 के पूर्वान्ह में उपस्थित हो पदभार ग्रहण कर लिया है

(डॉ. अजीत कुमार यूएल)
प्राचार्य

ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल

पृ.क्र. 472/स्था/04
प्रतिलिपि:-

बैतूल दिनांक 24.6.04

- 1 विशेष सहायक माननीय मंत्री जी उच्च शिक्षा विभाग भोपाल ।
- 2 महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर ।
- 3 अवर सचिव म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग "मंत्रालय" भोपाल ।
- 4 आयुक्त उच्च शिक्षा म.प्र. शासन सतपुड़ा भवन भोपाल ।
- 5 अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा म.प्र. शासन भोपाल ।
- 6 जिला कोषालय अधिकारी बैतूल ।
- 7 लेखापाल ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल ।
- 8 विभागाध्यक्ष संस्कृत ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल ।
- 9 संबधित श्रीमती प्रगति डोंगरे सहायक प्राध्यापक संस्कृत ज.हा. शासकीय महाविद्यालय बैतूल ।
- 10 व्यक्तिगत अभिलेख/कार्यालय प्रति ।

(डॉ. अजीत कुमार यूएल) 24/6

प्राचार्य
ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल

Mr. Neeraj Dhakad



प्रमुख प्राचार्य, ज.हा.शासकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय बैतूल, (म.प्र.) 460001

नेक द्वारा प्रदत्त ग्रेड B+

e-mail : hegjhpgcbet@mp.gov.in

क्रं. /स्थापना /2019

बैतूल,दिनांक

कार्यालयीन आदेश

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा, मंत्रालय भोपाल का आदेश क्र. एफ 1-71/2019/38/1 भोपाल, दिनांक 13.12.2019 द्वारा आदेश के सरल क्रं. 11 लो.सो.आ.की चयन सूची क्रं./चयन वर्ष 15/2019 श्री नीरज द्वारा आज दिनांक 14.12.2019 को पूर्वान्ह में सहायक प्राध्यापक संस्कृत के पद पर इस महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर लिया है।



प्राचार्य

ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल

पृ.क्र. 2126/स्थापना /2019
प्रतिलिपि :-

बैतूल, दिनांक 14/12/19

- 1 विशेष सहायक, माननीय मंत्राजी, उच्च शिक्षा म.प्र.भोपाल ;
- 2 अवर सचिव, म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल ।
- 3 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
- 4 आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र.शासन सतपुड़ा भवन भोपाल ।
- 5 क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, भोपाल-नर्मदापुरम संभाग, एम.एल.वी.कन्या महाविद्यालय परिसर भोपाल ।
- 6 जिला चिकित्सा अधिकारी बैतूल की ओर सूचनार्थ ।
- 7 जिला कोषालय अधिकारी बैतूल ।
- 8 विभागाध्यक्ष, संस्कृत विभाग, ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल ।
- 9 लेखापाल, ज.हा.शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैतूल ।
- 10 संबंधित अधिकारी नीरज, सहायक प्राध्यापक संस्कृत, जयवंती हॉक्सर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- 11 कार्यालय प्रति ।


प्राचार्य

ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल

own verified

27/05/2020

Mr. Rupesh Soni



दूरभाष क्र. 07141-234244 (कार्यालय)

07141-234566 (फैक्स)

e-mail : hegihpcbet@mp.gov.in

कार्यालय प्राचार्य/सचिव, ज.हा.शासकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय बैतूल, (म.प्र.) 460001

क्रमांक 3008/2020/स्व.अ.वि./
प्रति,

बैतूल, दिनांक 8/07/2020

श्री. रुपेश सोनी

विषय :- अतिथि विद्वानों को सत्र 2020-2021 के लिये आमंत्रण।

—00—

उपरोक्त विषययान्तर्गत आपको इस महाविद्यालय की जनभागीदारी के अंतर्गत स्ववित्तपोषी व्यवस्था के आधार पर अतिथि विद्वान विषय संस्कृत जनभागीदारी पर व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित किया जाता है। इस हेतु आपको जनभागीदारी समिति द्वारा अनुशंसित मानदेय प्रदान किया जावेगा।

आपका आमंत्रण निम्न शर्तों के अध्याधीन होगा

- (1) आपको प्रत्येक कार्य दिवस में 04 कालखण्ड लेने होंगे।
- (2) यह आमंत्रण शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिये ही सीमित होगा। आपकी व्याख्यान देने की पात्रता किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के सचिव जनभागीदारी समिति द्वारा समाप्त की जावेगी।
- (3) अतिथि विद्वान किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे और वे लोक सेवक की विधि विधिक परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जायेंगे।
- (4) यह केवल आमंत्रण पत्र है नियुक्ति पत्र नहीं। किसी भी न्यायालयीन प्रक्रिया हेतु इसे प्रयोग नहीं किया जावेगा।
- (5) आपको महाविद्यालय में अपने मूल प्रमाण-पत्रों एवं पुलिस या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण न होने सम्बन्धी प्रमाण। अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/शासकीय सेवा में कार्यरत न होने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (6) अतिथि विद्वान शैक्षणिक सत्र 2020-21 में सत्र के बीच में व्याख्यान की असमर्थता व्यक्त करते हैं तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को एक माह पूर्व सूचना देनी होगी अन्यथा 01 माह का मानदेय जमा करना होगा।
- (7) महाविद्यालय में उपस्थित होने पर मूल प्रमाण पत्र द्वारा स्त्यापन करना होगा।
- (8) आपको कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा म.प्र. सतपुड़ा भवन भोपाल के आदेश क्रमांक 1274/548/आउशि/शा/2019/भोपाल दिनांक 01.07.2019 में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन व्याख्यान के लिये आमंत्रण किया है।
- (9) शैक्षणिक सत्र 2020-21 हेतु आपको पुनः आमंत्रित किया जा रहा है शासन से भविष्य में प्राप्त होने वाले आदेशों/निर्देशों का पालन किया जायेगा।

टीप- आमंत्रण पत्र जारी होने की तिथि से सात दिवस की अवधि में उपस्थित न होने की दशा में आमंत्रण पत्र स्वतः निरस्त माना जावेगा।

विभागाध्यक्ष स्ववित्तपोषी संस्कृत
ज.हा.शास.स्ना.महाविद्यालय, बैतूल

(डॉ. विजेता चौबे)
प्राचार्य/सचिव
ज.हा.शास.स्ना.महाविद्यालय, बैतूल

Dr.Jyoti Sharma

253

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग

आदेश

10 MAR 1987

भोपाल, दिनांक _____, 1987.

क्रमांक स्कू 1/ 52/187/ए-1/38 - मध्य प्रदेश तदर्थ नियुक्तियों का नियन्त्रितकरण
नियम, 1986 तथा सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक स्कू-ए-6-30-86-एन॥1॥
द्वारा 30/9/86 राजपत्र प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 5/4/86 में प्रदत्त
अधिकारों का उपयोग करते हुए तदर्थ स्व से कार्यरत निम्नलिखित त्हायक प्राध्यापक
को स्थानाबन्धन स्व से आगामी आदेश तक _____ विषय के त्हायक
प्राध्यापक पद पर मध्य प्रदेश शैक्षणिक सेवा में महाविद्यालयीन शाखा में 700-40-
1100-50-1300-असेलमेन्ट-50-1600 के वेतनमान में उनके नाम के समक्ष अंकित महाविद्यालय
में बरिबीक्षा पर नियुक्त किया जाता है।

प्रत्यागी एवं पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	महाविद्यालय जहाँ पदांकित किया जाता है
श्री. श्रीमती श्रीमती श्रीमती श्रीमती श्रीमती श्रीमती श्रीमती श्रीमती श्रीमती श्रीमती श्रीमती	21-9-57 21-9-1957	महाविद्यालय, दिल्ली (पदों के पर विवेक रहित)
श्रीमती श्रीमती श्रीमती श्रीमती श्रीमती श्रीमती श्रीमती श्रीमती		729 (1) 667/1200- 565/800-

2- उपर्युक्त नियुक्ति उनके चरित्र तत्पापन प्रतिवेदन के समाधान कारक पर जाने
की प्रत्यागा में की जाती है। यदि उनका चरित्र तत्पापन प्रतिवेदन, सम्पूर्ण त्रुटियों
बाया गया तो उनकी नियुक्ति बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा लेंगी।
3- उपर्युक्त नियुक्तियों के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्ति इस आदेश की तारीख
से ही नियुक्त नियुक्ति का वात्र होगा और उते उन व्यक्तियों के नीचे रखा जाएगा
जो इन नियुक्तियों के अधीन नियुक्त किये जाने के पूर्व तत्संगत भरती नियुक्तियों के अनुत्तर/विषय
गए हैं।

PRINCIPAL
S. R. GOVT. COLLEGE
BETUL (M.P.)

Mr. Mukund Chandel

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
आदेश

मोबाल, दिनांक 1 MAR 1987, 1987.

क्रमांक एक 1/ 52 /87/ए-1/38 - मध्य प्रदेश तदर्थी नियुक्तियों का नियमितीकरण
नियम, 1986 तथा सामान्य प्रशासन विभाग के शासन क्रमांक एक-ए-6-30-86-एन॥1॥
द्वारा 3098 राजपत्र [अलाधारण] में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 5/6/86 में प्रदत्त
अधिकारों का उपयोग करते हुए तदर्थ स्व से कार्यरत निम्नलिखित सहायक प्राध्यापक
को स्थानावन्न स्व से जागामी आदेश तक इतिहास विषय के सहायक
प्राध्यापक बंद पर मध्य प्रदेश शैक्षणिक सेवा [महाविद्यालयीन शाखा] में स्ल 700-40-
1100-50-1300-अतेन्मेंट-50-1600 के बेतनमान में उनके नाम के समक्ष अंकित महाविद्यालय
में बरिबीसा बर नियुक्त किया जाता है ।

प्रत्यागी एवं पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	महाविद्यालय जहाँ पदांकित किया जाता है
अव्याज 123. श्री सुकंद चन्देल आरम्भ श्री श्रीराम चन्देल	25-12-1961 ✓	शासकीय महाविद्यालय, रामपुरा
शासकीय महाविद्यालय, रामपुरा		

2- उपर्युक्त नियुक्ति उनके चरित्र सत्यापन प्रतिबेदन के समाधान कारक पार जाने की प्रत्याशा में की जाती है । यदि उनका चरित्र सत्यापन प्रतिबेदन; समाधानकारक नहीं पाया गया तो उनकी नियुक्ति बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी ।

3- उपर्युक्त नियमों के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्ति इत आदेश की तारीख से ही नियमित नियुक्ति का पात्र होगा और उसे उन व्यक्तियों के नीचे रखा जाएगा जो इन नियमों के अधीन नियुक्त किये जाने के पूर्व सतंगत भरती नियमों के अनुसार नियुक्त किए गए हैं ।

Dr.Vina Chironje



प्राचार्य, ज.हा.शासकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय बैतूल, (म.प्र.) 460001

नेक द्वारा प्रदत्त ग्रेड B+

e-mail : hegjhpgcbet@mp.gov.in

क्रं. /स्थापना /2019

बैतूल,दिनांक

कार्यालयीन आदेश

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा, मंत्रालय भोपाल का आदेश क्रं.एफ 1-86/2019/38/1 भोपाल, दिनांक 13.12.2019 द्वारा आदेश के सरल क्रं. 101 लो.से.आ.की चयन सूची क्रं./चयन वर्ष 108/2019 वीणा चिरोंजे डेहरिया द्वारा आज दिनांक 16.12.2019 को पूर्वाह्न में सहायक प्राध्यापक विधि के पद पर इस महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर लिया है ।

प्राचार्य

ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल

पृ.क्रं. 2172/स्थापना /2019
प्रतिलिपि :-

बैतूल, दिनांक 16.12.19

- 1 विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा म.प्र.भोपाल ।
- 2 अवर सचिव, म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल ।
- 3 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
- 4 आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र.शासन सतपुड़ा भवन भोपाल ।
- 5 क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, भोपाल-नर्मदापुरम संभाग, एम.एल.बी.कन्या महाविद्यालय परिसर भोपाल ।
- 6 जिला चिकित्सा अधिकारी बैतूल की ओर सूचनार्थ ।
- 7 जिला कोषालय अधिकारी बैतूल ।
- 8 विभागाध्यक्ष, विधि, ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल ।
- 9 लेखापाल, ज.हा.शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैतूल ।
- 10 संबंधित अधिकारी वीणा चिरोंजे डेहरिया, सहायक प्राध्यापक विधि, जयवंती हॉक्सर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- 11 कार्यालय प्रति ।

16/12/19

ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल

08	09	डॉ संकटा प्रसाद शुक्ल, 14/161 मेहरा नगर, शिवा।	शासकीय संजय गांधी स्मृति महाविद्यालय, सीधी।
09	10	डॉ इविसा जैन, सीनियर एम.आई.जी.-179, विवेकानन्द नगर, न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, दमोह, (म.प्र.) पिन कोड- 470661.	शासकीय पीजी महाविद्यालय, दमोह।
10	11	डॉ गोमती खेलानी, 156, विद्या नगर, इंदौर (म.प्र.) पिन कोड- 452001.	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, आगर मालवा जिला शाजापुर।
11	12	डॉ दीपक श्रीवास्तव, पी-7, प्रोफेसर कॉलोनी, सारथ सिविल लाइन्स, जबलपुर (म.प्र.) पिन कोड- 482001	शासकीय मानकुवर बाई कला एवं वाणिज्य महिला महाविद्यालय, जबलपुर।
12	13	डॉ विन्ना प्रभात, डी-10, सिटी गार्डन, न्यू जीवाजी नगर, धाटीपुर, ग्वालियर।	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उधरा।
13	14	डॉ धर्मजय कुमार वर्मा, एफ 110/34, शिवाजी नगर, 6 नम्बर बस स्टॉप के पास, भोपाल.	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गंजबासीवा जिला विदिशा।
14	15	डॉ अनुपमा गुप्ता, फ्लैट नं. 108, सी-29, छिन्दपुरी, ग्वालियर (म.प्र.) पिन कोड- 474011.	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दतिया।
15	16	डॉ धर्मेश कुमार, फ्लैट नं.-3, गंगोत्री अपार्टमेंट शानीपुर रोड, बैतूल।	शासकीय जयवन्ती हक्सर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बैतूल।
16	17	डॉ वासि घाठक, एच.एक्स-18, एचआईजी, डुप्लेक्स, अलकापुरी, रतलाम (म.प्र.)	शासकीय पीजी कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रतलाम
17	18	डॉ राजेन्द्र कुमार मिश्रा, "रामनिकुंज" बरारीपुरा, धाने के पीछे, छिन्दवाड़ा (म.प्र.) पिन कोड- 480001.	शासकीय स्न. पीजी महाविद्यालय छिन्दवाड़ा।

निरंतर.....3

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
// आवेदना //

गोपाल, दिनांक 05/05/2011

क्रमांक एक 1-23/07/1-38 :: मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से ध्यमित निम्नलिखित उम्मीदवारों को प्राध्यापक राजनीति शास्त्र के पद पर वेतनमान रुपये 37400-87000+10000 में दो वर्ष की परीक्षा पर उनके नाम के समक्ष अंकित महाविद्यालय में अस्थायी रूप से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है :-

स. क्र.	लोक सेवा की श्रेणी के अनुसार बरिष्ठता	नाम एवं वर्तमान पता	पदस्थापना स्थान
01	01	श्री सवन कुमार शर्मा, 140-141, न्यू आदर्शनगर, बल्करेश्वर रोड आगरा (उ.प्र.) पिन कोड- 282004.	शासकीय सरोजिनी नायडू स्नातकोत्तर, महाविद्यालय, गोपाल।
02	02	डॉ रजनी मिश्रा, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, कटंगी, जबलपुर - 482001.	शासकीय महात्मा जवाहर लाल नेहरू महाविद्यालय, जबलपुर।
03	03	डॉ संजय जैन, 868, सुवामा नगर (जैन मंदिर के पास), इंदौर (म.प्र.) पिन कोड-452009	शासकीय एस.एन. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खंडवा।
04	04	डॉ संजय कुमार सिंह, राजित मिहार, ठाठीपुर, दर्पण कॉलोनी, मुरार, ग्वालियर (म.प्र.) पिन कोड-474011.	एम.एलबी. शा. उत्कृष्ट महा. ग्वालियर।
05	05	डॉ अश्विनी कुमार शर्मा, "अभ्युदय", 90 द्वारकापुरी, इंदौर - 452009.	शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मोती तबेला, इंदौर।
06	06	डॉ कुसुम भदौरिया, नगर गांधी रोड- ग्वालियर (म.प्र.) पिन कोड- 474002.	शासकीय के.आर.जी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ग्वालियर।
07	07	डॉ नीता तिवारी, 1622/1, चम्रकाता बिल्डिंग के पीछे, चैरीताल रोड, पंजाब बैंक कॉलोनी, जबलपुर।	शासकीय श्याम सुन्दर अग्रवाल महाविद्यालय, सिहोरा जिला जबलपुर।

निरंतर...2

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
आदेश

94

4 MAR 1987

मोबाल, दिनांक 4 MAR 1987, 1987.

क्रमांक एक 1/37/87/ए-1/38 - मध्य प्रदेश तद्वी नियुक्तियों का नियमितीकरण
नियम, 1986 तथा सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एक-ए-6-30-86-एन 1 द्वारा
द्वारा म०प्र० राजपत्र अज्ञातधारण में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 5/6/86 में प्रदत्त
अधिकारों का उपयोग करते हुए तदर्थ स्व से कार्यरत निम्नलिखित त्हायक प्राध्यापक
को स्थानापन्न स्व से आगामी आदेश तक राजनीतिशास्त्र विषय के त्हायक
प्राध्यापक पद पर मध्य प्रदेश शैक्षणिक सेवा महाविद्यालयीन शाखा में स् 0 700-40-
100-50-1300-असेसमेन्ट-50-1600 के बेतनमान में उनके नाम के समक्ष अंकित महाविद्यालय
परिबीक्षा पर नियुक्त किया जाता है ।

प्रत्याशी एवं पिता/वृत्ति का नाम	जन्मतिथि	महाविद्यालय जहाँ पदांकित किया जाता है
अजयचंद श्री 00 संजया वर्मा श्री 00 मेहोवाल वर्मा शासकीय महाविद्यालय, बालाघाट	1-7-1957	शासकीय महाविद्यालय, बालाघाट

True copy
Attested
Principal
Boys' Board College
Jabalpur (M.P.)

Verified
Principal
J.S.T. Govt. College
Balaghat

उपर्युक्त नियुक्ति उनके चरित्र पर प्रतिवेदन के समाधान कारक पाए जाने
प्रत्याशा में की जाती है । यदि उनका चरित्र तत्प्रापन प्रतिवेदन, समाधानकारक नहीं
या गया तो उनकी नियुक्ति बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी ।

उपर्युक्त नियमों के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्ति इत आदेश की तारीख
ही नियमित नियुक्ति का पात्र होगा और उसे उन व्यक्तियों के नीचे रखा जाएगा
इन नियमों के अधीन नियुक्त किये जाने के पूर्व तत्संगत भरती नियमों के अनुसार
हैं ।

Mr. Manesh Mankar



कार्यालय प्राचार्य, ज.हा.शासकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय बैतूल, (म.प्र.) 460001
ब्लॉक द्वारा प्रदत्त कोड B+

e-mail : hegjhpgcbet@mp.gov.in

क्र. /स्थापना /2019

बैतूल,दिनांक

कार्यालयीन आदेश

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा, मंत्रालय भोपाल का आदेश क्र.एफ 1-84/2019/38/1 भोपाल, दिनांक 16.12.2019 द्वारा आदेश के सरल क्र. 135 लो.से.आ.की घयन सूची क्र./घयन वर्ष 143/2019 मनेष मानकर द्वारा आज दिनांक 17.12.2019 को पूर्वान्ह में सहायक प्राध्यापक राजनीतिशास्त्र के पद पर इस महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

प्रINCIPAL
ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल

पृ.क्र. 2204 /स्थापना /2019
प्रतिलिपि :-

बैतूल, दिनांक 17/12/19

- 1 विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्चशिक्षा म.प्र.भोपाल।
- 2 अवर सचिव, म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल।
- 3 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
- 4 आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र.शासन सतपुड़ा भवन भोपाल।
- 5 क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, भोपाल-नर्मदापुरम संभाग, एम.एल.बी.कन्या महाविद्यालय परिसर भोपाल।
- 6 जिला चिकित्सा अधिकारी बैतूल की ओर सूचनार्थ।
- 7 जिला कोषालय अधिकारी बैतूल।
- 8 विभागाध्यक्ष, राजनीतिशास्त्र विभाग, ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल।
- 9 लेखापाल, ज.हा.शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैतूल।
- 10 संबंधित अधिकारी श्री मनेष मानकर सहायक प्राध्यापक राजनीतिशास्त्र, जयवंती हॉस्टल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 11 कार्यालय प्रति।

प्रINCIPAL
ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल

Dr.Ramkumar Gautam



प्राचार्य, ज.हा.शासकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय बैतूल, (म.प्र.) 460001
नेक द्वारा प्रदत्त ग्रेड B+

e-mail : hegjhpgcbet@mp.gov.in

क्रं. /स्थापना /2019

बैतूल,दिनांक

कार्यालयीन आदेश

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा, मंत्रालय भोपाल का आदेश क्रं.एफ 1-84/2019/38/1 भोपाल, दिनांक 16.12.2019 द्वारा आदेश के सरल क्रं. 168 लो.से.आ.की चयन सूची क्रं/चयन वर्ष 177/2019 डॉ.राम कुमार गौतम द्वारा आज दिनांक 21.12.2019 को पूर्वाह्न में सहायक प्राध्यापक राजनीतिशास्त्र के पद पर इस महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर लिया है ।

प्राचार्य

ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल

पृ.क्रं. 9204 /स्थापना /2019
प्रतिलिपि :-

बैतूल, दिनांक 21/12/2019

- 1 विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा म.प्र.भोपाल ।
- 2 अवर सचिव, म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल ।
- 3 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
- 4 आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र.शासन सतपुड़ा भवन भोपाल ।
- 5 क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, भोपाल-नर्मदापुरम संभाग, एम.एल.बी.कन्या महाविद्यालय परिसर भोपाल ।
- 6 जिला कोषालय अधिकारी बैतूल ।
- 7 विभागाध्यक्ष, राजनीतिशास्त्र विभाग, ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल ।
- 8 लेखापाल, ज.हा.शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैतूल ।
- 9 संबंधित अधिकारी डॉ.रामकुमार गौतम, सहायक प्राध्यापक राजनीतिशास्त्र, जयवंती हॉक्सर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- 10 कार्यालय प्रति ।

ओ.ओ.जी.

ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल

Dr. Rakesh Kumar Tiwari

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
आदेश

42

L.C.
40/8
22.6.87

भोपाल, दिनांक - 31-3-1987.

क्रमांक एफ 1/ 36 /87/ए-1/38 - मध्य प्रदेश तदर्थी नियुक्तियों का नियमितीकरण नियम, 1986 तथा सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-ए-6-30-86-एम 11 द्वारा म0प्र0 राज्यत्र अज्ञात में प्रकाशित अधिलेखना दिनांक 5/6/86 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए तदर्थ स्व से कार्यरत निम्नलिखित सहायक प्राध्यापक को स्थानापन्न स्व से आगामी आदेश तक विषय के सहायक प्राध्यापक पद पर मध्य प्रदेश शैक्षणिक सेवा अज्ञात महाविद्यालयीन शाखा में स् 0 700-40-1100-50-1300-अतेन्सेन्ट-50-1600 के वेतनमान में उनके नाम के समक्ष अंकित महाविद्यालय में परिबीक्षा पर नियुक्त किया जाता है।

प्रत्याशी एवं पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	महाविद्यालय जहाँ पदांकित किया जाता है
ता0 श्री राजेश कुमार तिवारी आरमन श्री कन्देयालाय तिवारी	25.12.58 (5-12-1958) षानकारियों मूल दम्पित्तों के आधार पर प्रमाणित	corrected as per records. शासकीय एन.ई.एल. महाविद्यालय, जसपुरनगर

शासकीय एन.ई.एल. महाविद्यालय,
जसपुर नगर।

अतिरिक्त संचालक
महाविद्यालयों तथा म०प्र०
बिलासपुर समूह।
बिलासपुर (म०प्र०)

- उपर्युक्त नियुक्ति उनके चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधान कारक पास जाने की प्रत्याशा में की जाती है। यदि उनका चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन, समाधानकारक नहीं पाया गया तो उनकी नियुक्ति बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।
- उपर्युक्त नियमों के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्ति इत आदेश की तारीख से ही नियमित नियुक्ति का पात्र होगा और उसे उन व्यक्तियों के नीचे रखा जाएगा जो इन नियमों के अधीन नियुक्त किये जाने के पूर्व सुसंगत भरती नियमों के अनुसार/नियम किये गए हैं।

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग,
मंत्रालय
वल्लभ -भवन, 462004
आदेश

मोपाल, दिनांक :-26 नवम्बर, 2004

क्रमांक-एफ-1-36/2003/1/ अड़तीसः मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित निम्नलिखित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को 2 वर्ष के भीतर नेट या स्लेट या पी एच डी की अर्हता अर्जित करने की शर्त पर दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र के पद पर वेतनमान रूपये 8000-275-13500 में उनके नाम के सम्मुख दर्शाए गए महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करते हुए पदस्थ किया जाता है:-

चयन सूची क्रमांक	नाम	वर्ग	पदस्थापना स्थान
2	3	4	
1.	12 कुमारी रंजना मुजाल्दे	अ.ज.जा.	शासकीय महाविद्यालय, बदनावर
2.	185 कुमारी अनिता चौहान	अ.ज.जा.	शासकीय महाविद्यालय, नेपानगर
3.	199 कुमारी रंजीता बरखानिया	अ.जा.	शासकीय महाविद्यालय, जुन्नारदेव
4.	103 श्री प्रणीत कुमार स्वरूप	अ.ज.जा.	शासकीय महाविद्यालय, बिछुआ
5.	53 श्री सुरेश कुमार सोलंकी	अ.ज.जा.	शासकीय महाविद्यालय, पेटलावद
6.	26 श्री राय सिंह मण्डलोई	अ.ज.जा.	शासकीय महाविद्यालय, सुसनेर
7.	129 कुमारी लीला डाबर	अ.ज.जा.	शासकीय महाविद्यालय, खाचरोद
8.	140 श्रीमती रामकली मरावी	अ.ज.जा.	शासकीय महाविद्यालय, पुष्पराजगढ़
9.	09 श्री महेश कुमार धूर्त	अ.ज.जा.	शासकीय महाविद्यालय, बेहर
10.	274 श्री शेखर मैदमवार (प्रावधिक)	अ.जा.	शासकीय महाविद्यालय, जावरा
11.	73 श्री दिनेश कुमार नरगावे	अ.ज.जा.	शासकीय महाविद्यालय, आलोट
12.	228 श्रीमती आरती बारोठिया (प्रावधिक)	अ.जा.	शासकीय महाविद्यालय, बागली
13.	162 कुमारी सरोजिनी टोपनो	अ.ज.जा.	शासकीय महाविद्यालय, पिपरिया
14.	126 श्री जियालाल अकोले	अ.ज.जा.	शासकीय महाविद्यालय, रामपुरा
15.	06 कुमारी लक्ष्मी बास्केल	अ.ज.जा.	शासकीय कन्या महाविद्यालय, शुजालपुर
16.	086 श्रीमती कुसुमलता उईके	अ.ज.जा.	शासकीय महाविद्यालय, कटंगी
17.	29 श्रीमती रीना प्रणीता रामा	अ.ज.जा.	शासकीय महाविद्यालय, दमुआ
18.	42 श्री सरदार सिंह जामोद	अ.ज.जा.	शासकीय महाविद्यालय, अशोकनगर
19.	136 श्री रामचंद्र चौहान	अ.जा.	शासकीय महाविद्यालय, आरोन

सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-8/2003/आ.प्र./एक, दिनांक 13 जनवरी, 2003 में निहित प्रावधान के प्रकाश में उक्त उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किए जा रहे हैं। चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाने, 6 माह के भीतर स्थाई जाति प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत नहीं करने तथा उपरोक्त कडिका-1 में वर्णित योग्यता दो वर्ष की निर्धारित अवधि में अर्जित नहीं करने की स्थिति में संबंधित उम्मीदवार की सेवाएं तत्काल समाप्त से बिना सूचना दिए समाप्त की जाएंगी।

नियुक्त उम्मीदवारों को जिला चिकित्सालय मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा।

इन नियुक्तियों में मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों का और अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किए अनुदेशों का अनुपालन किया है तथा उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

Mr. Raja Atulkar



राज्य प्राचार्य, ज.हा.शासकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय बैतूल, (म.प्र.) 460001

नेक द्वारा प्रदत्त ग्रेड B+

e-mail : hegjhpgcbet@mp.gov.in

क्रं. /स्थापना /2019

बैतूल,दिनांक

कार्यालयीन आदेश

मध्यप्रदेश शासन,उच्च शिक्षा,मंत्रालय भोपाल का आदेश क्रं.एफ 1-83/2019/38/1 भोपाल,दिनांक 13.12.2019 द्वारा आदेश के सरल क्रं. 77 लो.से.आ.की चयन सूची क्रं/चयन वर्ष 94/2019 श्री राजा अतुलकर द्वारा आज दिनांक 24.12.2019 को पूर्वाह्न में सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र के पद पर इस महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर लिया है ।

पृ.क्रं. 2377/स्थापना /2019
प्रतिलिपि :-

प्राचार्य
ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल
बैतूल,दिनांक 24/12/19

- 1 विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्चशिक्षा म.प्र.भोपाल ।
- 2 अवर सचिव,म.प्र.शासन,उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल ।
- 3 महालेखाकार,मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
- 4 आयुक्त,उच्च शिक्षा विभाग,म.प्र.शासन सतपुड़ा भवन भोपाल ।
- 5 क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,उच्च शिक्षा,भोपाल-नर्मदापुरम संभाग,एम.एल.वी.कल्या महाविद्यालय परिसर भोपाल ।
- 6 जिला चिकित्सा अधिकारी बैतूल ।
- 7 जिला कोषालय अधिकारी बैतूल ।
- 8 विभागाध्यक्ष,अर्थशास्त्र विभाग,ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल ।
- 9 लेखापाल,ज.हा.शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैतूल ।
- 10 संबंधित अधिकारी श्री राजा अतुलकर,सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र,जयवंती हॉयसर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैतूल
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- 11 कार्यालय प्रति ।

04/01/20
प्राचार्य
ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल
ज.हा. शास. महाविद्यालय बैतूल

Scanned by CamScanner

Dr.Saroj Jawalkar

कार्यालय सचिव, जनभागीदारी समिति

जयवंती हॉक्सर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैतूल (म.प्र.)

बैतूल, दिनांक 07.12.2021

क्रमांक 1247/2021
प्रति,

नाम डॉ.श्रीमती सरोज जाबलकर
पिता का नाम श्री अनिल कुमार गुलबाके
पता पाथाखेड़ा जिला बैतूल ।

विषय :- अतिथि विद्वान आमंत्रण 2021-22 के संबंध में आमंत्रण पत्र विषयक ।
संदर्भ :- आपका आवेदन क्रं. 109763 दिनांक 07.12.2021

--0--

विषयान्तर्गत एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आपको जयवंती हॉक्सर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में समाजशास्त्र विषय हेतु अतिथि विद्वान आमंत्रण के रूप में आमंत्रित करने हेतु सहमति हुई है । आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपको शैक्षणिक सत्र 2021-22 में अतिथि विद्वान हेतु यह आमंत्रण निम्न शर्तों के अध्याधीन होगा :-

1. यह आपको प्रतिदिवस न्यूनतम 5 घंटे तथा प्रति सप्ताह न्यूनतम 40 घंटे उपस्थित रहना अनिवार्य होगा जिसके अनुसार प्रतिदिवस औसत 7 घंटे का कार्यकाल अपेक्षित है । अतिथि विद्वानों द्वारा प्रति सप्ताह न्यूनतम 16 घंटे का प्रत्यक्ष शिक्षण किया जाना अनिवार्य होगा, इसके अतिरिक्त ट्यूटोरियल, रेमेडियल क्लासेस आदि में भी शिक्षण का कार्य करेंगे । महाविद्यालय की आवश्यकतानुसार प्राचार्य द्वारा कार्यभार में वृद्धि भी की जा सकती है ।
2. अतिथि विद्वान का मानदेय शासन की नीति/निर्देश दिनांक 17.12.2019 की कंडिका 5.1 अनुसार होगा ।
3. यह आमंत्रण वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2021-22 अर्थात् 30 जून 2022 के लिए सीमित होगा ।
4. यह आमंत्रण किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के सचिव, जनभागीदारी समिति द्वारा समाप्त किया जा सकेगा ।
5. महाविद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा ।
6. आपको महाविद्यालय में अपने मूल प्रमाण पत्र एवं पुलिस या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण न होने संबंधी प्रमाण/अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में कार्यरत न होने के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
7. आवेदक को आवंटित महाविद्यालय में दिनांक महाविद्यालय में उपस्थिति देनी होगी ।
8. आवंटित महाविद्यालय में उपस्थित होने पर मूल प्रमाण पत्रों का पुनः सत्यापन करना होगा ।
9. आपको शासन के आदेश क्रमांक एफ 1-42/2017/38-1 भोपाल दिनांक 17.12.2019 में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन अतिथि विद्वान हेतु आमंत्रित किया जा रहा है ।
10. यह आमंत्रण माननीय उच्च न्यायालय में अतिथि विद्वान आमंत्रण प्रक्रिया से संबंधित याचिकाओं में पारित होने वाले माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयों के अध्याधीन रहेगा ।

सचिव

जनभागीदारी समिति

ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल

बैतूल दिनांक

पृ.क्रं. /2021

प्रतिलिपि :-

1. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा भोपाल-नर्मदापुरम संभाग की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
2. कार्यालय प्रति ।

सचिव

जनभागीदारी समिति

ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल

Dr. Deepak Mankar

कार्यालय सचिव, जनभागीदारी समिति

जयवंती हॉक्सर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैतूल (म.प्र.)

क्रमांक 1522/2021
प्रति,

बैतूल, दिनांक 29/12/2021

नाम डॉ. दीपक कुमार मानकर
पिता का नाम श्री लालजी मानकर
पता 92 हमलापुर रोड अर्जुन वार्ड बैतूल ।

विषय :- अतिथि विद्वान आमंत्रण 2021-22 के संबंध में आमंत्रण पत्र विषयक ।
संदर्भ :- आपका आवेदन क्रं. 508653 दिनांक 28.12.2021

--0--

विषयान्तर्गत एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आपको जयवंती हॉक्सर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में समाजशास्त्र विषय हेतु अतिथि विद्वान आमंत्रण के रूप में आमंत्रित करने हेतु सहमति हुई है । आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपको शैक्षणिक सत्र 2021-22 में अतिथि विद्वान हेतु यह आमंत्रण निम्न शर्तों के अध्याधीन होगा :-

1. यह आपको प्रतिदिवस न्यूनतम 5 घंटे तथा प्रति सप्ताह न्यूनतम 40 घंटे उपस्थित रहना अनिवार्य होगा जिसके अनुसार प्रतिदिवस औसत 7 घंटे का कार्यकाल अपेक्षित है । अतिथि विद्वानों द्वारा प्रति सप्ताह न्यूनतम 16 घंटे का प्रत्यक्ष शिक्षण किया जाना अनिवार्य होगा, इसके अतिरिक्त ट्यूटोरियल, रेमेडियल क्लासेस आदि में भी शिक्षण का कार्य करेंगे । महाविद्यालय की आवश्यकतानुसार प्राचार्य द्वारा कार्यभार में वृद्धि भी की जा सकती है ।
2. अतिथि विद्वान का मानदेय शासन की नीति/निर्देश दिनांक 17.12.2019 की कंडिका 5.1 अनुसार होगा ।
3. यह आमंत्रण वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2021-22 अर्थात् 30 जून 2022 के लिए सीमित होगा ।
4. यह आमंत्रण किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के सचिव, जनभागीदारी समिति द्वारा समाप्त किया जा सकेगा ।
5. महाविद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा ।
6. आपको महाविद्यालय में अपने मूल प्रमाण पत्र एवं पुलिस या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण न होने संबंधी प्रमाण/अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में कार्यरत न होने के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
7. आवेदक को आवंटित महाविद्यालय में दिनांक महाविद्यालय में उपस्थिति देनी होगी ।
8. आवंटित महाविद्यालय में उपस्थित होने पर मूल प्रमाण पत्रों का पुनः सत्यापन करना होगा ।
9. आपको शासन के आदेश क्रमांक एफ 1-42/2017/38-1 भोपाल दिनांक 17.12.2019 में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन अतिथि विद्वान हेतु आमंत्रित किया जा रहा है ।
10. यह आमंत्रण माननीय उच्च न्यायालय में अतिथि विद्वान आमंत्रण प्रक्रिया से संबंधित याचिकाओं में पारित होने वाले माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयों के अध्याधीन रहेगा ।

पृ.क्र. /2021
प्रतिलिपि :-

1. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा भोपाल-नर्मदापुरम संभाग की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
2. कार्यालय प्रति ।

सचिव
जनभागीदारी समिति
ज.हा.शासकीय महाविद्यालय, बैतूल
बैतूल दिनांक

सचिव
जनभागीदारी समिति
ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल

Mr. Santosh Pawar

सूचना क्र. 969/एफ-1-9/2016/38-1
दिनांक 08 अगस्त, 2016
e-mail : hraj@hraj.gov.in

**कार्यालय प्राचार्य, ज.हा.शासकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय बैतूल, (म.प्र.) 460001**

आवेदन संख्या 22017/अ.वि./
दिनांक 11/11/2017

नाम श्री संतोष पंतार
पिता/पति
पता महाविद्यालय बैतूल मंडल मो.नं. 8589048286
आपके आवेदन के अनुक्रम में अतिथि व्याख्यान हेतु आमंत्रण की सूचना।
आपका आवेदन क्रमांक 02 दिनांक 08/11/2017

उपरोक्त विद्यार्थी आपको इस महाविद्यालय की जन्मगादी के अंतर्गत स्ववित्तपोषी व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि विद्वान डॉ. राकेश कुमार तिवारी (स्ववित्त) जन्मगादी पर व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित किया जाता है। इस प्रकार की जन्मगादी समिति द्वारा अनुसूचित मानदेय प्रदान किया जाएगा।
आपका आमंत्रण निम्न शर्तों के अधीन होगा

1. आपको प्रत्येक कार्य दिवस में 04 कालखण्ड लेने होंगे।
2. यह आमंत्रण वार्षिक सत्र 2017-18 के लिये ही सीमित होगा।
3. आपकी व्याख्यान देने की पात्रता किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के संघिय जन्मगादी समिति द्वारा समाप्त की जावेगी।
4. अतिथि विद्वान किसी भी हेतियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे और वे लोक सेवक की विधि विधिक परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जायेंगे।
5. यह केवल आमंत्रण पत्र ही नियुक्ति पत्र नहीं। किसी भी न्यायालयीन प्रक्रिया हेतु इसे प्रयोग नहीं किया जावेगा।
6. आपको महाविद्यालय में अपने मूल प्रमाण-पत्रों एवं पुलिस या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण न होने सम्बन्धी प्रमाण अन्य शासकीय / अर्द्धशासकीय / शासकीय सेवा में कार्यरत न होने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. अतिथि विद्वान वार्षिक सत्र 2017-18 में सत्र के बीच में व्याख्यान की असमर्थता व्यक्त करते हैं तो अग्रोहस्तारूप एक माह पूर्व सूचना देनी होगी अन्यथा 01 माह का मानदेय जमा करना होगा।
8. महाविद्यालय में उपस्थित होने पर मूल प्रमाण पत्रों द्वारा सत्यापन करना होगा।
9. आपको शासन के आदेश क्र. 969/एफ-1-9/2016/38-1 दिनांक 08 अगस्त, 2016 में वर्णित नियमों एवं शर्तों अधीन व्याख्यान के लिए आमंत्रण किया जा रहा है।

टीप- आमंत्रण पत्र जारी होने की तिथि से सात दिवस की अवधि में उपस्थित न होने की दशा में आमंत्रण पत्र स्वतः निरस्त माना जावेगा।

विभागाध्यक्ष स्ववित्तपोषी डा. पुष्पाशर्मा शर्मा
ज.हा.शास.स्ना.महाविद्यालय बैतूल

(डॉ. राकेश कुमार तिवारी)
प्राचार्य
ज.हा.शास.स्ना.महाविद्यालय बैतूल



कार्यालय प्राचार्य, ज.हा.शासकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय बैतूल, (म.प्र.) 460001

क्रमांक १९३३ / 2017/स्व.अ.वि./

बैतूल, दिनांक 11/11/2017

नाम डॉ. योगेश्वरी खावनेर (पंवार)

पिता/पति

पता शंकर नगर, भद्रा नगर बैतूल

फोन नं० 7898944661

व्य :-
वर्ग :-

आपके आवेदन के अनुक्रम में अतिथि व्याख्यान हेतु आमंत्रण की सूचना।

आपका आवेदन क्रमांक 01 दिनांक 08/11/2017

उपरोक्त विषयांतर्गत आपको इस महाविद्यालय की जनभागीदारी के अंतर्गत स्ववित्तपोषी व्यवस्था के आधार पर अतिथि विद्वान ज.हा.शासकीय (स्ववित्त) जनभागीदारी पर व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित किया जाता है। इस प्रकार जनभागीदारी समिति द्वारा अनुशंसित मानदेय प्रदान किया जाएगा।
आपका आमंत्रण निम्न शर्तों के अधीन होगा

1. आपको प्रत्येक कार्य दिवस में 04 कालखण्ड लेने होंगे।
2. यह आमंत्रण शैक्षणिक सत्र 2017-18 के लिये ही सीमित होगा।
3. आपकी व्याख्यान देने की पात्रता किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के सथिद जनभागीदारी समिति द्वारा समाप्त की जावेगी।
4. अतिथि विद्वान किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे और वे लोक सेवक की विधि विधिक परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जायेंगे।
5. यह केवल आमंत्रण पत्र है नियुक्ति पत्र नहीं। किसी भी न्यायालयीन प्रक्रिया हेतु इसे प्रयोग नहीं किया जावेगा।
6. आपको महाविद्यालय में अपने मूल प्रमाण-पत्रों एवं पुलिस या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण न होने सम्बन्धी प्रमाण। अन्य शासकीय / अर्द्धशासकीय / शासकीय सेवा में कार्यरत न होने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. अतिथि विद्वान शैक्षणिक सत्र 2017-18 में सत्र के बीच में व्याख्यान की असमर्थता व्यक्त करते हैं तो अघोहस्ताक्षरकर्ता एक माह पूर्व सूचना देनी होगी अन्यथा 01 माह का मानदेय जमा करना होगा।
8. महाविद्यालय में उपस्थित होने पर मूल प्रमाण पत्रों द्वारा सत्यापन करना होगा।
9. आपको शासन के आदेश क्र: 969/एफ-1-9/2016/38-1 दिनांक 08 अगस्त, 2016 में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन व्याख्यान के लिए आमंत्रण किया जा रहा है।

टीप:- आमंत्रण पत्र जारी होने की तिथि से सात दिवस की अवधि में उपस्थित न होने की दृष्टि में आमंत्रण पत्र स्वतः निरस्त माना जावेगा।

विभागाध्यक्ष स्ववित्तपोषी डॉ. पुष्पा शर्मा
ज.हा.शास.स्ना.महाविद्यालय बैतूल

Dr. Rakesh Kumar Tiwari
(डॉ. राकेश कुमार तिवारी)
प्राचार्य
ज.हा.शास.स्ना.महाविद्यालय बैतूल

Mr. Prahlad Kamdi

दूरभाष क्र. 07141-234244 (कार्यालय)
07141-234566 (फैक्स)
e-mail : hegihpcbet@mp.gov.in

कार्यालय प्राचार्य/सचिव, ज.हा.शासकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय बैतूल, (म.प्र.) 460001

क्रमांक 1557/2016/स्व.अ.वि./सूगोल
प्रति.

बैतूल, दिनांक 20/9/2016

श्री. प्रहलाद कामडी
मु. पी. सिपावा
ल.ह. मु. ल. माई जिला-बैतूल

विषय :- जनभागीदारी से अतिथि व्याख्यान हेतु आमंत्रण की सूचना।

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपको इस महाविद्यालय की जनभागीदारी के अंतर्गत स्ववित्तपोषी व्यवस्था के आधार पर अतिथि विद्वान विषय सूगोल जनभागीदारी पर व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित किया जाता है। इस हेतु आपको जनभागीदारी समिति द्वारा अनुशासित मानदेय प्रदान किया जावेगा।

आपका आमंत्रण निम्न शर्तों के अध्याधीन होगा

- (1) आपको प्रत्येक कार्य दिवस में 04 कालखण्ड लेने होंगे।
 - (2) यह आमंत्रण शैक्षणिक सत्र 2016-17 के लिये ही सीमित होगा। आपकी व्याख्यान देने की पात्रता किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के सचिव जनभागीदारी समिति द्वारा समाप्त की जावेगी।
 - (3) अतिथि विद्वान किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे और वे लोक सेवक की विधि विधिक परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जायेंगे।
 - (4) यह केवल आमंत्रण पत्र है नियुक्ति पत्र नहीं। किसी भी न्यायालयीन प्रक्रिया हेतु इसे प्रयोग नहीं किया जावेगा।
 - (5) आपको महाविद्यालय में अपने मूल प्रमाण-पत्रों एवं पुलिस या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण न होने सम्बन्धी प्रमाण। अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/शासकीय सेवा में कार्यरत न होने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
 - (6) अतिथि विद्वान शैक्षणिक सत्र 2016-17 में सत्र के बीच में व्याख्यान की असमर्थता व्यक्त करते हैं तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को एक माह पूर्व सूचना देनी होगी अन्यथा 01 माह का मानदेय जमा करना होगा।
 - (7) शैक्षणिक सत्र 2016-17 हेतु आपको पुनः आमंत्रित किया जा रहा है शासन से भविष्य में प्राप्त होने वाले आदेशों/निर्देशों का पालन किया जायेगा।
- टीप- आमंत्रण पत्र जारी होने की तिथि से सात दिवस की अवधि में उपस्थित न होने की दशा में आमंत्रण पत्र स्वतः निरस्त माना जावेगा।

विभागाध्यक्ष स्ववित्तपोषी Asouare
20/9/16
ज.हा.शास.स्ना.महाविद्यालय, बैतूल

(डॉ. सतीश जैन)
प्राचार्य/सचिव
ज.हा.शास.स्ना.महाविद्यालय, बैतूल

Mr. Mukesh Pandole

Speed post



दूरभाष क्र. 07141-234244 (कार्यालय)
07141-234666 (दौरेका)
e-mail : hegihpgebet@mp.gov.in

कार्यालय प्राचार्य, ज.हा.शासकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय बैतूल, (म.प्र.) 460001

क्रमांक 1234/2019/स्व.अ.वि./

बैतूल, दिनांक 31-8/2019

प्रति,

श्री. मुकेश पंडोले

व्यक्ति नं. 365 A.B.F. आतिथ्य कालोनी शारणी जिला बैतूल

शब्द - आपके आवेदन के अनुक्रम में अतिथि व्याख्यान हेतु आमंत्रण की सूचना।

उपरोक्त विषयांतर्गत आपको इस महाविद्यालय की जनभागीदारी के अंतर्गत स्ववित्तपोषी व्यवस्था के आधार पर अतिथि विद्वान भूगोल जनभागीदारी पर व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित किया जाता है। इस नु आपको जनभागीदारी समिति द्वारा अनुशंसित मानदेय प्रदान किया जायेगा।
आपका आमंत्रण निम्न शर्तों के अध्याधीन होगा

1. आपको प्रत्येक कार्य दिवस में 04 कालखण्ड लेने होंगे।
2. यह आमंत्रण शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिये ही सीमित होगा।
3. आपकी व्याख्यान देने की पात्रता किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के सचिव जनभागीदारी समिति द्वारा समाप्त की जायेगी।
4. अतिथि विद्वान किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेगे और वे लोक सेवक की विधि विधिक परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जायेगे।
5. यह केवल आमंत्रण पत्र है नियुक्ति पत्र नहीं। किसी भी न्यायालयीन प्रक्रिया हेतु इसे प्रयोग नहीं किया जायेगा।
6. आपको महाविद्यालय में अपने मूल प्रमाण-पत्रों एवं पुलिस या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण न होने सम्बन्धी प्रमाण। अन्य शासकीय / अर्द्धशासकीय / शासकीय सेवा में कार्यरत न होने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. अतिथि विद्वान शैक्षणिक सत्र 2019-20 में सत्र के बीच में व्याख्यान की असमर्थता व्यक्त करते हैं तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को एक माह पूर्व सूचना देनी होगी अन्यथा 01 माह का मानदेय जमा करना होगा।
8. महाविद्यालय में उपस्थित होने पर मूल प्रमाण पत्रों द्वारा सत्यापन करना होगा।
9. आपको शासन के आदेश क्र 969/एफ-1-9/2016/38-1 दिनांक 08 अगस्त, 2016 में दर्जित नियमों एवं शर्तों के अधीन व्याख्यान के लिए आमंत्रण किया जा रहा है।

टीप- आमंत्रण पत्र जारी होने की तिथि से सात दिवस की अवधि में उपस्थित न होने की दशा में आमंत्रण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

विभागाध्यक्ष स्ववित्तपोषी
ज हा शास स्ना महाविद्यालय बैतूल

31/8/2019
विभागाध्यक्ष-भूगोल
ज.हा. शा. महा.विद्यालय
बैतूल (म.प्र.)

प्राचार्य
ज.हा.शास.स्ना महाविद्यालय
B.G. College
Betal

Mr. Ashok Dabhade

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग

आदेश

मोबाल, दिनांक 10-3-1987.

क्रमांक एक 1/ 25/87/ए-1/30 - मध्यप्रदेश तदर्थ नियुक्तियों का नियमितीकरण
नियम, 1986 तथा सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एक-ए-6-30-86-एन 11
द्वारा म0प्र0 राजपत्र अताधारण में प्रकाशित अधिलेखना दिनांक 5/6/86 में प्रदत्त
अधिकारों का उपयोग करते हुए तदर्थ स्व से कार्यरत निम्नलिखित तहायक प्राध्यापक
को स्थानाबन्धन स्व से आगामी आदेश तक कागिज विषय के तहायक
प्राध्यापक पद पर मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा व महाविद्यालयीन शाखा में स् 700-40-
1100-50-1300-असेलमेन्ट-50-1600 के बतनमान में उनके नाम के लक्ष अंकित महाविद्यालय
में परिबीक्षा पर नियुक्त किया जाता है ।

प्रत्याशी एवं पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	महाविद्यालय जहाँ पदांकित किया जाता है
साठ 74. श्री अशोक दामडे आरम्भ श्री दौलत राव दामडे रा. प्राध्यापक पद पर प्रथम तदर्थ नियुक्ति का दिनांक 15.9.82 महाविद्यालय, बैतूल	24-6-1958	शासकीय महाविद्यालय, बैतूल (1) वार्षिक कार्यदिवस जिसका बतन-12 मुकतान किया गया है। (2) प्राप्तांक स्नातक बी.आर. - 690/1600 - II (3) प्राप्तांक स्नातकोत्तर - एम.आर. - 548/800 - "मैंने सभी प्रविष्टियों की स्वयं जांच कर ली है। मैं प्रमाणित करता हूँ कि सभी प्रविष्टियाँ सही हैं।"

- 2- उपर्युक्त नियुक्ति उनके चरित्र तत्पापन प्रतिवेदन के समाधान, **PRINCIPAL** **Govt. Government College** **Betul** की प्रत्याशा में की जाती है। यदि उनका चरित्र तत्पापन प्रतिवेदन, समाधानकारक नहीं थाया गया तो उनकी नियुक्ति बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।
- 3- उपर्युक्त नियमों के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्ति इत आदेश की तारीख से ही नियमित नियुक्ति का पात्र होगा और उसे उन व्यक्तियों के नीचे रखा जाएगा जो इन नियमों के अधीन नियुक्त किये जाने के पूर्व तसंगत भरती नियमों के अनुसार **नियुक्त** किए गए हैं।

मध्य प्रदेश शासन
शिक्षा विभाग
आदेश

मोबात, दिनांक 10.3, 1987.

क्रमांक एक 1/ 25 /87/ए-1/38 - मध्य प्रदेश तदर्थी नियुक्तियों का नियमितीकरण नियम, 1986 तथा सामान्य प्रशासन विभाग के शासन क्रमांक एक-ए-6-30-86-एन.डी.11 द्वारा म.प्र. राज्य में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 5/6/86 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए तदर्थ स्व से कार्यरत निम्नलिखित स्टाफ प्राध्यापकों को स्थानांतरण स्व से आगामी आदेश तक राज्य विषय के तत्पश्चात् प्राध्यापक बंद पर मध्य प्रदेश शैक्षणिक सेवा में महाविद्यालयीन शाखा में ए.ओ. 700-10-1100-50-1300-अलेक्जेंडर-50-1600 के बेतनमान में उनके नाम के समक्ष अंकित महाविद्यालय में बरिबीछा बर नियुक्त किया जाता है।

प्रत्यागी एवं विता/वति का नाम	जन्मतिथि	महाविद्यालय जहाँ पदांकि किया जाता है
-------------------------------	----------	--------------------------------------

श्री गुलाब राव राने शिक्षण श्री कस्तुरी राव राज्य प्राध्यापक के पद पर प्रथम तदर्थ नियुक्त का दिनांक 3.1.83 राज्य महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर	12-3-1958	राज्य महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर (1) द्वार-तारिख कार्यदिवस जिसका वेतन मुजफ्फरपुर किया गया है। (2) प्रांतीय स्नातक (3) प्रांतीय स्नातकोत्तर - एम. ए. 505/86
--	-----------	--

1065

“मैंने सभी प्रविष्टियों की स्वयं जांच कर ली है। मैं यह कहता हूँ कि सभी प्रविष्टियों सही हैं।”

2- उपर्युक्त नियुक्ति उनके चरित्र तत्पश्चात् प्रतिवेदन के समाधान के बाद ही की जाती है। यदि उनका चरित्र तत्पश्चात् प्रतिवेदन समाधान के बाद जाया गया तो उनकी नियुक्ति बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।

3- उपर्युक्त नियमों के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्ति इस आदेश की तारीख से ही नियमित नियुक्ति का पात्र होगा और उसे उन व्यक्तियों के नीचे रखा जाएगा जो इन नियमों के अधीन नियुक्त किये जाने के पूर्व तुल्यता भरती नियमों के अनुसार नियुक्त हुए हैं।

Mr. Hemant Deshpande

प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
आदेश

107

मोबाल, दिनांक 10.3, 1987.

क्रमांक एफ 1/25 /87/ए-1/38 - मध्यप्रदेश तदर्थी नियुक्तियों का नियमितकरण नियम, 1986 तथा सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-ए-6-30-86-एन 11 द्वारा 3090 राजपत्र अज्ञातधारण में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 5/6/86 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए तदर्थ स्व से कार्यरत निम्नलिखित तहायक प्राध्यापक को स्थानाबन्धन स्व से आगामी आदेश तक बाधित विषय के तहायक प्राध्यापक पद पर मध्यप्रदेश वैज्ञानिक सेवा में महाविद्यालयीन शाखा में ए 700-40-1100-50-1300-अतेलेन्ट-50-1600 के बेतनमान में उनके नाम के समक्ष अंकित महाविद्यालय में परिबीक्षा पर नियुक्त किया जाता है।

प्रत्यागी एवं पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	महाविद्यालय जहाँ वर्दांकित किया जाता है
ता 0 103. श्री हेमन्त श्रीराम देशपांडे आत्मब श्री बलन्तराम देशपांडे सहायक प्राध्यापक के पद पर प्रथम तदर्थ नियुक्ति का हेतु: 6.1.83 महाविद्यालय, बैतूल "मैंने सभी प्रतिष्ठियों की स्वयं जांच कर ली है। मैं प्रमाणित करता हूँ कि सभी प्रतिष्ठियाँ सही हैं।"	14-2-1959 1) तार-तन्त्रिक कार्यद्विजस जिसका वेतन मुगलान किया गया है 1063 दिन 2) प्राप्तांक इनातक 01.07.77 - 654/1400 II 3) प्राप्तांक इनातक 01.07.77 - 484/800 - I	शासकीय महाविद्यालय, बैतूल

PRINCIPAL

2- उपर्युक्त नियुक्ति उनके चरित्र तत्पापन प्रतिवेदन के समक्ष Government College ने की जाती है। यदि उनका चरित्र तत्पापन प्रतिवेदन, समाधानकारक नहीं बाया गया तो उनकी नियुक्ति बिना पूर्व सूचना के तत्प्राप्त की जा सकेगी।

3- उपर्युक्त नियमों के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्ति इत आदेश की तारीख से ही नियमित नियुक्ति का पात्र होगा और उसे उन व्यक्तियों के नीचे रखा जाएगा जो इन नियमों के अधीन नियुक्त किये जाने के पूर्व तत्संगत भरती नियमों के अनुसार नियुक्त किए गए हैं।

SAGAR
Dated... 5/4/87... 1987

(Handwritten signature)
41418

Dy. Registrar
University of Saugar

Mr. Mahadev Wagdre

शुद्धी शासन
शिक्षा विभाग

आदेश

मोहाल, दिनांक _____, 1987.

क्रमांक एम. 1/ 25 /87/ए-1/38 - मध्य प्रदेश तदर्थी नियुक्तियों का निबन्धितकरण
निम्न, 1984 तथा आमान्य शुभानन विभाग के शासन क्रमांक एम-ए-6-30-86-एन 1।
द्वारा मध्य प्रदेश राजपत्र [असाधारण] में प्रकाशित अधिलेखना दिनांक 5/6/86 में प्रदत्त
अधिकारों का उल्लेख करते हुए तदर्थ स्व से कार्यरत निम्नलिखित त्हाक प्राध्यापक
को स्थानान्तरण स्व से आगामी आदेश तक _____ प्राध्यापक _____ दिवस के त्हाक
प्राध्यापक बट बर मध्य प्रदेश शिक्षा सेवा । महाविद्यालयीन शाखा । में एम 700-40-
1100-50-1300-उत्तेल्लेन्ट-50-1600 के बेतनमान में उनके नाम के लक्ष उंकित महाविद्यालय
में बरिबरीका बर नियुक्त किया जाता है ।

राज्यी बर्ष विता/बति का नाम	जन्म तिथि	महाविद्यालय जहाँ बटांकित किया जाता है
157. श्री माधव राय वाग्द्रे जयन्त श्री सुनील वाग्द्रे महाविद्यालय, जयदलपुर।	20-5-1958	राजकीय महाविद्यालय, जयदलपुर

- उत्तुल्लेख नियुक्ति उनके परित तत्थापन प्रतिबेदन के समाधान कारक बर जाने की प्रथाका में की जाती है । यदि उनका परित तत्थापन प्रतिबेदन, समाधानकारक नहीं बरता गया तो उनकी नियुक्ति बिना बर्ष त्थुना के समाप्त की जा लकेगी ।
- उत्तुल्लेख नियुक्तियों के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्तित इत आदेश की तारीख के ही नियमित नियुक्ति का बरत होगा और उते उन व्यक्तियों के नीचे रखा जाक्या जो इन नियुक्तियों के अधीन नियुक्त किये जाने के बर्ष त्थुसंगत भरती नियुक्तियों के अनुतार/किर लके हैं ।

Dr.Rajesh Sheshkar



दूरभाष क्र - 07141 - 234244 (कार्यालय)
07141 - 231666 (प्राचार्य निवास)
07141 - 234566 (फैक्स)
e-mail : hegjhpgcbet@mp.gov.in

कार्यालय प्राचार्य ज.हा.शासकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय बैतूल, (म.प्र.) - 460001

क्रमांक / स्था. / 2013

बैतूल, दिनांक 23.09.2013

आदेश

मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 1-81/201/38-1 भोपाल दिनांक 13 सितम्बर 2013 के अनुसार शासकीय महाविद्यालय भैसदेही से स्वेच्छा के आधार पर स्थानांतरण इस महाविद्यालय में हो जाने के फलस्वरूप आज दिनांक 21.09.2013 पूर्वाह्न में सहायक प्राध्यापक वाणिज्य के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

प्राचार्य

ज.हा.शासकीय महाविद्यालय, बैतूल

क्रमांक 4006 / स्था. / 2013

बैतूल, दिनांक 23.09.2013

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक मान.मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग वल्लभ भवन भोपाल।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र.शासन, सतपुड़ा भवन भोपाल।
3. माननीय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बैतूल की ओर सूचनार्थ।
4. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, भोनर्मपु.सं.एम.एल.बी.महा.परिषद भोपाल।
5. प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय भैसदेही जिला बैतूल म.प्र.।
6. जिला कोषालय अधिकारी बैतूल।
7. विभागाध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षा विभाग, ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल।
8. लेखापाल, जयवंती हाक्सर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैतूल।
9. संबंधित अधिकारी श्री राजेश शेषकर सहायक प्राध्यापक वाणिज्य जयवंती हाक्सर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैतूल।
10. कार्यालय प्रति/स्थानांतरण नस्ती

प्राचार्य

ज.हा.शासकीय महाविद्यालय, बैतूल

Mr. Rishikant Panthi



प्रमुख प्राचार्य, ज.हा.शासकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय बैतूल, (म.प्र.) 460001
नेक द्वारा प्रदत्त ग्रेड B+

e-mail : hegjhpgcbet@mp.gov.in

क्रं. /स्थापना /2019

बैतूल,दिनांक

कार्यालयीन आदेश

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा, मंत्रालय भोपाल का आदेश क्रं. एफ 1-90/2019/38/1 भोपाल, दिनांक 13.12.2019 द्वारा आदेश के सरल क्रं. 120 लो.से.आ.की चयन सूची क्रं./चयन वर्ष 144/2019 ऋषिकांत पंथी द्वारा आज दिनांक 16.12.2019 को पूर्वान्ह में सहायक प्राध्यापक वाणिज्य के पद पर इस महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर लिया है ।

SR
प्राचार्य

ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल

पृ.क्रं. 2193 /स्थापना /2019
प्रतिलिपि :-


बैतूल, दिनांक 16/12/19.....

- 1 विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा म.प्र.भोपाल ।
- 2 अवर सचिव, म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल ।
- 3 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
- 4 आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र.शासन सतपुड़ा भवन भोपाल ।
- 5 क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, भोपाल-नर्मदापुरम संभाग, एम.एल.बी.कन्या महाविद्यालय परिसर भोपाल ।
- 6 जिला चिकित्सा अधिकारी बैतूल की ओर सूचनार्थ ।
- 7 जिला कोषालय अधिकारी बैतूल ।
- 8 विभागाध्यक्ष, वाणिज्य विभाग, ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल ।
- 9 लेखापाल, ज.हा.शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैतूल ।
- 10 संबंधित अधिकारी ऋषिकांत पंथी सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, जयवंती हॉक्सर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- 11 कार्यालय प्रति ।

Qhoh
16.12.19

प्राचार्य
ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल

Dr.Mousami Rai



मध्य प्राचार्य, ज.हा.शासकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय बैतूल, (म.प्र.) 460001
नेक द्वारा प्रदत्त ग्रेड B+

e-mail : hegjhpgcbet@mp.gov.in

क्रं. /स्थापना /2019

बैतूल,दिनांक

कार्यालयीन आदेश

मध्यप्रदेश शासन,उच्च शिक्षा,मंत्रालय भोपाल का आदेश क्रं.एफ 1-90/2019/38/1 भोपाल,दिनांक 13.12.2019 द्वारा आदेश के सरल क्रं. 106 लो.से.आ.की चयन सूची क्रं./चयन वर्ष 127/2019 मौसमी राय द्वारा आज दिनांक 19.12.2019 को पूर्वान्ह में सहायक प्राध्यापक वाणिज्य के पद पर इस महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर लिया है ।

प्राचार्य

ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल

पृ.क्रं. 2249/स्थापना /2019

बैतूल,दिनांक 19/12/19

प्रतिलिपि :-

- 1 विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्चशिक्षा म.प्र.भोपाल ।
- 2 अवर सचिव,म.प्र.शासन,उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल ।
- 3 महालेखाकार,मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
- 4 आयुक्त,उच्च शिक्षा विभाग,म.प्र.शासन सतपुड़ा भवन भोपाल ।
- 5 क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,उच्च शिक्षा,भोपाल-नर्मदापुरम संभाग,एम.एल.बी.कन्या महाविद्यालय परिसर भोपाल ।
- 6 उपायुक्त,वाणिज्य कर टैक्स ऑडिट विंग भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
- 7 जिला चिकित्सा अधिकारी बैतूल की ओर सूचनार्थ ।
- 8 जिला कोषालय अधिकारी बैतूल ।
- 9 विभागाध्यक्ष,वाणिज्य विभाग,ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल ।
- 10 लेखापाल,ज.हा.शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैतूल ।
- 11 संबंधित अधिकारी मौसमी राय,सहायक प्राध्यापक वाणिज्य,जयवंती हॉक्सर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- 12 कार्यालय प्रति ।

19/12/19
प्राचार्य
ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल

Mrs. Krishna Gousar



प्रो. प्राचार्य, ज.हा.शासकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय बैतूल, (म.प्र.) 460001
नेक द्वारा प्रदत्त ग्रेड B+

e-mail : hegjhpgcbet@mp.gov.in

क्रं. /स्थापना /2019

बैतूल,दिनांक

कार्यालयीन आदेश

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा, मंत्रालय भोपाल का आदेश क्र. एफ 1-90/2019/38/1 भोपाल, दिनांक 13.12.2019 द्वारा आदेश के सरल क्रं. 119 लो.से.आ.की चयन सूची क्रं./चयन वर्ष 143/2019 सुश्री कृष्णा गौसर द्वारा आज दिनांक 24.12.2019 को पूर्वान्ह में सहायक प्राध्यापक वाणिज्य के पद पर इस महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर लिया है ।

प्राचार्य
ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल

बैतूल, दिनांक 24/12/19

पृ.क्र. 2370/स्थापना /2019
प्रतिलिपि :-

- 1 विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा म.प्र.भोपाल ।
- 2 अवर सचिव, म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल ।
- 3 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
- 4 आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र.शासन सतपुड़ा भवन भोपाल ।
- 5 क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, भोपाल-नर्मदापुरम संभाग, एम.एल.बी.कन्या महाविद्यालय परिसर भोपाल ।
- 6 जिला कोषालय अधिकारी बैतूल ।
- 7 विभागाध्यक्ष, वाणिज्य विभाग, ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल ।
- 8 लेखापाल, ज.हा.शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैतूल ।
- 9 संबंधित अधिकारी सुश्री कृष्णा गौसर, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, जयवंती हॉक्सर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- 10 कार्यालय प्रति ।

प्राचार्य
ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल
ज. हा. शास. म.प्र.

Dr.Shivdyal Sahu

कार्यालय सचिव, जनभागीदारी समिति
हॉक्सर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैतूल (म.प्र.)

बैतूल, दिनांक 24.01.2022

क्रमांक 465/2021
प्रति,

नाम श्री शिव दयाल साहू
पिता का नाम श्री लक्ष्मण साहू
पता देल्वे स्टेशन की पीछे, वार्ड नं. 25 रामनगर बैतूल ।

विषय :- अतिथि विद्वान आमंत्रण 2021-22 के संबंध में आमंत्रण पत्र विषयक ।
संदर्भ :- आपका आवेदन क्रं. 512511 दिनांक 24.01.2022

--0--

विषयान्तर्गत एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आपको जयवंती हॉक्सर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में वाणिज्य विषय हेतु अतिथि विद्वान आमंत्रण के रूप में आमंत्रित करने हेतु सहमति हुई है । आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपको शैक्षणिक सत्र 2021-22 में अतिथि विद्वान हेतु यह आमंत्रण निम्न शर्तों के अध्याधीन होगा :-

1. यह आपको प्रतिदिवस न्यूनतम 5 घंटे तथा प्रति सप्ताह न्यूनतम 40 घंटे उपस्थित रहना अनिवार्य होगा जिसके अनुसार प्रतिदिवस औसत 7 घंटे का कार्यकाल अपेक्षित है । अतिथि विद्वानों द्वारा प्रति सप्ताह न्यूनतम 16 घंटे का प्रत्यक्ष शिक्षण किया जाना अनिवार्य होगा, इसके अतिरिक्त ट्यूटोरियल, रेमेडियल क्लासेस आदि में भी शिक्षण का कार्य करेंगे । महाविद्यालय की आवश्यकतानुसार प्राचार्य द्वारा कार्यभार में वृद्धि भी की जा सकती है ।
2. अतिथि विद्वान का मानदेय शासन की नीति/निर्देश दिनांक 17.12.2019 की कंडिका 5.1 अनुसार होगा ।
3. यह आमंत्रण वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2021-22 अर्थात् 30 जून 2022 के लिए सीमित होगा ।
4. यह आमंत्रण किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के सचिव, जनभागीदारी समिति द्वारा समाप्त किया जा सकेगा ।
5. महाविद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा ।
6. आपको महाविद्यालय में अपने मूल प्रमाण पत्र एवं पुलिस या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण न होने संबंधी प्रमाण/अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में कार्यरत न होने के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
7. आवेदक को आवंटित महाविद्यालय में दिनांक महाविद्यालय में उपस्थिति देनी होगी ।
8. आवंटित महाविद्यालय में उपस्थित होने पर मूल प्रमाण पत्रों का पुनः सत्यापन करना होगा ।
9. आपको शासन के आदेश क्रमांक एफ 1-42/2017/38-1 भोपाल दिनांक 17.12.2019 में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन अतिथि विद्वान हेतु आमंत्रित किया जा रहा है ।
10. यह आमंत्रण माननीय उच्च न्यायालय में अतिथि विद्वान आमंत्रण प्रक्रिया से संबंधित याचिकाओं में पारित होने वाले माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयों के अध्याधीन रहेगा ।

सचिव

जनभागीदारी समिति
ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल
बैतूल दिनांक

पृ.क्रं. /2021
प्रतिलिपि :-

1. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा भोपाल-नर्मदापुरम संभाग की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
2. कार्यालय प्रति ।

सचिव

जनभागीदारी समिति
ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल

Mr. Pankaj Baraskar

पू.मा.प. नं. 07141-234244 (का.प.स.स.)
07141-234566 (बी.स.स.)
e-mail : betuljh@rediffmail.com

कायालय प्राचार्य, ज.हा.शासकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय बैतूल, (म.प्र.) - 460001

क्र. 715

दिनांक 22/08/2015

प्रति

पंकज बारस्कर
महिले कायदेगी कायापार्षद बैतूल

विषय :- आवेदन के अनुक्रम में जनभागीदारी से अतिथि व्याख्यान हेतु आमंत्रण की सूचना।
संदर्भ :- इस महाविद्यालय द्वारा वेबसाइट पर प्रसारित विज्ञापन दिनांक 27/07/2015

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में प्राप्त आवेदन पत्रों के गुणानुक्रम के आधार पर आपका चयन विषय कायदेगी कायापार्षद के लिये किया गया है। आपको इस महाविद्यालय की जनभागीदारी के अंतर्गत स्ववित्तपोषी व्यवस्था के आधार पर अतिथि विद्वान जनभागीदारी पर व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित किया जाता है। इस हेतु आपको जनभागीदारी समिति द्वारा अनुशंसित मानदेय प्रदान किया जायेगा।

आपका आमंत्रण निम्न शर्तों के अध्याधीन होगा :-

- (1) आपको प्रत्येक कार्य दिवस में 4 कालखण्ड लेने होंगे।
- (2) यह आमंत्रण शैक्षणिक सत्र 2015-16 के लिए ही सीमित होगा। आपकी व्याख्यान देने की पात्रता किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के सचिव जनभागीदारी समिति द्वारा समाप्त की जावेगी।
- (3) अतिथि विद्वान किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे और वे लोक सेवक की विधि विधिक परीभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जायेंगे।
- (4) यह केवल आमंत्रण पत्र है नियुक्ति पत्र नहीं। किसी भी न्यायालयीन प्रक्रिया हेतु इसे प्रयोग नहीं किया जावेगा।
- (5) आपको महाविद्यालय में अपने मूल प्रमाण-पत्रों एवं पुलिस या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण न होने संबंधी प्रमाण। अन्य शासकीय / अर्द्धशासकीय / शासकीय सेवा में कार्यरत न होने के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (6) अतिथि विद्वान शैक्षणिक सत्र 2015-16 में सत्र के बीच में व्याख्यान की असमर्थता व्यक्त करते हैं तो अधो हस्ताक्षरकर्ता को एक माह पूर्व सूचना देनी होगी अन्यथा 1 माह का मानदेय जमा करना होगा।

टीप :- आमंत्रण पत्र जारी होने की तिथि से सात दिवस की अवधि में उपस्थित न होने की दशा में आमंत्रण पत्र स्वतः निरस्त माना जावेगा।

विभागाध्यक्ष स्ववित्तपोषी
ज.हा.शास.स्ना.महाविद्यालय, बैतूल

o/c
Deved
mks
22/8/2015

(डॉ.सतीश जैन)
प्राचार्य/सचिव
ज.हा.शास.स्ना.महाविद्यालय, बैतूल

Mr. Lalit Dhandole



दूरभाष क्र. 07141-234244 (दि.)
07141-234566 (दि.)
e-mail : betuljh@rediffmail.co

कार्यालय प्राचार्य, ज.हा.शासकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय बैतूल, (म.प्र.) - 460001

क्र. 355

दिनांक 17/09/2015

प्रति,

श.ललित धानडोले

17.9.

अन्वेषण जेल के पास रिकार्ड कार्यालय

विषय - आवेदन के अनुक्रम में जनभागीदारी से अतिथि व्याख्यान हेतु आमंत्रण की सूचना।

संदर्भ :- इस महाविद्यालय द्वारा वेबसाइट पर प्रसारित विज्ञापन दिनांक 27/07/2015

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में प्राप्त आवेदन पत्रों के गुणानुक्रम के आधार पर आपका चयन विषय कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग वाणिज्य के लिये किया गया है। आपको इस महाविद्यालय की जनभागीदारी के अंतर्गत स्ववित्तपोषी व्यवस्था के आधार पर अतिथि विद्वान जनभागीदारी पर व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित किया जाता है। इस हेतु आपको जनभागीदारी समिति द्वारा अनुशंसित मानदेय प्रदान किया जायेगा।

आपका आमंत्रण निम्न शर्तों के अध्याधीन होगा :-

- (1) आपको प्रत्येक कार्य दिवस में 4 कालखण्ड लेने होंगे।
- (2) यह आमंत्रण शैक्षणिक सत्र 2015-16 के लिए ही सीमित होगा। आपकी व्याख्यान देने की पात्रता किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के सचिव जनभागीदारी समिति द्वारा समाप्त की जावेगी।
- (3) अतिथि विद्वान किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे और वे लोक सेवक की विधि विधिक परीभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जायेंगे।
- (4) यह केवल आमंत्रण पत्र है नियुक्ति पत्र नहीं। किसी भी न्यायालयीन प्रक्रिया हेतु इसे प्रयोग नहीं किया जावेगा।
- (5) आपको महाविद्यालय में अपने मूल प्रमाण-पत्रों एवं पुलिस या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण न होने संबंधी प्रमाण। अन्य शासकीय / अर्द्धशासकीय / शासकीय सेवा में कार्यरत न होने के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (6) अतिथि विद्वान शैक्षणिक सत्र 2015-16 में सत्र के बीच में व्याख्यान की असमर्थता व्यक्त करते हैं तो अधो हस्ताक्षरकर्ता को एक माह पूर्व सूचना देनी होगी अन्यथा 1 माह का मानदेय जमा करना होगा।

टीप :- आमंत्रण पत्र जारी होने की तिथि से सात दिवस की अवधि में उपस्थित न होने की दशा में आमंत्रण पत्र स्वतः निरस्त माना जावेगा।

विभागाध्यक्ष स्ववित्तपोषी
ज.हा.शास.स्ना.महाविद्यालय, बैतूल

एक प्रति प्राप्त
17/9/15

17.9.2015

प्राचार्य/सचिव

ज.हा.शास.स्ना.महाविद्यालय, बैतूल

Mrs. Kanchna Gujre



e-mail - reg@jssu.ac.in

कार्यालय प्राचार्य/सचिव, ज.हा.शासकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय बैतूल, (म.प्र.) 460001

क्रमांक 849/2016/स्वअधि/

बैतूल, दिनांक 18/07/2016

श्री कंचना गुजरे
आपकी सेवा में
09/07/2016

विषय - जनभागीदारी से अतिथि व्याख्यान हेतु आमंत्रण की सूचना।

व्यवस्था के आधार पर अतिथि विद्वान विषय 9/10/16/2
आवृत्त देने हेतु आमंत्रित किया जाता है। इस हेतु आपको जनभागीदारी समिति द्वारा अनुसूचित मानक

आपका आमंत्रण निम्न शर्तों के अधीन होगा।

- (1) आपकी प्रत्येक कार्य दिवस में 04 कालखण्ड लगे होंगे।
- (2) यह आमंत्रण शैक्षणिक सत्र 2016-17 के लिये ही सीमित होगा। आपकी व्याख्यान समिति का कार्य किसी भी समय दिनांक पूर्ण सूचना के सचिव जनभागीदारी समिति द्वारा समाप्त की जायेगी।
- (3) लोक सेवक की विधि विधिक परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जायेंगे।
- (4) यह केवल आमंत्रण पत्र है नियुक्ति पत्र नहीं। किसी भी न्यायालयीन प्रक्रिया हेतु इसे प्रयोग नहीं किया जायेगा।

आपका आमंत्रण पत्र जारी करने के लिए एवं पुलिस या सशस्त्र बल से सुरक्षा हेतु आवश्यक पत्र जारी करने के लिए आवश्यक पत्र प्रस्तुत करना होगा।

अतिथि विद्वान शैक्षणिक सत्र 2016-17 में सत्र के बीच में व्याख्यान की असमर्थता व्यक्त करने पर आपकी सेवा में कार्य समाप्त होगी अथवा 01 मास का भागदेयता प्राप्त करने हेतु आपकी सेवा समाप्त होगी।

आमंत्रण पत्र जारी होने की तिथि से सात दिवस की अवधि में उपस्थित न होने की दशा में आमंत्रण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

जनभागीदारी समिति
ज.हा.शास.स्ना.महाविद्यालय, बैतूल

S/C

प्राचार्य/सचिव
ज.हा.शास.स्ना.महाविद्यालय, बैतूल

Mr. Nisha Malvi



दूरभाष क्र. 07141-234244 (कार्यालय)
07141-234566 (फैक्स)
e-mail : hegjhpgcbet@mp.gov.in

कार्यालय प्राचार्य, ज.हा.शासकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय बैतूल, (म.प्र.) 460001

क्रमांक 1035/2018/स्व.अ.वि./
प्रति,

बैतूल, दिनांक 31.08.2018

श्रीमती निशा मालवी
माचना नगर, गंज बैतूल

विषय :- आपके आवेदन के अनुक्रम में अतिथि व्याख्यान हेतु आमंत्रण की सूचना।

उपरोक्त विषयांतर्गत आपको इस महाविद्यालय की जनभागीदारी के अंतर्गत स्ववित्तपोषी व्यवस्था के आधार अतिथि विद्वान बी.कॉम. टेक्स जनभागीदारी पर व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित किया जाता है। इस हेतु आपको जनभागीदारी सफि द्वारा अनुशंसित मानदेय प्रदान किया जावेगा।

आपका आमंत्रण निम्न शर्तों के अध्याधीन होगा

1. आपको प्रत्येक कार्य दिवस में 04 कालखण्ड लेने होंगे।
2. यह आमंत्रण शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिये ही सीमित होगा।
3. आपकी व्याख्यान देने की पात्रता किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के सचिव जनभागीदारी समिति द्वारा समाप्त की जावेगी।
4. अतिथि विद्वान किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे और वे लोक सेवक की विधि विधिक परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जायेंगे।
5. यह केवल आमंत्रण पत्र है नियुक्ति पत्र नहीं। किसी भी न्यायालयीन प्रक्रिया हेतु इसे प्रयोग नहीं किया जावेगा।
6. आपको महाविद्यालय में अपने मूल प्रमाण-पत्रों एवं पुलिस या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण न होने सम्बन्धी प्रमाण। अन्य शासकीय / अर्द्धशासकीय / शासकीय सेवा में कार्यरत न होने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. अतिथि विद्वान शैक्षणिक सत्र 2018-19 में सत्र के बीच में व्याख्यान की असमर्थता व्यक्त करते हैं तो अधोहस्ताक्षरकर्ता एक माह पूर्व सूचना देनी होगी अन्यथा 01 माह का मानदेय जमा करना होगा।
8. महाविद्यालय में उपस्थित होने पर मूल प्रमाण पत्रों द्वारा सत्यापन करना होगा।
9. आपको शासन के आदेश क्र: 969/एफ-1-9/2016/38-1 दिनांक 08 अगस्त, 2016 में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन व्याख्यान के लिए आमंत्रण किया जा रहा है।

टीप:- आमंत्रण पत्र जारी होने की तिथि से सात दिवस की अवधि में उपस्थित न होने की दशा में आमंत्रण पत्र स्वतः निरस्त माना जावेगा।

विभागाध्यक्ष स्ववित्तपोषी
ज.हा.शास.स्ना.महाविद्यालय बैतूल

(डॉ. राकेश कुमार तिवारी)
प्राचार्य
ज.हा.शास.स्ना.महाविद्यालय बैतूल

Mr. Rajendra Prasad
Waghmare



दूरभाष क्र. 07141-234244 (कार्यालय)
07141-234566 (फैक्स)
e-mail : hegjhpgcbet@mp.gov.in

कार्यालय प्राचार्य, ज.हा.शासकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय बैतूल, (म.प्र.) 460001

क्रमांक 1480 /2017/स्व.अ.वि./
ति.

बैतूल, दिनांक 08/09/17

नाम 21 जेम्स-यसार्द वाघमारे-
पिता/पति 37 थोम्स वाघमारे-
पता अनुशासक मंदिर-के पास-वाघमारे-497-312 काकोरी बैतूल

विषय :- आपके आवेदन के अनुक्रम में अतिथि व्याख्यान हेतु आमंत्रण की सूचना।
दर्भ :- आपका आवेदन क्रमांक 58 दिनांक 10/08/17

उपरोक्त विषयांतर्गत आपको इस महाविद्यालय की जनभागीदारी के अंतर्गत स्ववित्तपोषी व्यवस्था के आधार
तिथि विद्वान 21/09/17 जनभागीदारी पर व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित किया जाता है। इस
आपको जनभागीदारी समिति द्वारा अनुशंसित मानदेय प्रदान किया जावेगा।

आपका आमंत्रण निम्न शर्तों के अध्याधीन होगा

1. आपको प्रत्येक कार्य दिवस में 04 कालखण्ड लेने होंगे।
2. यह आमंत्रण शैक्षणिक सत्र 2017-18 के लिये ही सीमित होगा।
3. आपकी व्याख्यान देने की पात्रता किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के सचिव जनभागीदारी समिति द्वारा समाप्त की जावेगी।
4. अतिथि विद्वान किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे और वे लोक सेवक की विधि विधिक परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जायेंगे।
5. यह केवल आमंत्रण पत्र है नियुक्ति पत्र नहीं। किसी भी न्यायालयीन प्रक्रिया हेतु इसे प्रयोग नहीं किया जावेगा।
6. आपको महाविद्यालय में अपने मूल प्रमाण-पत्रों एवं पुलिस या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण न होने सम्बन्धी प्रमाण। अन्य शासकीय / अर्द्धशासकीय / शासकीय सेवा में कार्यरत न होने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. अतिथि विद्वान शैक्षणिक सत्र 2017-18 में सत्र के बीच में व्याख्यान की असमर्थता व्यक्त करते हैं तो अधोहस्ताक्षरकर्ता एक माह पूर्व सूचना देनी होगी अन्यथा 01 माह का मानदेय जमा करना होगा।
8. महाविद्यालय में उपस्थित होने पर मूल प्रमाण पत्रों द्वारा सत्यापन करना होगा।
9. आपको शासन के आदेश क्र: 969/एफ-1-9/2016/38-1 दिनांक 08 अगस्त, 2016 में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन व्याख्यान के लिए आमंत्रण किया जा रहा है।

टीप:- आमंत्रण पत्र जारी होने की तिथि से सात दिवस की अवधि में उपस्थित न होने की दशा में आमंत्रण पत्र स्वतः निरस्त माना जावेगा।

विभागाध्यक्ष स्ववित्तपोषी
ज.हा.शास.स्ना.महाविद्यालय बैतूल

(डॉ. राकेश कुमार तिवारी)
प्राचार्य
ज.हा.शास.स्ना.महाविद्यालय बैतूल

Mr. Nilesh Patil



कार्यालय प्राचार्य, ज.हा.शासकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय बैतूल, (म.प्र.) 460001

सूत्रमाप क्र. 07141-234244 (कार्यालय)
07141-234566 (फैक्स)
e-mail : hegjhpgcbet@mp.gov.in

क्रमांक 3343 /2020/स्व.अ.वि./

बैतूल, दिनांक - 03/09/2020

प्रति,

निलेश पाटील
मुकाम पोंडुर्णा, पोस्ट देहगुड
तहसील आठनेर जिला बैतूल

विषय :- अतिथि विद्वानों को सत्र 2020-21 के लिये आमंत्रण।

उपरोक्त विषयांतर्गत आपको इस महाविद्यालय की जनभागीदारी के अंतर्गत अतिथि विद्वान उद्यमिता विकास के पद पर व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित किया जाता है। इस हेतु आपको जनभागीदारी समिति द्वारा अनुशंसित मानदेय प्रदान किया जावेगा।

आपका आमंत्रण निम्न शर्तों के अध्याधीन होगा

1. आपको प्रत्येक कार्य दिवस में 04 कालखण्ड लेने होंगे।
2. यह आमंत्रण शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिये ही सीमित होगा।
3. आपकी व्याख्यान देने की पात्रता किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के सचिव जनभागीदारी समिति द्वारा समाप्त की जावेगी।
4. अतिथि विद्वान किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे और वे लोक सेवक की विधि विधिक परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जायेंगे।
5. यह केवल आमंत्रण पत्र है नियुक्ति पत्र नहीं। किसी भी न्यायालयीन प्रक्रिया हेतु इसे प्रयोग नहीं किया जावेगा।
6. आपको महाविद्यालय में अपने मूल प्रमाण-पत्रों एवं पुलिस या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण न होने सम्बन्धी प्रमाण। अन्य शासकीय / अर्द्धशासकीय / शासकीय सेवा में कार्यरत न होने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. अतिथि विद्वान शैक्षणिक सत्र 2020-21 में सत्र के बीच में व्याख्यान की असमर्थता व्यक्त करते हैं तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को एक माह पूर्व सूचना देनी होगी अन्यथा 01 माह का मानदेय जमा करना होगा।
8. महाविद्यालय में उपस्थित होने पर मूल प्रमाण पत्रों द्वारा सत्यापन करना होगा।
9. आपको कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा म.प्र. सतपुडा भवन भोपाल के आदेश क्र: 1274/548/आउशि / शा -2 / 2019 भोपाल, दिनांक 01/07/2019 में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन व्याख्यान के लिए आमंत्रण किया जा रहा है।

टीप:- आमंत्रण पत्र जारी होने की तिथि से सात दिवस की अवधि में उपस्थित न होने की दशा में आमंत्रण पत्र स्वतः निरस्त माना जावेगा।

विभागाध्यक्ष

ज.हा.शास.स्ना.महाविद्यालय बैतूल

स्व. प्रो. प्रो. श्री

NB Patil
3/9/20

PRINCIPAL

ज.हा.शास.स्ना.महाविद्यालय बैतूल

Mrs. Kriti Varathe



दूरभाष क्र. 07141-234244 (कार्यालय)
07141-234566 (फैक्स)
e-mail : hegjhpgcbet@mp.gov.in

कार्यालय प्राचार्य, ज.हा.शासकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय बैतूल, (म.प्र.) 460001

क्रमांक 3385/2020/स्व.अ.वि./

बैतूल, दिनांक - 05/09/2020

प्रति,

कि.ति. वराहे

महिला कॉलोनी काळीपारा बैतूल

सं. नं. 940655-1288, 9516523574

विषय :- अतिथि विद्वानों को सत्र 2020-21 के लिये आमंत्रण।

उपरोक्त विषयांतर्गत आपको इस महाविद्यालय की जनभागीदारी के अंतर्गत अतिथि विद्वान पर्यावरण चेतना के पद पर व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित किया जाता है। इस हेतु आपको जनभागीदारी समिति द्वारा अनुशंसित मानदेय प्रदान किया जावेगा।

आपका आमंत्रण निम्न शर्तों के अध्याधीन होगा

1. आपको प्रत्येक कार्य दिवस में 04 कालखण्ड लेने होंगे।
2. यह आमंत्रण शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिये ही सीमित होगा।
3. आपकी व्याख्यान देने की पात्रता किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के सचिव जनभागीदारी समिति द्वारा समाप्त की जावेगी।
4. अतिथि विद्वान किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे और वे लोक सेवक की विधि विधिक परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जायेंगे।
5. यह केवल आमंत्रण पत्र है नियुक्ति पत्र नहीं। किसी भी न्यायालयीन प्रक्रिया हेतु इसे प्रयोग नहीं किया जावेगा।
6. आपको महाविद्यालय में अपने मूल प्रमाण-पत्रों एवं पुलिस या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण न होने सम्बन्धी प्रमाण। अन्य शासकीय / अर्द्धशासकीय / शासकीय सेवा में कार्यरत न होने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. अतिथि विद्वान शैक्षणिक सत्र 2020-21 में सत्र के बीच में व्याख्यान की असमर्थता व्यक्त करते हैं तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को एक माह पूर्व सूचना देनी होगी अन्यथा 01 माह का मानदेय जमा करना होगा।
8. महाविद्यालय में उपस्थित होने पर मूल प्रमाण पत्रों द्वारा सत्यापन करना होगा।
9. आपको कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा म.प्र. सतपुडा भवन भोपाल के आदेश क्र: 1274/548/आउशि / शा -2 / 2019 भोपाल, दिनांक 01/07/2019 में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन व्याख्यान के लिए आमंत्रण किया जा रहा है।

टीप:- आमंत्रण पत्र जारी होने की तिथि से सात दिवस की अवधि में उपस्थित न होने की दशा में आमंत्रण पत्र स्वतः निरस्त माना जावेगा।

विभागाध्यक्ष
ज.हा.शास.स्ना.महाविद्यालय बैतूल

.....
प्राचार्य
ज.हा.शास.स्ना.महाविद्यालय बैतूल
05/09/2020

Mr. Gopal Patil



कार्यालय प्राचार्य, ज.हा.शासकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय बैतूल, (म.प्र.) 460001

नेक द्वारा प्रदत्त ग्रेड B+
दूरभाष क्र. 07141-234244 (कार्यालय), 07141-231666 (फैक्स)
e-mail : hegjhpgcbet@mp.gov.in

क्रमांक 3023/2020 / स्व.अ.वि.
प्रति,

बैतूल दिनांक 08/07/2020

श्री. गोपाल पाटील

अतिथि विद्वान

डी.एन.पी. बुध्दुराज

विषय:- अतिथि विद्वानों को सत्र 2020-21 के लिए आमंत्रण आवेदन बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख आपको इस महाविद्यालय की जनभागीदारी के अंतर्गत स्ववित्तपोषी व्यवस्था के आधार पर अतिथि विद्वान जनभागीदारी पर व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित किया जाता है। इस हेतु आपको जनभागीदारी समिति द्वारा अनुशंसित मानदेय प्रदान किया जावेगा।

आपका आमंत्रण निम्न शर्तों के अध्याधीन होगा

1. आपको प्रत्येक कार्य दिवस में 04 कालखंड लेने होंगे।
2. यह आमंत्रण शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए ही सीमित होगा। आपकी व्याख्यान देने की पात्रता किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के सचिव जनभागीदारी समिति द्वारा समाप्त की जावेगी।
3. अतिथि विद्वान किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे और वे लोक सेवक की विधि विधिक परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जायेंगे।
4. यह केवल आमंत्रण पत्र है नियुक्ति पत्र नहीं। किसी भी न्यायालयीन प्रक्रिया हेतु इसे प्रयोग नहीं किया जावेगा।
5. आपको महाविद्यालय में अपने मूल प्रमाण पत्रों एवं पुलिस या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण न होने संबंधी प्रमाण। अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/शासकीय सेवा में कार्यरत न होने के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. अतिथि विद्वान शैक्षणिक सत्र 2020-21 में सत्र के बीच में व्याख्यान की असमर्थता व्यक्त करते हैं तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को एक माह पूर्व सूचना देनी होगी अन्यथा 01 माह का मानदेय जमा करना होगा।
7. शैक्षणिक सत्र 2020-21 हेतु आपको पुनः आमंत्रित किया जा रहा है शासन से भविष्य में प्राप्त होने वाले आदेशों/निर्देशों का पालन किया जायेगा।

टीप :- आमंत्रण पत्र जारी होने की तिथि से सात दिवस की अवधि में उपस्थित न होने की दशा में आमंत्रण स्वतः निरस्त माना जावेगा।

विभागाध्यक्ष स्ववित्तपोषी
ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल
(B.C.A./B.Sc. Compl. Sc.)
Self Finance Course
J.H.S.S. College Baitul (M.P.)

प्राचार्य/सचिव
ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल
PRINCIPAL
J.H.S.S. College Baitul (M.P.)

Mr. Hitesh Jain



दूरभाष क्र. 07141-234244 (कार्यालय)
07141-234566 (फैक्स)
e-mail : hegihpgcbe1@mp.gov.in

कार्यालय प्राचार्य, ज.हा.शासकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय बैतूल, (म.प्र.) 460001

क्रमांक 1174/2018/स्व.अ.वि./

बैतूल, दिनांक 18.09.2018

ति.

श्री हितेश जैन

रौंय साहब का बगीचा कोठीबाजार बैतूल

विषय - आपके आवेदन के अनुक्रम में अतिथि व्याख्यान हेतु आमंत्रण की सूचना।

उपरोक्त विषयांतर्गत आपको इस महाविद्यालय की जनभागीदारी के अंतर्गत स्ववित्तपोषी व्यवस्था के अतिथि विद्वान बी.बी.ए. जनभागीदारी पर व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित किया जाता है। इस हेतु आपको जनभागीदारी सर्वाभ्युक्तित मानदेय प्रदान किया जावेगा।

आपका आमंत्रण निम्न शर्तों के अध्याधीन होगा

1. आपको प्रत्येक कार्य दिवस में 04 कालखण्ड लेने होंगे।
2. यह आमंत्रण शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिये ही सीमित होगा।
3. आपकी व्याख्यान देने की पात्रता किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के सचिव जनभागीदारी समिति द्वारा समाप्त कर् जावेगी।
4. अतिथि विद्वान किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेगे और वे लोक सेवक की विधिक परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जायेंगे।
5. यह केवल आमंत्रण पत्र है नियुक्ति पत्र नहीं। किसी भी न्यायालयीन प्रक्रिया हेतु इसे प्रयोग नहीं किया जावेगा।
6. आपको महाविद्यालय में अपने मूल प्रमाण-पत्रों एवं पुलिस या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण न होने सम्बन्धी प्रम अन्य शासकीय / अर्द्धशासकीय / शासकीय सेवा में कार्यरत न होने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. अतिथि विद्वान शैक्षणिक सत्र 2018-19 में सत्र के बीच में व्याख्यान की असमर्थता व्यक्त करते है तो अघोहस्ताक्षर एक माह पूर्व सूचना देनी होगी अन्यथा 01 माह का मानदेय जमा करना होगा।
8. महाविद्यालय में उपस्थित होने पर मूल प्रमाण पत्रों द्वारा सत्यापन करना होगा।
9. आपको शासन के आदेश क्र: 969/एफ-1-9/2018/38-1 दिनांक 08 अगस्त, 2018 में बर्णित नियमों एवं शर्तों अधीन व्याख्यान के लिए आमंत्रण किया जा रहा है।

टीप- आमंत्रण पत्र जारी होने की तिथि से सात दिवस की अवधि में उपस्थित न होने की दशा में आमंत्रण पत्र स्वतः निरस्त माना जावेगा।

विभागाध्यक्ष स्ववित्तपोषी
ज हा शास. स्ना महाविद्यालय बैतूल

Mr. Shivkumar
Choudhry



दूरभाष क्र. 07141-234244 (कार्यालय)
07141-234566 (फैक्स)
e-mail : hegjhpgcbet@mp.gov.in

कार्यालय प्राचार्य, ज.हा.शासकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय बैतूल, (म.प्र.) 460001

क्रमांक 3338 / 2020/स्व.अ.वि./
प्रति

बैतूल, दिनांक - 31/08/2020

शिव कुमार चौधरी
जे.एन.पी. कान्हीवाडा
जिला सिवनी म.प्र.

विषय :- अतिथि विद्वानों को सत्र 2020-21 के लिये आमंत्रण।

उपरोक्त विषयांतर्गत आपको इस महाविद्यालय की जनभागीदारी के अंतर्गत अतिथि विद्वान बीबीए के पद पर व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित किया जाता है। इस हेतु आपको जनभागीदारी समिति द्वारा अनुशंसित मानदेय प्रदान किया जावेगा।

आपका आमंत्रण निम्न शर्तों के अध्याधीन होगा

1. आपको प्रत्येक कार्य दिवस में 04 कालखण्ड लेने होंगे।
2. यह आमंत्रण शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिये ही सीमित होगा।
3. आपकी व्याख्यान देने की पात्रता किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के सचिव जनभागीदारी समिति द्वारा समाप्त की जावेगी।
4. अतिथि विद्वान किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे और वे लोक सेवक की विधिक परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जायेंगे।
5. यह केवल आमंत्रण पत्र है नियुक्ति पत्र नहीं। किसी भी न्यायालयीन प्रक्रिया हेतु इस प्रयोग नहीं किया जावेगा।
6. आपको महाविद्यालय में अपने मूल प्रमाण-पत्रों एवं पुलिस या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण न होने सम्बन्धी प्रमाण। अन्य शासकीय / अर्द्धशासकीय / शासकीय सेवा में कार्यरत न होने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. अतिथि विद्वान शैक्षणिक सत्र 2020-21 में सत्र के बीच में व्याख्यान की असमर्थता व्यक्त करते हैं तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को एक माह पूर्व सूचना देनी होगी अन्यथा 01 माह का मानदेय जमा करना होगा।
8. महाविद्यालय में उपस्थित होने पर मूल प्रमाण पत्रों द्वारा सत्यापन करना होगा।
9. आपको कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा म.प्र. सतपुडा भवन भोपाल के आदेश क्र. 1274/548/आउशि / शा -2 / 2019 भोपाल, दिनांक 01/07/2019 में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन व्याख्यान के लिए आमंत्रण किया जा रहा है।

टीप:- आमंत्रण पत्र जारी होने की तिथि से सात दिवस की अवधि में उपस्थित न होने की दशा में आमंत्रण पत्र स्वतः निरस्त माना जावेगा।

विभागाध्यक्ष
ज.हा.शासकीय महाविद्यालय, बैतूल।
Self Finance Centre
J.H.S.S.M.V. Govt. College Baitul

शिवकुमार चौधरी
लोक सेवक Receiving

प्राचार्य
ज.हा.शासकीय महाविद्यालय, बैतूल
(M.P.)
31/8/2020

Mr. Santosh Patil



प्राचार्य, ज.हा.शासकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय बैतूल, (म.प्र.) 460001

नेक द्वारा प्रदत्त ग्रेड B+
दूरभाष क्र. 07141-234244 (कार्यालय), 07141-231666 (फैक्स)
e-mail : hegjhpgcbet@mp.gov.in

क्रमांक 824/2020/स्व.अ.वि.
प्रति,

बैतूल दिनांक 08/07/2020

श्री. संतोष पाटील

पिता सुरेशचंद्र पाटील

एड. सुयोग कानोनी विद्यालय, बैतूल

विषय:- अतिथि विद्वानों को सत्र 2020-21 के लिए आमंत्रण आवेदन बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख आपको इस महाविद्यालय की जनभागीदारी के अंतर्गत स्ववित्तपोषी व्यवस्था के आधार पर अतिथि विद्वान जनभागीदारी पर व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित किया जाता है। इस हेतु आपको जनभागीदारी समिति द्वारा अनुशंसित मानदेय प्रदान किया जावेगा।

आपका आमंत्रण निम्न शर्तों के अध्याधीन होगा

1. आपको प्रत्येक कार्य दिवस में 04 कालखंड लेने होंगे।
2. यह आमंत्रण शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए ही सीमित होगा। आपकी व्याख्यान देने की पात्रता किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के सचिव जनभागीदारी समिति द्वारा समाप्त की जावेगी।
3. अतिथि विद्वान किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे और वे लोक सेवक की विधि विधिक परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जायेंगे।
4. यह केवल आमंत्रण पत्र है नियुक्ति पत्र नहीं। किसी भी न्यायालयीन प्रक्रिया हेतु इसे प्रयोग नहीं किया जावेगा।
5. आपको महाविद्यालय में अपने मूल प्रमाण पत्रों एवं पुलिस या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण न होने संबंधी प्रमाण। अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/शासकीय सेवा में कार्यरत न होने के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. अतिथि विद्वान शैक्षणिक सत्र 2020-21 में सत्र के बीच में व्याख्यान की असमर्थता व्यक्त करते हैं तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को एक माह पूर्व सूचना देनी होगी अन्यथा 01 माह का मानदेय जमा करना होगा।
7. शैक्षणिक सत्र 2020-21 हेतु आपको पुनः आमंत्रित किया जा रहा है शासन से भविष्य में प्राप्त होने वाले आदेशों/निर्देशों का पालन किया जायेगा।

टीप :- आमंत्रण पत्र जारी होने की तिथि से सात दिवस की अवधि में उपस्थित न होने की दशा में आमंत्रण स्वतः निरस्त माना जावेगा।

विभागाध्यक्ष स्ववित्तपोषी.....
ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल

(B.C.A./B.Sc. Compl. Sc.)
3rd Finance Course
3rd Finance Course

08/07/2020
प्राचार्य/सचिव

ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल
J.H.A. College Betul

Miss. Divay Dangi



प्रमुख प्राचार्य, ज.हा.शासकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय बैतूल, (म.प्र.) 460001

नेक द्वारा प्रदत्त ग्रेड B+
दूरभाष क्र. 07141-234244 (कार्यालय), 07141-231666 (फैक्स)
e-mail : hegjhpgcbet@mp.gov.in

क्रमांक ३२२/2020/स्व.अ.वि.
प्रति,

बैतूल दिनांक ०८/०७/2020

श्री. कु. दिव्या दंगी
महावीर वाई टिड्यारी
बैतूल

विषय:- अतिथि विद्वानों को सत्र 2020-21 के लिए आमंत्रण आवेदन बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख आपको इस महाविद्यालय की जनभागीदारी के अंतर्गत स्ववित्तपोषी व्यवस्था के आधार पर अतिथि विद्वान जनभागीदारी पर व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित किया जाता है। इस हेतु आपको जनभागीदारी समिति द्वारा अनुशंसित मानदेय प्रदान किया जावेगा।

आपका आमंत्रण निम्न शर्तों के अध्याधीन होगा

1. आपको प्रत्येक कार्य दिवस में 04 कालखंड लेने होंगे।
2. यह आमंत्रण शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए ही सीमित होगा। आपकी व्याख्यान देने की पात्रता किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के सचिव जनभागीदारी समिति द्वारा समाप्त की जावेगी।
3. अतिथि विद्वान किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे और वे लोक सेवक की विधि विधिक परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जायेंगे।
4. यह केवल आमंत्रण पत्र है नियुक्ति पत्र नहीं। किसी भी न्यायालयीन प्रक्रिया हेतु इसे प्रयोग नहीं किया जावेगा।
5. आपको महाविद्यालय में अपने मूल प्रमाण पत्रों एवं पुलिस या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण न होने संबंधी प्रमाण। अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/शासकीय सेवा में कार्यरत न होने के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. अतिथि विद्वान शैक्षणिक सत्र 2020-21 में सत्र के बीच में व्याख्यान की असमर्थता व्यक्त करते हैं तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को एक माह पूर्व सूचना देनी होगी अन्यथा 01 माह का मानदेय जमा करना होगा।
7. शैक्षणिक सत्र 2020-21 हेतु आपको पुनः आमंत्रित किया जा रहा है शासन से भविष्य में प्राप्त होने वाले आदेशों/निर्देशों का पालन किया जायेगा।

टीप :- आमंत्रण पत्र जारी होने की तिथि से सात दिवस की अवधि में उपस्थित न होने की दशा में आमंत्रण स्वतः निरस्त माना जावेगा।

विभागाध्यक्ष स्ववित्तपोषी.....

ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल
(B.C.A./B.Sc Compt. Sc.)

Self Finance Course

100 Govt. P.G. College, Betul

प्राचार्य/सचिव

ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल
J.H.Govt. P.G. College, Betul

Mrs. Swati Lokhande



प्र. प्राचार्य, ज.हा.शासकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय बैतूल, (म.प्र.) 460001

नेक द्वारा प्रदत्त ग्रेड B+
दूरभाष क्र. 07141-234244 (कार्यालय), 07141-231666 (फैक्स)
e-mail : hegjhpgcbet@mp.gov.in

क्रमांक 20/19/2020/स्व.अ.वि.
प्रति,

बैतूल दिनांक 08/07/2020

श्री. स्वाती लोखंडे
अतिथि विद्वान
बी.सी.ए.

विषय:- अतिथि विद्वानों को सत्र 2020-21 के लिए आमंत्रण आवेदन बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख आपको इस महाविद्यालय की जनभागीदारी के अंतर्गत स्ववित्तपोषी व्यवस्था के आधार पर अतिथि विद्वान जनभागीदारी पर व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित किया जाता है। इस हेतु आपको जनभागीदारी समिति द्वारा अनुशसित मानदेय प्रदान किया जावेगा।

आपका आमंत्रण निम्न शर्तों के अध्याधीन होगा

1. आपको प्रत्येक कार्य दिवस में 04 कालखंड लेने होंगे।
2. यह आमंत्रण शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए ही सीमित होगा। आपकी व्याख्यान देने की पात्रता किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के सचिव जनभागीदारी समिति द्वारा समाप्त की जावेगी।
3. अतिथि विद्वान किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे और वे लोक सेवक की विधि विधिक परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जायेंगे।
4. यह केवल आमंत्रण पत्र है नियुक्ति पत्र नहीं। किसी भी न्यायालयीन प्रक्रिया हेतु इसे प्रयोग नहीं किया जावेगा।
5. आपको महाविद्यालय में अपने मूल प्रमाण पत्रों एवं पुलिस या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण न होने संबंधी प्रमाण। अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/शासकीय सेवा में कार्यरत न होने के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. अतिथि विद्वान शैक्षणिक सत्र 2020-21 में सत्र के बीच में व्याख्यान की असमर्थता व्यक्त करते हैं तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को एक माह पूर्व सूचना देनी होगी अन्यथा 01 माह का मानदेय जमा करना होगा।
7. शैक्षणिक सत्र 2020-21 हेतु आपको पुनः आमंत्रित किया जा रहा है शासन से भविष्य में प्राप्त होने वाले आदेशों/निर्देशों का पालन किया जायेगा।

टीप :- आमंत्रण पत्र जारी होने की तिथि से सात दिवस की अवधि में उपस्थित न होने की दशा में आमंत्रण स्वतः निरस्त माना जावेगा।

विभागाध्यक्ष स्ववित्तपोषी
ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल
(B.C.A./B.Sc. Compt. Sc.)
Self Finance Centre
J.H.Govt. College, Belul (M.P.)

प्राचार्य/सचिव
ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल
J.H.Govt. P.G. College, Belul

Dr. Rashmi Agrawal

दूरभाष क्र. 07141-234244 (कार्यालय)
07141-234568 (फैक्स)
e-mail : betuljh@rediffmail.com



कार्यालय प्राचार्य, ज.हा.शासकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय बैतूल, (म.प्र.) - 460001

क्र. 1559

दिनांक 22/09/2016

प्रति, डॉ. रश्मि अग्रवाल
दुर्गा नगर कोठीवाजार बैतूल


विषय :- आवेदन के अनुक्रम में जनभागीदारी से अतिथि व्याख्यान हेतु आमंत्रण की सूचना।
संदर्भ :- इस महाविद्यालय द्वारा वेबसाइट पर प्रसारित विज्ञापन दिनांक 27/07/2015


उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में प्राप्त आवेदन पत्रों के गुणानुक्रम के आधार पर आपका चयन विषय अतिथि विद्वान विद्वान के लिये किया गया है। आपको इस महाविद्यालय की जनभागीदारी के अंतर्गत स्ववित्तपोषी व्यवस्था के आधार पर अतिथि विद्वान जनभागीदारी पर व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित किया जाता है। इस हेतु आपको जनभागीदारी समिति द्वारा अनुसूचित मानदेय प्रदान किया जायेगा।

आपका आमंत्रण निम्न शर्तों के अध्याधीन होगा :-


- (1) आपको प्रत्येक कार्य दिवस में 4 कालखण्ड लेने होंगे।
- (2) यह आमंत्रण शैक्षणिक सत्र 2015-16 के लिए ही सीमित होगा। आपकी व्याख्यान देने की पात्रता किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के सशिव जनभागीदारी समिति द्वारा समाप्त की जायेगी।
- (3) अतिथि विद्वान किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे और वे लोक सेवक की विधि विधिक परीक्षा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जायेंगे।
- (4) यह केवल आमंत्रण पत्र है नियुक्ति पत्र नहीं। किसी भी न्यायालयीन प्रक्रिया हेतु इसे प्रयोग नहीं किया जायेगा।
- (5) आपको महाविद्यालय में अपने मूल प्रमाण-पत्रों एवं पुलिस या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण न होने संबंधी प्रमाण। अन्य शासकीय / अर्द्धशासकीय / शासकीय सेवा में कार्यरत न होने के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (6) अतिथि विद्वान शैक्षणिक सत्र 2015-16 में सत्र के बीच में व्याख्यान की असमर्थता व्यक्त करते हैं तो अधो हस्ताक्षरकर्ता को एक माह पूर्व सूचना देनी होगी अन्यथा 1 माह का मानदेय जमा करना होगा।

टीप :- आमंत्रण पत्र जारी होने की तिथि से सात दिवस की अवधि में उपस्थित न होने की दशा में आमंत्रण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।


विभागाध्यक्ष स्ववित्तपोषी
ज.हा.शास.स्ना.महाविद्यालय, बैतूल


(डॉ. सतीश जैन)
प्राचार्य / सचिव
ज.हा.शास.स्ना.महाविद्यालय, बैतूल

Mr. Rahul Singh
Thakur



लय प्राचार्य, ज.हा.शासकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय बैतूल, (म.प्र.) 460001

नेक द्वारा प्रदत्त ग्रेड B+
दूरभाष क्र. 07141-234244 (कार्यालय), 07141-231666 (फैक्स)
e-mail : hegjhpgcbet@mp.gov.in

क्रमांक 3029/2020/स्व.अ.वि.
प्रति,

बैतूल दिनांक 08/07/2020

श्री. राहुल सिंह ठाकुर
वा.सं. 17 विन्सी 5/45 42/55 203 पु.सू.
जुनादेव जि. टि.वा.स. प्रा.प.

विषय:- अतिथि विद्वानों को सत्र 2020-21 के लिए आमंत्रण आवेदन बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख आपको इस महाविद्यालय की जनभागीदारी के अंतर्गत स्ववित्तपोषी व्यवस्था के आधार पर अतिथि विद्वान जनभागीदारी पर व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित किया जाता है। इस हेतु आपको जनभागीदारी समिति द्वारा अनुशंसित मानदेय प्रदान किया जावेगा।

आपका आमंत्रण निम्न शर्तों के अध्याधीन होगा

1. आपको प्रत्येक कार्य दिवस में 04 कालखंड लेने होंगे।
2. यह आमंत्रण शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए ही सीमित होगा। आपकी व्याख्यान देने की पात्रता किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के सचिव जनभागीदारी समिति द्वारा समाप्त की जावेगी।
3. अतिथि विद्वान किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे और वे लोक सेवक की विधि विधिक परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जायेंगे।
4. यह केवल आमंत्रण पत्र है नियुक्ति पत्र नहीं। किसी भी न्यायालयीन प्रक्रिया हेतु इसे प्रयोग नहीं किया जावेगा।
5. आपको महाविद्यालय में अपने मूल प्रमाण पत्रों एवं पुलिस या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण न होने संबंधी प्रमाण। अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/शासकीय सेवा में कार्यरत न होने के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. अतिथि विद्वान शैक्षणिक सत्र 2020-21 में सत्र के बीच में व्याख्यान की असमर्थता व्यक्त करते हैं तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को एक माह पूर्व सूचना देनी होगी अन्यथा 01 माह का मानदेय जमा करना होगा।
7. शैक्षणिक सत्र 2020-21 हेतु आपको पुनः आमंत्रित किया जा रहा है शासन से भविष्य में प्राप्त होने वाले आदेशों/निर्देशों का पालन किया जायेगा।


टीप :- आमंत्रण पत्र जारी होने की तिथि से सात दिवस की अवधि में उपस्थित न होने की दशा में आमंत्रण स्वतः निरस्त माना जावेगा।

विभागाध्यक्ष स्ववित्तपोषी.....
ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल
(B.C.A./B.Sc. Compt. Sc.)
Self Finance Course
J.H.Govt. College Betul (M.P.)

प्राचार्य/सचिव
ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल
PRINCIPAL
J.H.Govt. P.G. College, Betul

Dr. Mahesh Mankar

Govt Narmada College, Narmadapuram, Dist : Narmadapuram
e-Service Book

	3367	Unlock (No-Confirmation)	
	Shri MAHESH MANKAR	Print Date : 10, August, 2023 03:34:14 PM	
	Late Shri Ramadhar Mankar	Updated As On : 11, April, 2023 04:34:28 PM	
	Male	Date of Birth	26/12/1975
Category	SC	<input type="checkbox"/> Physical Handicapped	
Subject	BOTANY	Home Tow	HARDA
Designation	ASSISTANT PROFESSOR	Grade (1/2)	2
Treasury Employee Code	103008795	<input type="checkbox"/> Knowledge of Computer	
Aadhaar No.	*****694		
Post Graduation Subject	BOTANY	Passing Year of Post Graduation	2002
M.Phil Date	08/07/2004	Ph.D. Date	24/11/2022
Type of Appointment	PSC Selection		
Date of First Joining as Asst. Professor in Higher Education, Dept. M.P.		25/07/2005	
Dt. of Appointment	27/06/2005	Dt. of First Joining	25/07/2005
Regularisation Date		Probation Date	
Permanent Ord.No.	-	Permanent Ord.Date	
Joining Dt. for Present Post	25/07/2005		
Dt. of Sen.Gr.Scale		Dt. of Sel.Gr.Scale	
Date of Refresher Courses	1. 07/08/2010 2. 07/09/2015 3. 16/06/2016 4.		
Date of Orientation Courses	1. 07/07/2009 2. 3.		
Type of Professor	-	Date of Posting in Present College	25/07/2005
Dt. of Order as a Professor		Dt. of Joining as a Professor	
Dt. of Order as a UG Principal		Dt. of Join as a UG Principal	
Dt. of Order as a PG Principal		Dt. of Join as a PG Principal	
Scale	59400-117100 AC 10	Basic Pay	95300
Grad Pay	6000	Date of Grad Pay	01/01/2006
Date of 4th Pay Band			
In case of Pay Draw another College [Enter Concerning College Code]			False
NCC In-Charge Information		NSS In-Charge Information	
From	To	From 25/08/2005 To 17/11/2017	
Nodal Officer or In-charge	-		
Remark	Short Term Course Date - (1) 17/09/2019 (2) 11/11/2019		